लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

[खंड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXIII contains Nos. 1—10]

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.

विषय-सूची

अंक 3—बुधवार, 9 सितम्बर, 1964/18 भाद्र, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
61	सिन्दरी फर्टिलाइजुर्स में हड़ताल	२२५—२३१
62	मरुड में विदेशी हवाई जहाज का जबर्दस्ती उतारा जाना	२३१—३८
63	दास आयोग की रिपोर्ट	२३८—४५
64	निजी थैलियों की समाप्ति	२४५–४६
65	पूर्वी पाकिस्तान से निष्क्रमण	२४६–५१

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या		
1	दिल्ली में पीने के पानी का दूषित होना	२५१—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या		
66	माना शिविर	२५५–५६
67	ईरान सरकार द्वारा तेल की खोज सम्बन्धी रियायतें	२५६–५७
68	नई दिल्ली में विश्वविद्यालय	२५७
69	शिक्षा आयोग	२५७–५८
70	भ्रष्टाचार	२५८–५९
71	शरणार्थियों की छानबीन	२५९–६०
72	खम्भात तथा कच्छ में तेल की खोज	३६०
73	भारतीय भाषाओं के लिये समान लिपि	२६१
74	विदेशों में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिक	२६२–६३
75	आसाम में पाकिस्तानियों की घुसपैठ	२६३–६४
76	जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तान समर्थक तत्व	२६४
77	सम्बन्ध विच्छेदात्मक वक्तव्य	२६४–६५
78	वैमानिक अनसन्धान	२६५
79	अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी	२६६
80	राज्य-केन्द्र समन्वय	२६६–६७

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था

CONTENTS

No. 3—Wednesday, September 9, 1964/Bhadra 18, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions No.*	*Subject*	PAGES
61.	Strike in Sindri Fertilizers Factory	225—31
62.	Forcelanding of a Foreign Plane at Murud	231—38
63.	Das Commission Report	238—45
64.	Abolition of Privy Purses	245-46
65.	Exodus from East Pakistan	246—51
Short Notice Question No.		
1.	Contamination of Drinking water in Delhi	251—55

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
66.	Mana Camp	255-56
67.	Oil Concessions from Iran Government	256-57
68.	University in New Delhi	257
69.	Education Commission	257-58
70.	Corruption	258-59
71.	Screening of Refugees	259-60
72.	Oil Exploration in Cambay and Kutch	260
73.	Common Script for Indian Languages	261
74.	Indian Scientists Abroad	262-63
75.	Infiltration of Pakistanis in Assam	263-64
76.	Pro-Pakistani Elements in J. & K.	264
77.	Secessionist Statements	264-65
78.	Aeronautical Research	265
79.	Pakistani Infiltrators	266
80.	State-Centre Co-ordination	266-67

*The sign + mark above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
81	"सर्वोदय टापिकल्स" में भारत के नक्शे का प्रकाशन	२६७
82	उर्वरकों का उत्पादन . .	२६७–६८
83	गुजराती-अंग्रेजी अनुवाद परीक्षा-पत्र . .	२६८
84	गुजरात के भतपूर्व इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस .	२६८–६९
85	अध्यापन यंत्र	२६९
86	पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों का "श्रमिक बल"	२६९–७०
87	दिल्ली का राजनैतिक ढांचा	२७०
88	इंडिया आफिस लाइब्रेरी	२७०–७१
89	गोहाटी तेल शोधक कारखाना	२७१
90	राष्ट्रीय एकता परिषद् .	२७२

अतारांकित

प्रश्न संख्या

164	हिमालय क्षेत्र में तेल वाले स्थान .	२७२–७३
165	राज्यों को अनुदान . . .	२७३
166	बादागारा केरल में जूनियर तकनीकी स्कूल .	२७३
167	प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालिज, जयपुर	२७३–७४
168	राजनैतिक पीड़ित	२७४
169	भ्रामक पाठ्य पुस्तकें	२७४
170	विदेशियों की मूर्तियां . .	२७५
171	हवाई अड्डों पर सुरक्षा की व्यवस्था	२७५–७६
172	लाट्रियां .	२७६
173	"दिल्ली मिरर" .	२७६
174	सपरू समिति का प्रतिवेदन . .	२७७
175	रूस से पेट्रोलियम के उत्पादों का आयात .	२७८
176	धातुकार्मियों की कमी	२७८–७९
177	सतर्कता आयुक्त	२७९
178	विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	२७९–८०
179	राष्ट्रीय संयंत्रों की रक्षा . .	२८०
180	ईराक तथा कुवैत में तेल की खोज सम्बन्धी रियायतें	२८०
181	दिल्ली में हायर सेकेंडरी स्कूल	२८१
182	दिल्ली में प्लाटों का अर्जन .	२८१
183	गैर-सरकारी अध्यापकों को मकान भत्ता	२८१–८२
184	वाणिज्य तथा विज्ञान के विषयों की पढ़ाई	२८२
185	दिल्ली के स्कूलों तथा कालिजों में दाखिला .	२८२
186	महिला होम गार्ड .	२८३
187	गैर-सरकारी शिक्षा संस्थायें	२८३

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
81.	Publication of Map of India in "Sarvodaya Topicals"	267
82.	Production of Fertilisers	267–68
83.	Gujarati-English Translation Paper	268
84.	Former Inspector General of Police of Gujarat	268–69
85.	Teaching Machines	269
86.	Labour Force of Migrants	269–70
87.	Political Set-up of Delhi	270
88.	India Office Library	270–71
89.	Gauhati Refinery	271
90.	National Integration Council	272

Unstarred Questions Nos.		
164.	Oil Finds in Himalyan Region	272–73
165.	Grants to States	273
166.	Junior Technical School at Badagra (Kerala)	273
167.	Regional Engineering College, Jaipur	273–74
168.	Political Sufferers	274
169.	Spurious Text Books	274
170.	Statues of Foreigners	275
171.	Security Arrangements at Airports	275–76
172.	Lotteries	276
173.	Dilli Mirror	276
174.	Sapru Committee Report	277
175.	Import of Petroleum Products from U.S.S.R.	278
176.	Shortage of Metallurgists	278–79
177.	Vigilance Commissioner	279
178.	C.H.S. Schemes for University Students and Teachers	279–80
179.	Protection of National Plants	280
180.	Oil Concessions in Iraq and Kuwait	280
181.	Higher Secondary Schools in Delhi	281
182.	Acquisition of Plots in Delhi	281
183.	House Rent Allowance to Private Teachers	281–82
184.	Coaching in Commerce and Science	282
185.	Admission in Delhi Schools and Colleges	282
186.	Women Home Guards	283
187.	Private Educational Institutes	283

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
188	इजीनियरिंग अध्ययन तथा इस्पात उद्योग	२८३–८४
189	विश्वविद्यालय शिक्षा में सैनिक विज्ञान	२८४
190	मद्रास तथा हल्दिया तेल शोधनशालायें	२८४–८५
191	दिल्ली में साक्षरता आन्दोलन	२८५–८६
192	मानव भूगोल में स्नातक पाठ्यक्रम	२८६
193	समेकित बी० इ० पाठ्यक्रम	२८६
194	कच्चे तेल के उत्पाद	२८७
195	पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	२८७–८८
196	पंजाब के कालेजों और विश्वविद्यालयों को अनुदान	२८८
197	शरणार्थियों के लिये करघे	२८८
198	दण्डकारण्य में समाज सेवक	२८९
199	प्राथमिक स्कूलों के भवन	२८९
200	केरल में शिक्षा	२८९
201	कोचीन का तेल शोधक कारखाना	२९०
202	दिल्ली में आत्म हत्या	२९०
203	अरब संघ गणराज्य में अन्तर्राष्ट्रीय युवक शिविर	२९०
204	रूस में संस्कृत पांडुलिपियां	२९१
205	आर्थिक अपराध प्रभाग	२९१
206	वैज्ञानिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर	२९२
207	नालन्दा में अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	२९२
208	पैट्रो-रसायनिक उद्योग तथा हल्दिया की तेल शोधनशाला	२९२–९३
209	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	२९३
210	पूर्व पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्तियों की सम्पत्ति	२९३
211	चीनी नजरबन्द	२९३–९४
212	विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्रों की खोज	२९४
213	विदेशों में भेजे गये पिछड़े वर्ग के छात्र	२९४–९५
214	पंजाब की शिक्षा संस्थाओं को अनुदान	२९५–९६
215	माध्यमिक शिक्षा के लिए सर्वेक्षण	२९६
216	तेल समवायों का रुपया समवायों में परिवर्तन होना	२९६–९७
217	दिल्ली स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकें	२९७
218	मैसूर में गैर-सरकारी इंजीनियरिंग कालिज	२९७
219	पाकिस्तान में भारतीय डाकू	२९७
220	टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) में पुरातत्व खोजें	२९८
221	कालीबंगा पर पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई	२९८–९९
222	इटली के अखबार में प्रकाशित पत्र की जांच	२९९
223	शोधन शाला करार	२९९
224	अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की बैठक	२९९–३००

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—(*contd.*)

Unstarrd Questions Nos.	*Subject*	PAGES
188.	Engineering Studies and Steel Industry	283-84
189.	Military Science in University Education	284
190.	Madras and Halda Refineries	284-85
191.	Literacy Drive in Delhi	285-86
192.	Degree Course in Human Geography	286
193.	Integrated B. E. Course	286
194.	Crude Oil Products	287
195.	Post-Matric Scholarship to Backward Class Students	287-88
196.	Grants to Punjab Colleges and Universities	288
197.	Looms for Refugees	288
198.	Social Workers in Dandakaranya	289
199.	Primary School Buildings	289
200.	Education in Kerala	289
201.	Cochin Oil Refinery	290
202.	Suicides in Delhi	290
203.	International Youth Camp in U.A.R.	290
204.	Sanskrit Manuscript in Russia	291
205.	Economic Offences Division	291
206.	National Register of Scientists	292
207.	International University at Nalanda	292
208.	Petro-chemical Industries and Oil Refinery in Heldia	292-93
209.	University Grants Commission	293
210.	Properties of refugees in East Pakistan	293
211.	Chinese Detenus.	293-94
212.	Scientific Talent Search	294
213.	Backward Classes Students Sent Abroad.	294-95
214.	Grants to Educational Institutes in Punjab	295-96
215.	Educational Survey for Secondary Education	296
216.	Oil Companies Conversion into Rupee Companies	296-97
217.	Text Books for Delhi Schools	297
218.	Private Engineering Colleges in Mysore	297
219.	Indian Dacoits in Pakistan	297
220.	Archaeological find in Tikamgarh (M.P.)	298
221.	Archaeological Excavations at Kalibanga	298-99
222.	Investigation regarding letter published in Italian Newspaper	299
223.	Refinery Agreement	299
224.	Inter-University Board Meeting	299-300

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
225	देहाती संस्थायें	३००
226	भारतीय पेट्रोलियम संस्था, देहरादून	३००–०१
227	रूसी शिक्षा विशारदों का आगमन	३०१
228	तकनीकी शिक्षकों का केन्द्रीय एकक	३०१–०२
229	दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों का विकास	३०२
230	प्रादेशिक तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थायें	३०२
231	संघ राज्य-क्षेत्रों में अध्यापकों का वेतन-स्तर	३०२–०३
232	पंजाब में कालिज	३०३
233	"सदाचार" पत्रिका	३०३
234	नागाविद्रोहियों द्वारा नागाओं के मुखिया का अपहरण	३०३–३०४
235	काशी के निकट पुरातत्वीय खुदाई	३०४
236	पेट्रो-रसायन और उर्वरक के लिये विदेशी सहायता	३०४
237	दिल्ली में किंग्सवे का पुनर्विकास	३०४–०५
238	भारतीय टेनिस खिलाड़ी	३०५
239	डेनिश छात्रवृत्तियां	३०६
240	अमरीकी पाठ्य-पुस्तकों का पुनर्मुद्रण	३०६
241	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थायें	३०७
242	सदाचार समिति	३०७–०८
243	संगीत नाटक अकादमी	३०८
244	दिल्ली विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय भाषायें	३०९
245	गृह-कल्याण केन्द्र	३०९

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGE
225.	Rural Institutes	300
226.	Indian Institute of Petroleum, Dehra Dun	300–01
227.	Visit of Soviet Educationists	301
228.	Central Pool of Technical Teachers	301–02
229.	Development of Areas around Delhi	302
230.	Regional Technical Teachers' Training Institutes	302
231.	Pay-scale of Teachers in Un on Territories	302–03
232.	Colleges in Punjab.	303
233.	Magazine "Sadachar"	303
234.	Kidnapping of Naga Chiefs by Hostiles	303–04
235.	Archaeological Excavations Near Kashi	304
236.	Foreign Assistance for Petro-Chemicals and Fertilizers	304
237.	Redevelopment of Kingsway in Delhi	304–05
238.	Indian Tennis Players	305
239.	Danish Scholarship	306
240.	Reprint of American Text Books	306
241.	Indian Institutes of Technology	307
242.	Sadachar Samiti	307–08
243.	Sangeet Natak Akadami	308
244.	Modern Indian Languages in Delhi University	309
245.	Griha Kalyan Kendras	309

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	३१०
श्री एस० सी० गुप्त . .	३१०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
(1) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा अपनी बहुत सी सेवाओं को स्थगित करने के बारे में किया गया कथित निर्णय . .	३१०–११
श्री हरिश्चन्द्र माथुर .	३१०
श्री कानूनगो	३१०
(2) सालिसिटर-जनरल श्री एच० एन० सान्याल की हत्या	३२६
श्री यशपाल सिंह . .	३२६
श्री नन्दा	३२६
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३११–१२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियालीसवां प्रतिवेदन .	३१२
कार्य-मंत्रणा समिति—	
उन्तीसवां प्रतिवेदन . . .	३१३
खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव—	
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	३१४—१६
श्री राधेलाल व्यास .	३१६—१८
डा० राम मनोहर लोहिया	३१८–१९
श्री करुथिरमण	३१९–२०
श्री रा० गि० दुबे	३२०–२१
श्री बीरेन दत्त	३२१
श्री सिंहासन सिंह	३२१–२२
श्री बृज राज सिंह .	३२२
श्रीमती जयाबेन शाह	३२२–२३
श्री सेझियान . . .	३२४–२५
महाराज कुमार विजय आनन्द	३२५
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी .	३२७–२८
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा .	३२८–२९
श्री नम्बियार . . .	३२९
अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बारे में	३२७–२९

Subject	PAGES
Obituary Reference	310
Shri S. C. Gupta	310
Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—	
Reported decision of Indian Airlines Corporation to suspend many of its services	310–11
Shri Harish Chandra Mathur	310
Shri Kanungo	310
(ii) Murder of Shri H. N. Sanyal, Solicitor General	326
Shri Yashpal Singh	326
Shri Nanda	326
Papers laid on the Table	311–12
Committee on Private Members' Bills and Resolutions—Forty-sixty Report	311
Business Advisory Committee—	
Twenty-ninth Report—	313
Motion Re. Food Situation—	
Shrimati Tarkeshwari Sinha	314—15
Shri Radhelal Vyas	316—18
Dr. Ram Manohar Lohia	318–19
Shri Karuthiruman	319–20
Shri R. G. Dubey	320–21
Shri Biren Dutta	321
Shri Sinhasan Singh	321–22
Shri Brij Raj Singh	322
Shrimati Jayaben Shah	322–23
Shri Sezhiyan	324–25
Maharajkumar Vijaya Ananda	325
Dr. L. M. Singhvi	327–28
Shri Inder J. Malhotra	328–29
Shri Nambiar	329
Re. Discussion on No-Confidence Motion	327—29

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 9 सितम्बर, 1964/18 भाद्र, 1886 (शक)

Wednesday, September 9, 1964/Bhadra 18, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. SPEAKER *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTINOS

सिन्दरी फर्टिलाइजर्स में हड़ताल

+
*61. डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेम राज :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सोलंकी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री बागड़ी :
श्री बाल्मीकी :
श्री बासप्पा :
श्री प्र० के० देव :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री कजरोलकर :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्दरी फर्टिलाइजर्स में जुलाई, 1964 में हड़ताल किन कारणों से हुई;

(ख) हड़ताल के कारण उत्पादन में कुल कितना नुकसान हुआ ; और

(ग) 1962–63 में उस कारखाने में कुल कितनी हड़तालें हुईं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) जिन परिस्थितियों के कारण जुलाई, 1964 में सिन्दरी उर्वरक कारखाने में हड़ताल हुई और जिस के कारण सिन्दरी के प्रबन्धकों को 22 जुलाई, 1964 के सवेरे से मजबूर होकर तालाबन्दी करने की घोषणा करनी पड़ी, वे निम्न प्रकार हैं :—

2. राज्य सरकार ने सितम्बर, 1962 में प्रबन्धकों और सिन्दरी मजदूर यूनियन के बीच तीन मामलों (issues) को बिहार इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास न्याय-निर्णय (adjudication) के लिए भेजा। ये तीन मामले मजदूरों की विभिन्न सूचियों के वेतन और भत्तों के विभेद और असमानता (discrimination & disparity) को दूर करने एंव वेतन-मान (pay scale) के उचित पुनरीक्षण (revision) युक्ति पूर्ण (rational) आधार पर महंगाई भत्ते को निश्चित करना और निवृत्ति उपदान स्कीम (retiring gratuity scheme) को लागू करने से सम्बन्धित थे।

3. बिहार इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने उपर्युक्त मामलों पर 28 अप्रैल, 1964 को अपना पंचाट (Award) दिया, जो 3 जुलाई, 1964 को लाग हुआ। उपर्युक्त पैरा 2 में बताये गये पहले मामले के बारे में ट्रिब्यनल ने निर्णय किया कि निगम द्वार तकनीकी सुपरवाईज़री स्टाफ (Supervisary Staff) के विषय में पहलें से ही किये गये पुनरीक्षण को दृष्टि में रखते हुए उन कर्मचारियों को जिनकी समस्या पेश की गई थी, न्यूनतम मूल मजदूरी और अधिकतम मूल मजदूरी को क्रमशः 20 प्रतिशत और 15 प्रतिशत बढ़ाया जाए। यह भी निर्णय हुआ कि निम्न श्रेणी के बेहुनर-मज़दूरों के तरक्की मान की अवधि (span) को 10 सालों और अन्य श्रेणियों के लिए 15 सालों तक बढ़ाया जाए। ट्रिब्यूनल ने अनुबन्ध किया कि पुनरीक्षित मान (Revised scale) पहली अप्रैल, 1963 से लागू होंगे और पंचाट में निर्दिष्ट की गई अपर्यवेक्षों (non-supervisory) स्टाफ की कई श्रेणियों के लिए यह पुनरीक्षण लागू नहीं होगा अन्यथा ऐसी दशा में जबकि पुनरीक्षित मान उनके लिए अधिकतर लाभदायी हो, इस हालत में उनको पंचाट द्वारा मंजूर किये गये स्केलों (scales) को अपनी इच्छा से चुनने का हक होगा। ट्रिब्यूनल के पंचाट द्वारा किये गये पुनरीक्षण के अन्तर्गत मजदूरों की कुल संख्या 3611 है और जिन को इस पंचाट से कोई लाभ नहीं हुआ, उनकी संख्या लगभग 3500 है।

दूसरे मामले (अर्थात् युक्तिपूर्ण आधार पर महंगाई भत्ते को निश्चित करना) पर ट्रिब्यूनल ने निर्णय किया कि भविष्य में महंगाई भत्ते को आल इण्डिया कन्जूमरज़ प्राईस इण्डैक्स नम्बर (All India Price Index Number) से मिलान करते हुए नियमित किया जाना चाहिए।

निवृति उपदान स्कीम को लागू करने सम्बन्धी तीसरे मामले के बारे में ट्रिब्यूनल ने निदेश दिया कि पंचाट द्वारा निदिष्ट लाइन पर प्रबन्धकों को उपदान के लिए एक स्कीम लागू करनी चाहिये।

4. सिन्दरी में उर्वरक कारखाने के मजदूरों की यूनियन पिछले तीन या चार सालों से गुटों (faction) में बट चुकी है। जिन में से एक गुट यूनियन के प्रत्यायित नेता (accred ited spokesman) की मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्धकों से कुछ समय से आन्दोलन करता रहा। प्रबन्धकों ने दोनों ग्रुपों को पंचाट के आशय को स्पष्ट रूप से बता दिया था और यह भी निर्णय किया गया था कि 1-4-1963 की पूर्व-व्याप्ति (retrospectively) से वेतन-पुनर्नियतन और तरक्की सम्बन्धी मान क कारण होने वाली किसी वसूली (recover ies का अभित्याग किया जाए।

5. 15-7-1964 को उन कर्मचारियों को बकाया रकम का भुगतान किया गया जो पंचाट सम्बन्धी वेतन संरचना के पुनरीक्षण के अन्तर्गत थे। वे कर्मचारी, जिन्हें, इस पुनरीक्षण से कोई लाभ नहीं हुआ, यूनियन के एक गुट द्वारा उसी दिन जन समूह (mass meeting में दिये गये भाषणों से हड़ताल के लिए उकसाये गये। इस प्रचार का पहला परिणाम परिवहन विभाग में मन्द गति से कार्य करने के रूप में देखा गया जबकि 15 जुलाई, 1964 की रात की पारी में इंजन ड्राइवरों, टिंडलों (tindals) और दूसरे मजदूरों न गैस प्लांट से राख निकालने के लिए खाली वैगनों को रखने में मन्द गति से कार्य किया। 16 जुलाई को बैठे रहो और मन्द गति से काम करो की हड़ताल अन्य प्लांटों में भी फैल गई।

6. यूनियन और आई एन० टी० यू० सी० (INTUC) के अधिकारियों के साथ हुए वाद-विवाद के समय इस बात का पता चला कि सिन्दरी मजदूरों की कई श्रेणियों ने प्राप्त होने वाले पंचाट के निबन्धों से अधिक मांग की। 21 जुलाई, 1964 को बिहार लेबर कमिश्नर द्वारा परियोजित त्रिपक्षीय सम्मेलन में सिन्दरी के मजदूरों की न्यूनतम आशाओं (expectations) को पेश किया गया, एक मुख्य मांग यह थी कि सारे कर्मचारियों के मौजदा मजदूरी पर 20 प्रतिशत की समान वृद्धि (flat increase) की जाए, जिसका प्रभाव उनकी तरक्की सम्बन्धी मान और स्केलों (scales) के विस्तार पर न पड़े। यह मांग स्पष्टतया अवैध थी, क्योंकि इस से ट्रिब्यनल के वेतन सम्बन्धी पुनरीक्षण निर्णय पर सीधी चुनौती थी। यूनियन अथवा प्रभावित मजदूरों के लिए यह सम्भव था कि वे ट्रिब्यूनल के निर्णय के विपरीत अपील करें, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। 18 जुलाई, 1964 को बिहार राज्य सरकार ने यह हड़ताल अवैध घोषित की और हड़ताल के प्रयोजकों को सरकार द्वारा इसे शीघ्र खत्म करन के लिए बताया गया परन्तु इस सुझाव को नहीं माना गया।

7. हड़ताल करने वालों ने कारखाने के अन्दर शरारतें शुरू कीं और 18 जुलाई से 21 जुलाई 1964 तक अनेक घटनाओं की रिपोर्टें मिलीं। कारखाने के अन्दर 21 जुलाई, 1964 को तोड़-फोड़ की गम्भीर घटना घटी जबकि गैस प्लांट के एक Primary Air blower के holding-down clamp bolt और main bearing boltt को ढीला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मोटर को हानि हुई और गैस प्लांट पूर्णतया बन्द हो गया। इन कार्यों के परिणामस्वरूप और प्लांट की सुरक्षा के लिए प्रबन्धकों ने मजबूरन 22-7-64 को प्रातः 6 बजे से कारखाने की तालाबन्दी की घोषणा की।

8. तालाबन्दी को अंशतः 1 अगस्त से हटा दिया गया और कारखाने ने प्रतिबन्धित रूप से (restricted scale) कार्य करना शुरू किया, जोकि 5 अगस्त के सवेरे को अन्तिम रूप से हटा दी गई और इसी समय में बहुत से मजदूरों को जिन्होंने वापिस कार्य पर आ जान की इच्छा प्रकट की थी, उनके पूर्ववृत (antecedents) की जांच करने और शान्ति से कार्य सम्पन्न करने और प्रबन्ध समिति के कानूनी आदेशों का पालन करने का वचन देने क बाद, काम पर आ जान की आज्ञा दी।

9. इस तालाबन्दी में कई विभागों और सेवाओं ने जैसे प्रशासन, जल सेवा, अस्पतालों, अग्नि-रक्षा, टैलीफोन और कारखाने के सुपरवाइज़रों ने लगभग 2700 पुरुषों के साथ लगातार कार्य जारी रखा।

(ख) हड़ताल और 14 दिन की तालाबन्दी के कारण उत्पादन में हुई कुल हानि का अनुमानित मूल्य 68,77,000 रुपये था और उर्वरकों की मात्रिक हानि इस प्रकार थी :—

अमोनियम सलफेट	16,950 मीटरी टन
डबल साल्ट	1,700 मीटरी टन
यूरिया	1,172 मीटरी टन

(ग) 1962-63 में कोई हड़ताल न हुई। फिर भी कारखाने में 23 सितम्बर से 26 सितम्बर, 1963 तक हड़ताल हुई थी।

डा० रानेन सेन : विवरण देखने से पता चलता है कि सिन्दरी फर्टिलाइज़र्ज में यह गड़बड़ तो दो वर्ष से अधिक से चल रही थी और 1964 में बिहार श्रम आयोग द्वारा एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया गया था। इससे पूर्व एक न्यायाधिकरण था। चूंकि यह संयंत्र केन्द्रीय सरकार के अधीन था, अतः ऐसी कोई बात होने से पहले ही श्रम मत्रालय ने मजदूरों और प्रबन्धकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये प्रत्यक्ष रूप से क्या कार्यवाही की ?

श्री अलगेशन : जब भी कोई गड़बड़ होती थी तो उसको दूर करने में बिहार श्रम विभाग निश्चय ही हमें अपना सहयोग देता था। वास्तव में स्वयं यूनियन में ही आपसी प्रतिद्वन्द्विता के कारण अधिकांश में गड़बड़ बढ़ी थी जिसके फलस्वरूप गत जुलाई में अवैध हड़ताल हुई। अतः बिहार श्रम विभाग के सहयोग अथवा सहायता में कोई कमी नहीं थी ; वह विभाग तो सक्रिय रूप से हमारी सहायता कर रहा था और कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा था।

डा० रानेन सेन : माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि संकट का मुख्य कारण विभिन्न संघों का आपसी झगड़ा था। मेरे प्रश्न का न्यूनाधिक यही उत्तर दिया गया है। चूंकि सरकारी उपक्रमों में,

चाहे वह भूप ल हो अथवा सिन्दरी फर्टिलाइज़र्स हमें सदैव ही गड़बड़ रही है, क्या भारत सरकार ने ऐसी कोई प्रत्यक्ष कार्यवाही की है अथवा करने का विचार रखती है जिससे कि ये गड़बड़ अथवा दंगे अथवा तालाबन्दियां कम से कम हो जा ं ?

श्री अलगेशन : हम सब इस बात के लिये बहुत बेकरार हैं कि औद्योगिक शांति होनी चाहिये और उत्पादन पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिये। जब भी मजदूर अपनी मांगें रखते हैं उन पर उचित ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिये सिन्दरी का मामला लीजिये। अगस्त 1962 में मजदूरों की ओर से 15 मांगें रखी गई थीं जिन में से 12 मांगें समझौते के लिये भेज दी गई थीं। तीन अन्य मांगें न्यायनिर्णयन के लिये बिहार औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेज दी गई थी। यह गड़बड़ न्यायाधिकरण के पंचाट के कारण हुई। पंचाट अप्रैल में दिया गया था और जुलाई से लागू कर दिया गया था। अत: जब भी कोई उचित मांग होती थी और जब भी मजदूरों की ओर से अभ्यावेदन किये जाते थे हम उनके प्रति जागरूक रहते थे और या तो मामले को शीघ्र निबटा देते थे या फिर उसे न्यायनिर्णयन के लिये भेज देते थे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि गड़ बड़ का मुख्य कारण यह था कि सरकार ने मंहगाई भत्ते में 7 रु० की सामान्य वृद्धि करने से इनकार कर दिया था जो कि केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को दिया जाता था।

श्री अलगेशन : हम ने सभा पटल पर एक बहुत लम्बा और व्यापक विवरण रख दिया है और और ये सब ब्योरे विवरण में दिये हुए हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जिस तरीके से हिन्दुस्तान इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटिड और अन्य निगमों के कर्मचारियों को महगांई भत्ता दिया जाता है उसी तरीके से सिन्दरी कारखाने के मजदूरों को महंगाई भत्ते की सामान्य वृद्धि देने के सम्बन्ध में विवरण में कुछ नहीं दिया गया है।

श्री अलगेशन : जब कि सारा मामला न्यायाधिकरण को भेज दिया गया था और न्यायाधिकरण ने अपना पंचाट दे दिया था, तो हम इक तरफा तरीके से इस में परिवर्तन नहीं कर सकते थे और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने का अधिकार था। इसमें परिवर्तन केवल अपील के द्वारा किया जा सकता था।

Shri Vishram Prasad : Whether there was any Political Party at the back of the strike and if so, the name of the Party?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : किसी राजनैतिक दल का कोई प्रश्न नहीं है ; श्रमिक सम्बन्धी प्रश्नों पर स्वयं संघ में कुछ मत भे ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच नहीं है कि 21 तारीख की रात्रि को जब कि चर्चा जारी थी बिहार के श्रम आयुक्त ने यह सुझाव दिया था कि मामला भारत सरकार के श्रम मंत्री और उप-श्रम मंत्री को सौंप दिया जाय, और यह सुझाव मजदूर संघ ने स्वीकार कर लिया था और यदि हां, तो अगले दिन सुबह को तालाबन्दी क्यों कर घोषित की गई।

श्री अलगेशन : इसका उल्लेख विवरण में किया गया है। बहुत से माननीय सदस्यों के पास विवरण की प्रतियां नहीं होंगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह बात विवरण में दी हुई है तो माननीय मंत्री को उसका उत्तर देने की जरूरत नहीं।

Shri Yashpal Singh : May I know the extent to which the production has been affected due to this strike and whether we have to import fertiliser on account of this strike?

श्री हुमायूं कबिर : यह सब विवरण में दिया गया है ।

Shri Yashpal Singh : It is not clear what quantity of fertiliser we have to import ?

Mr. Speaker : Apart from this there can be other reasons for importing.

Shri Yashpal Singh : It is not clear how much we are importing.

श्री स० मो० बनर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिन्दरी कारखाने के मजदूरों की मांग यह थी कि उनको वही सुविधाएं , मजदूरी और अन्य भत्ते दिये जायें जो कि केंद्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को दिये जाते हैं, सिन्दरी कारखाने के मजदूरों के मामले में केंद्रीय सरकार के वेतन मान और महंगाई भत्ते क्यों लागू नहीं किये गये हैं ?

श्री अलगेशन : न्यायनिर्णय के लिये जो मांगें भेजी थीं वे इस प्रकार हैं : (1) महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाये और निर्वाह व्यय देशनांक के आधार पर दिया जाये . . .

श्री स० मो० बनर्जी : वह केवल एक बात को ले रहे हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : जो उन्होंने कहा है मैं उसका स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न करूंगा और यदि फिर भी वह संतुष्ट न हों तो प्रश्न पूछ सकत हैं। उनका यह कहना है कि क्योंकि इस मामले को न्यायाधिकरण को भेजा गया था और न्यायाधिकरण ने अपना पंचाट दे दिया था, इसलिये हम उस पंचाट से बद्ध थे । अब यह प्रश्न नहीं उठता कि अन्य कर्मचारियों को जो सुविधाएं प्राप्त हैं उन्हें इस मामले में लागू करना चाहिये अथवा नहीं । इस मामले से इनका कोई संबन्ध नहीं है क्योंकि यह मामला न्यायाधिकरण को भेज दिया गया था और पंचाट दे दिया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं उत्तर को समझ गया हूं । केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता समय समय पर बढ़ाया गया है, चाहे एच० इ० एल० हो अथवा एच० इ० सी० अथवा अन्य कोई उपक्रम सब के लिये एकसमान दर लागू की जाती है । मेरा प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार ने एक उपक्रम के कर्मचारियों पर यह रोक क्यों लगा रखी है बावजूद इसके कि उस उपक्रम के एक झगड़े को न्यायनिर्णयन के लिये भेजा गया है।

श्री अलगेशन : यदि मामला न्याय निर्णयन के लिये नहीं भजा गया होता तो यह सभी प्रश्न संगत थे । न्यायनिर्णयन के लिये जो प्रश्न भेजे गये थे उनका फैसला हो गया था । उदाहरणार्थ न्यायाधिकरण ने सभी मजदूरों के लिये निवृत्ति उपदान योजना मंजूर की जो कि अन्य उपक्रमों के मजदूरों को प्राप्त नहीं हैं (**अन्तर्बाधायें**) पंचाट के परिणामस्वरूप मजदूरों को 13 लाख रु० का लाभ हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : वह सर्वथा भिन्न बात है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What was the number of demands made by those labour organisations? How many of them were accepted and how many rejected?

Mr. Speaker : All these details are given in the statement.

Shri Prakash Vir Shastri : It is given in the statement that heavy losses have been sustained due to this strike. There are similar strikes in other

Factories also. May I know the steps Govt. propose to take to stop these strikes during this period of emergency.

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत सामान्य प्रश्न है ।

श्री मुहम्मद इलियास : क्या वहां पर कोई कार्य समिति अथवा परामर्शदाता समिति काम कर रही है जिसके द्वारा इन झगड़ों को निबटाया जा सके ?

श्री अलगेशन : वहां एक संघ थी जिसके साथ प्रबन्धक अब तक बात चीत कर रहे थे . . . . . .

श्री मुहम्मद इलियास : मैं संघ के बारे में नहीं पूछ रहा हूं । औद्योगिक विवाद अधिनियम अथवा कारखाने अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक कारखाने में मजदूरों और प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों की कार्य समिति होनी चाहिये । क्या वहां पर ऐसी समिति काम कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री अलगेशन : कठिनाई यह है कि यह संघ पद ग्रहणकर्ताओं के नियमित चुनावों के बिना ही वर्षों से काम कर रही है । हम राज्य श्रम विभाग की मंत्रणा का पालन कर रहे थे . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत सीधा सा है । क्या वहां पर कोई कार्य समिति काम कर रही है अथवा नहीं ?

श्री अलगेशन : मैं तत्काल नहीं बता सकता ।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि बिहार सरकार के श्रम विभाग की मंत्रणा के विरुद्ध चेयरमैन प्रबन्धकों ने हड़ताल के हालात बताये ? यदि हां, तो क्या सरकार सिन्दरी के सम्पूर्ण मामले की जांच के लिये आदेश देगी ?

श्री अलगेशन : जी, हां । ऐसा ही हुआ । यह बहुत दुर्भाग्य की बात है । मैं नहीं समझता कि विशेष जांच के लिये आदेश देने की कोई आवश्यकता है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : विवरण के अनुसार बड़ी तोड़ फोड़ की गई है जिसके परिणाम-स्वरूप बहुत नुकसान हुआ है और गैस संयंत्र भी बन्द हो गया है । यदि ऐसा है तो क्या कोई दायित्व निर्धारित किया गया है और सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अलगेशन : अनेक व्यक्तियों को निलिम्बत किया गया था और जब तालाबन्दी हटा दी गई थी मजदूरों में व्यापक रूप से यह इच्छा होने के कारण कि उन्हें काम पर वापस आना चाहिये, इसको हटाया गया था—तो उन में से बहुत सों को कुछ संतुष्टि करने के पश्चात काम पर वापस ले लिया गया था । लगभग 20 मजदूरों के विरुद्ध कार्यवाही होनी है ।

मुरुड में विदेशी जहाज का जबर्दस्ती उतारा जाना

+

डा० रानेन सेन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प० कुन्हन :
श्री रामनाथन् चेट्टियार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हेम बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री हेम राज :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री कोल्ला वेंकैया :
*62. श्री बागड़ी :
श्री जं० ब० सिं० विष्ट :
श्री विभूति मिश्र :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री स्वैल :
श्री बसवन्त :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री म० न० स्वामी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री विश्राम प्रसाद :
डा० सारादीश राय :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री बड़े :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री श्रीनारायण दास :

श्री सोलंकी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री दाजी :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पु० र० पटेल :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री प्र० के० देव :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री शिवचरण गुप्त :
श्री रा० बरुआ :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री कृ० चं० पन्त :
श्री नम्बियार :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 जून, 1964 को दो विदेशियों ने महाराष्ट्र में मुरुड या उसके पास अपने हवाई जहाज को उतारा और उसे छोड़कर के बम्बई से पाकिस्तान भाग गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना की जांच की गई ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3024/64] ।

डा० रानेन सेन : जब वास्तव में इन बातों का पता था तो दोषी व्यक्तियों को तुरन्त पकड़ने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई थी ?

श्री हाथी : वे भारत से जा चुके थे, अत: उनको यहां पकड़ने का कोई प्रश्न नहीं था।

Shri Vishram Prasad : They made a forced landing in Maharashtra. Is there no such machine with our Aviation Department as would indicate the landing of a Foriegn aircraft in our country?

श्री हाथी : विमान से उतरते ही उसका पता लग गया था, परन्तु इससे पूर्व कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी।

श्री नाथ पाई : माननीय मंत्री ने सभा पटल पर जो विवरण रखा है उसमें श्री जोन फिल्बी के पहिचाने जाने की बात को बड़े ढंग से छिपाया गया है। क्या यह जोन फिल्बी वाल्कांट ही नहीं है; और (ख) विवरण में तो केवल एक जमादार और एक हैड कांस्टेबल के विरुद्ध कार्यवाही करने का जिक्र किया गया है। क्या सरकार बली के बकरे ढूंढने के अतिरिक्त कुछ और भी करने जा रही है . . .

अध्यक्ष महोदय : उन्हें काफी अवसर मिल गया ।

श्री नाथ पाई : सो तो ठीक है, परन्तु इससे मुझे अच्छी तैयारी करने में सहायता मिलेगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल एक प्रश्न की अनुमति देता हूं ।

श्री नाथ पाई : प्रश्न का भाग (क)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

श्री नाथ पाई : क्या सरकार जमादारों जैसे छोटे कर्मचारियों को बली का बकरा बनाने के अतिरिक्त, यह पता लगाने का प्रयत्न कर रही है कि क्या उच्च स्तरों पर कोई जिम्मेदारी थी या नहीं और क्या पुलिस और सीमा शुल्क के कुछ उच्च अधिकारी तस्कर व्यापारियों के इस जत्थे से मिले हुए नहीं थे ?

श्री हाथी : प्रश्न का पहला भाग यह है कि विवरण में श्री वाल्काट का नाम नहीं दिया गया है, केवल जोन फिल्बी का ही नाम दिया गया है । इसका कारण यह है कि पारपत्र में श्री जोन फिल्बी का नाम दिया गया है । जांच में यह पता लगा है कि जोन फिल्बी के वाल्काट होने का बड़ा शक किया जाता है, परन्तु पहिचान अभी सुनिश्चित नहीं की गई है ।

श्री नाथ पाई : श्रीमन्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है । मैं बे मतलब कभी औचित्य प्रश्न नहीं उठाता । इस से पहले सरकारी वक्ताने अपने वक्तव्य में कहा था कि ब्रिटिश पुलिस के सामने जोन फिल्बी ने अपना वक्तव्य दिया था जोकि महाराष्ट्र पुलिस को भेज दिया गया है । उसमें कहा गया है कि विमान के चालक मेक्लाइस्टर ने पहिचान लिया था कि जोन फिल्बी वाल्काट ही थे और कोई व्यक्ति नहीं । क्या सरकार के पास ये दस्तावेज नहीं हैं, जबकि ब्रिटिश पुलिस इस पहिचान को स्वीकार करती है ? क्या विमान पर उंगलियों की छाप वही नहीं थीं जो वाल्काट की थीं ?

अध्यक्ष महोदय : इतने प्रश्न नहीं ।

श्री हाथी : मैंने अभी प्रश्न की सारी बातों का उत्तर नहीं दिया है । मैंने केवल पहले भाग का उत्तर दिया था । दूसरा भाग . . . .

अध्यक्ष महोदय : वह केवल दूसरे भाग का ही उत्तर दें ।

श्री हाथी : मेरे दृष्टिकोण से दूसरा भाग भी महत्वपूर्ण है । उन्होंने कहा कि केवल एक जमादार ही गिरफ्तार किया गया है अन्य नहीं । जैसाकि विवरण में दिया गया है दूसरा व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है वह आई० ए० सी० का एक कर्मचारी है जो हमारे विचार में इस घटना के लिये जिम्मेदार है । यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ मिनट में ही सारी बातें बता दूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर नियमित रूप से चर्चा होगी ।

श्री नाथ पाई : मेक्लसाइस्टर ने ब्रिटिश पुलिस को जो वक्तव्य दिया था, क्या मंत्री जी को उसकी प्रति मिल गई है, मेरे इस प्रश्न का क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि उनको नहीं मिली है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या माननीय मंत्री का ध्यान, समाचारपत्रों में प्रकाशित, कैप्टन मैक्लिइस्टर के लन्दन पुलिस को दिये गये इस वक्तव्य की ओर गया है, कि एक 'नौवक', बम्बई स्थित सम्पर्क स्थापित करने वाले व्यक्ति, ने उन्हें मुरुड पर, जो कि वास्तव में उनका गंतव्य स्थान था, उतरने के लिये हरी बत्ती का संकेत नहीं दिया, और यदि हां, तो क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि यह निश्चित स्थान उन अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापारियों के कार्य के लिये एक स्थल के रूप में चुना गया था और क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है कि उनकी इस ढंग से कार्य-वाही करने में कुछ स्थानीय लोगों का भी हाथ था ?

श्री हाथी : अपनी जांच के दौरान हमें इस घटना के विभिन्न चिह्न मिले हैं । इंगलैंड और अन्य देशों में भी अग्रेतर जांच आवश्यक है । हमने एक पदाधिकारी को उस देश में भेजा है । इसके अतिरिक्त, जैसाकि मैंने विवरण के अन्तिम पैरे में बताया है जांच अन्तर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन द्वारा भी की जा रही है और उसने बताया है कि ऐसे और भी देश हैं जहां पर शायद इन लोगों ने कार्यवाही की है और इस अवस्था पर और अधिक जानकारी देने से हो सकता है जांच के कार्य को हानि पहुंचे । परन्तु हमने एक अधिकारी को भेजा है; वह जांच कर रहा है और सभी सुरागों को इकट्ठा कर रहा है जिनके द्वारा हम एक पूरा मामला तैयार कर सकेंगे ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : जांच के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

श्री हाथी : जैसाकि मैंने बताया अन्तर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन अन्य देशों के मामलों की भी जांच कर रहा है; हो सकता है जांच पूरा करने में वह कुछ और समय ले । मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि जांच में कितना समय लगेगा ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार के पास इस बात का कोई प्रमाण है कि श्री फिल्बी—अथवा वह जो भी व्यक्ति है—का यह दौरा इस देश का पहला दौरा है, अथवा उसने वाल्कॉट की पालम हवाई अड्डे से उड़ाने के पश्चात् भी कभी इस देश का दौरा किया है ?

श्री हाथी : यदि यह व्यक्ति जोन फिल्बी है तो शायद यह उसका पहला दौरा है । परन्तु यदि वह व्यक्ति निश्चय ही वाल्कॉट है तो यह उसका पहला दौरा नहीं है अपितु इससे पहले वह कई दौरे कर चुका है ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय जालसाज दल तस्करी के उद्देश्य से पहिले भी भारत आया था और महाराष्ट्र पुलिस को इस बारे में पर्याप्त सूचना थी कि यह दल पहिले भी भारत में तस्कर व्यापार करता था तथा मुरुड नामक स्थान इनके कारबार का अड्डा था और उन्हें वहां के रहने वाले जानते थे ?

श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि सभी तस्कर व्यापारियों के कारबार का अड्डा मुरुड में था ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस दल के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री हाथी : किन्तु इस दल के कुछ सदस्यों पर संदेह किया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सरकार ने मामले की भारत में आगे जांच करने के लिये मेक लास्टर नामक व्यक्ति के, जिससे लन्दन पुलिस ने पूछताछ की थी, प्रत्यार्पण के लिये कहा है ?

श्री हाथी : हमने इस कार्य के लिये दो अधिकारी लन्दन भेजे हैं । इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि उसका प्रत्यार्पण हो सकता है अथवा नहीं ।

Shri M. L. Dwivedi : The foreigners who landed at Murud left their plane there. What has been done by the Government with regard to that plane and are any extradition proceedings going against them?

Shri Hathi : The plane is in the custody of the Government and the proceedings are going on for extradiction.

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या वायुयान के मालिकों का पता लग गया है, और यदि हां, तो क्या वे इस रहस्यमय उड़ान करने वालों की समस्या को हल करने में अधिकारियों के लिये सहायक सिद्ध हुए हैं ?

श्री हाथी : इस बारे में भी जांच की जा रही है । हमने वायुयान तथा उसके मालिकों का पता लगा लिया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री अथवा विशेष गुप्तचर विभाग द्वारा इस बात का पता लगाया गया है कि वाल्कॉट एक तस्कर है और उसके तस्कर व्यापार में बम्बई के कुछ बड़े व्यापारी तथा भूतपूर्व मंत्रियों के लड़के भी शामिल हैं ?

श्री हाथी : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वाल्कॉट या [अन्य किसी व्यक्ति ने कोई विशेष तस्करी की है; किन्तु हमने इस सम्बन्ध में कुछ जांच की है । मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि ये बड़ें व्यापारी हैं अथवा छोटे किन्तु हमने एक या दो व्यक्तियों का पता लगा लिया है । अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि उनका सम्बन्ध तस्करी के किस मामले से है ।]

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that some action has been taken against those persons who have made a demand for that plane which is in India?

Shri Hathi : Nobody has made any demand.

Shri Sheo Narain : May I know the name of the officer, who was deputed to make enquiries regarding the actual identity of that fo reigner, whether he was Walter Scott or some other person whose name has been mentioned? How far was it proper for the officer to issue two identity cardstc the same person ?

Shri Hathi : I could not follow.

Mr. Speaker : Then let it be taken up later.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इन साहसिक उड़ानों से होने वाले कटु अनुभव को ध्यान में रखते हुए भविष्य में तस्करों द्वारा इस प्रकार की मनमर्जी से की जाने वाली उड़ानों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ।

श्री हाथी : तस्करी को रोकने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं । किन्तु इस मामले में वे एक विचित्र में आये ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या इस घटना से यह प्रकाश में आई है कि हमारे तटों पर सुरक्षा व्यवस्था में खोखलापन है ? क्या अब हमारी सुरक्षा को मजबूत किया गया है अथवा वाल्कॉट के यहां आने तथा अशोक होटल में हथियार छोड़ जाने के बाद भी हम चुप बैठे हैं।

श्री हाथी : हमारी सुरक्षा व्यवस्था के खोखलेपन का कोई प्रश्न नहीं है। हमारा तटीय क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसके प्रत्येक मील पर सुरक्षा चौकी स्थापित करना असंभव है।

श्री हेम बरुआ : श्री शिव नारायण ने वाल्कॉट नाम का प्रयोग करने के बजाय वाल्टर स्काट नाम का प्रयोग किया है। हम नहीं चाहते कि इतने प्रसिद्ध उपन्यासकार की स्मृति कलुषित हो। अतः क्या आप इसे कार्यवाही से निकालने का आदेश देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही से निकालने की आवश्यकता नहीं है। कोई उत्तर नहीं दिया गया था। मैंने ऐसा कहा है।

श्री कृष्णपाल सिंह : नियमानुसार कुख्यात अपराधियों के चित्र तथा विवरण पुलिस स्टेशनों, रेलवे स्टशनों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों को भेजे जाते हैं और उन्हें इन स्थानों पर प्रदर्शित किया जाता है। क्या वालकॉट का चित्र तथा उसका विवरण मुरुड़ थाने में भेजा गया था जहां पर उसके बारे में रिपोर्ट की गई थी ?

श्री हाथी : ऐसे अपराधियों के चित्र हवाई अड्डों को भेजी जा रही हैं। ऐसे अपराधी लगभग ६,००० हैं जिन्हें विभिन्न देशों को तलाश है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या विमान नियंत्रण को इस सम्बन्ध में प्रातः ७.३५ पर सूचना दी गई थी जब कि शान्ताक्रुज हवाई अड्डे से विमान प्रातः ११.५५ पर उड़ा था। विमान नियंत्रण कार्रवाई की जबकि उनके पास इसके लिये काफी समय था।

श्री हाथी : माननीय सदस्य को वक्तव्य पढ़ने से ज्ञात होगा कि पहले यह रिपोर्ट की गई थी एक जहाज को जो क्षतिग्रस्त हो गया था, बलात नीचे उतरना पड़ा। इस जहाज के यात्रियों के पास ब्रिटेन के पारपत्र थे, और वे दुश्मन देशों से नहीं आ रहे थे। भारत छोड़ते समय भी उनके पास पार पत्र थे। उस समय उनके नाम नहीं बताये गये थे।

Shri Koshi Ram Gupta : May I know whether it has been ascertained that the officer included their name in the list of passengers, due to negligence or some corruption is also involved in it ?

श्री हाथी : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस माले में यही सारी पहेली है। आव्रजन अधिकारियों ने यात्रियों की सूची से दो यात्रियों को फालतू पाया उन्होंने इस मामले में एअर लाइन्स के अधिकारियों से मंत्रणा की। थोड़ी मंत्रणा के बाद उन्होंने उनका नाम सूची में शामिल कर लिया और कहा कि ये दोनों वास्तविक यात्री हैं। इसलिये इन अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वे वास्तविक यात्री थे, या यह घूसखोरी अथवा भ्रष्टाचार का मामला है, इसकी जांच करनी होगी।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या भारत सरकार को जानकारी है कि जॉन फिल्वी और बालकॉट इस समय कहां हैं। यदि हां, तो क्या कोई अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का पता लगाया जा रहा है ?

श्री हाथी : माननीया सदस्या मेरे पहले उत्तरों को नहीं समझ पाई हैं।

श्री स्वैन : यह सूचना मिली है कि मुरुड़ में विमान के बलात उतरने के बाद एक मछुए को दो सोने की छड़ों के साथ गिरफ्तार किया गया था। क्या सरकार ने मछुए से पूछताछ की है और क्या सरकार को उस मछुए से यह पता चला है कि इन व्यक्तियों का सम्पर्क तस्कर जासूसी के कुछ प्रभावशाली दलों से है ?

श्री हाथी : गांव के मुखिया विमान को उतरते देख कुछ ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर गया। उसने वहां दो विदेशियों को पाया जिन्हें वह पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस अधिकारी ने उनके पारपत्रों की जांच की और उन्हें ब्रिटेन का नागरिक पाया। उसने इस मामले में काफी रुचि दिखाई। यह बात विचाराधीन है कि क्या वह भी इस मामले में शामिल है ?

कुछ माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : हमें काम बहुत करना है और यह सत्र बहुत छोटा है। प्रत्येक प्रश्न के साथ ६० या ४५ सदस्यों के नाम जोड़ कर उस प्रश्न पर काफी दबाव डाला जा रहा है। यही कारण है कि मुझे अनेक सदस्यों को निराश करना पड़ता है। मुझे बहुत खेद है। अगला प्रश्न।

दास आयोग की रिपोर्ट

+

श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हेम राज :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

*63. डा० सारादीश राय :
डा० रानेन सेन :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री दलजीत सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री कोल्ला वेंकया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री बाल्मीकी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० के० देव :
श्री गुलशन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दास आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिये विशेष पुलिस प्रष्ठिान से कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों की अब तक जांच की गयी है और उनमें क्या क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाजी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that the Chief Secretary of Punjab, Shri Gian Singh Kallan, had filed certain documents in favour of ex-Minister of Punjab which were ignored by Das Commission, and if so, why has no action been taken against him ?

श्री हाथी : यह मूल प्रश्न विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा उस मामले की जांच से सम्बन्धित है । अन्य मामलों की पंजाब सरकार जांच कर रही है ।

Shri Yashpal Singh : What is the total number of officers against whom charges of corruption have been levied and prosecutions will be launched?

श्री हाथी : एक विशेष कार्य अधिकारी इस काम पर लगाया हुआ है जो कि इस समय इन मामलों की जांच कर रहा है । मैंने मुख्य मंत्री से कल ही बातचीत की थी उनका ऐसा विचार है कि इस महीने की पन्द्रह तारीख तक वह विशेष अधिकारी प्रतिवेदन दें सकेंगे जिसमें इसका उल्लेख होगा कि ऐसे कौन से अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Has the attention of the Government been drawn to the reports that the son of Sardar Pratap Singh Kairon, ex-Chief Minister of Punjab, has got large deposits of money in foreign banks and that he is trying to abscond from India ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं बता चुका हूं, पंजाब सरकार इन मामलों की जांच कर रही है ।

Shri Onkar Lal Berwa : Whether any action would be taken against those officials who do not fall in the category of ex-Minister or the existing Ministers and about who m no reference has been made in the Das Commission's report but who were actually indulging in mal-practices?

श्री हाथी : विशेष अधिकारी द्वारा जो जांच की जा रही है वह पांच प्रकार के व्यक्तियों के सम्बन्ध में होगी—एक स्वयं प्रताप सिंह कैरो के बारे में, दूसरे उनके रिश्तेदारों के बारे में, तीसरे उन सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों के बारे में जिनके कि नामों का उल्लेख आयोग ने किया है, चौथे उन गैर-सरकारी व्यक्तियों के बारे में जिनके नामों का उल्लेख दास आयोग के प्रतिवेदन में किया गया है और पांचवें उन सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों के बारे में जिनके कि नामों का उल्लेख तो दास आयोग के प्रतिवेदन में नहीं किया गया है परन्तु वे जांच के दौरान किये गये अपने अवैध अथवा अनुचित आचरण अथवा किसी गलती या भल के कारण इस मामले से सम्बद्ध हैं ।

Shri Gulshan : Has the attention of the Government been drawn to these reports that the members of the family of Shri Kairon were trying to dispose of their properties in order to evade the tax ? What is the total amount of tax due to be recovered from them ?

Shri Hathi : No information is avaialble with me about taxes. परन्तु सरकार इसकी जांच कर रही है

Shri Rameshwaranand : May I know the progress made in the work of special court appointed by the Ministry of Finance to investigate the income-tax cases of the members of Kairon family ? Is it a fact that they have tried to evade the income-tax ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि कर सम्बन्धी जांच के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ।

श्री हाथी : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी कर अपवंचन के मामलों की जांच कर रहे हैं।

श्री वें० वेंकटासुब्बया : विशेष अधिकारी के अन्तिम प्रतिवेदन के प्राप्त होने के समय तक के लिये, क्या प्रान्तीय सरकार ने कुछ केन्द्रीय अधिकारियों के पंजाब में नियुक्त किये जाने के लिये उनकी सेवाओं की मांग की है जिससे कि दास आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार जो अधिकारी किसी प्रकार के प्रभाव में हैं उन्हें इससे अलहदा रखा जा सके ?

श्री हाथी : अभी तक हमसे बहुत से अधिकारियों की सेवाओं के लिये कोई प्रार्थना नहीं की गई है। उन्होंने इन सब मामलों की जांच करने के लिये एक अधिकारी की मांग की थी और वह हम उन्हें दे चुके हैं।

Shri K. N. Tiwary : Keeping in view the conditions prevailing in Punjab do Government not deem it fit to conduct the investigations of all cases falling within the purview of Das Commission's report at the CentralGovt. level itself instead of the provincial Goverment level ?

श्री हाथी : जी, नहीं। एक विशेष अधिकारी यहां से भेज दिया गया है जो कि इस मामले की जांच कर रहा है।

Shri Prakash Vir Shastri : In a recent judgement given by the Supreme Court, the Ministers have been kept in the category of public servants under the provisions of Section 5 of Corruption Eradication Act. Whether this would be made applicable to Shri Kairon and his accomplices and cases would be filed against them on the basis of the finding of Das Commission's report ?

Mr. Speaker : This is a matter of legal advice.

Shri Prakash Vir Shastri : This is a simple question. Supreme Court has already given their decision in the matter.

Mr. Speaker : It is so simple that it need not be asked.

Shri Prakash Vir Shastri : I am asking this question because cases have not so far been filed against them.

अध्यक्ष महोदय : कानून के लागू किये जाने के बारे में यहां पर नहीं पूछा जा सकता इस बारे में निर्णय करना विधि मंत्रालय का काम है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं कि विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा जो जांच की जा रही है उससे सम्बद्ध फाइलों को नष्ट करके अथवा उनमें रद्दोबदल करके उस जांच कार्य में बाधा डाली जा रही है और क्या आगे की कार्यवाही के रूप में सरकार का विचार भतपूर्व मुख्य मंत्री की गैर काननी ढंग से अर्जित परिसम्पत को जब्त करने और उन्हें सरकारी पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य घोषित कर देने का है ?

श्री हाथी : यदि मैंने माननीय सदस्य का प्रश्न ठीक सुना है तो उन्होंने कहा है कि "विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के जांच कार्य में बाधा डाली जा रही है"।

अध्यक्ष महोदय : उनका ऐसा विचार है कि कुछ फाइलें और दस्तावेज नष्ट किये जा रहे हैं।

श्री हाथी : विशेष पुलिस प्रतिष्ठान इस मामले की जांच नहीं कर रहा है । पंजाब सरकार ने इस मामले को विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को सौंपने का प्रस्ताव नहीं किया है । इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना पंजाब सरकार का काम है ।

श्री हरि विष्णु कामत : विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा जो जांच की जा रही है उसमें बाधा डाली जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : पुलिस प्रतिष्ठान इस मामले में कोई जांच नहीं कर रहा है ।

श्री हाथी : वे इस जांच को नहीं कर रहे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : जो विशेष अधिकारी नियुक्त किये गये हैं वे जांच कर रहे ।

अध्यक्ष महोदय : यह पंजाब सरकार करा रही है ।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दे दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : वह कृपया बैठ जायें । मैं बाद में उन्हें प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा ।

श्री कपूर सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि पंजाब के अभागे सरकारी कर्मचारियों को दुहरे असंवैधानिक संकट में क्यों डाला जा रहा है, वह इस प्रकार कि जिन्होंने भूतपूर्व मुख्य मंत्री की इच्छानुसार कार्य किया था उन्हें इस सरकार द्वारा दण्ड दिया जाना है और जिन्होंने उनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं किया था उन्हें उनके द्वारा दण्ड दिया गया था ?

श्री हाथी : यह एक बहुत ही आम सवाल है । मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जो समझा दूं वह यह है कि जिन्होंने भूतपूर्व मुख्य मंत्री की आज्ञा का पालन नहीं किया था उन्हें उसके द्वारा तुरन्त दण्ड दिया गया होगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की गई होगी । और यदि उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया था तो उसके लिये उन्हें अब दण्ड दिया जा रहा है । क्या यही प्रश्न है ।

श्री कपूर सिंह : जी, हां, यही प्रश्न है ।

श्री हाथी : यदि अधिकारियों ने ठीक और उचित कार्य किया होगा तो उन्हें दण्ड नहीं दिया जायेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : दास आयोग के प्रतिवेदन को पढ़ने से यह पता चलता है कि ऐसी बहुत सी बातें बाकी रह गई हैं जिनकी जांच स्वयं श्री दास विस्तार से नहीं कर पाये थे और उनकी जांच अभी की जानी है । क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार विशेष पुलिस प्रतिष्ठान से यह क्यों नहीं कहती कि सम्बद्ध फाइलों और कागजातों को प्राप्त करने के पश्चात् वे लोग तुरन्त ही इन मामलों की जांच प्रारम्भ कर दें ?

श्री हाथी : विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वह राज्य के किसी मामले की स्वयं जांच करे, जब तक कि राज्य सरकार प्रतिष्ठान की सहायता की मांग न करे ।

श्री हरि विष्णु कामत : दास आयोग द्वारा जो गम्भीर अभ्यारोपण किया गया है उसको देखते हुए, क्या सरकार का विचार, आगे के कार्यवाही के एक अंग के रूप में, भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा गैरकानूनी ढंग से अर्जित की गई धन-सम्पत्ति को जब्त करने और उन्हें सरकारी पद के लिये अयोग्य घोषित करने का है ?

श्री उ० मू० त्रिवेदी : किस कानून के अधीन ?

श्री हाथी : यह सब कार्यवाही विशेष अधिकारी की जांच के पश्चात् उसके प्रतिवेदन पर निर्भर करेगी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : दास आयोग के ऐतिहासिक महत्व के निष्कर्षों को दृष्टिगत रखते हुए, जांच के अन्तिम रूप से पूरा होने तक उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कायवाही की गई है जो कि उस मामलें से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध थे ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं बता चुका हूं, विशेष अधिकारी के निष्कर्षों के प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही कार्यवाही की जा सकती है।

Shri Prakash Vir Shastri : On what basis was my question disallo wed?

Mr. Speaker : No question regarding the applicability or non-applicabilty of a law can be asked here.

Shri Prakash Vir Shastri : I wanted to know whether cases have been filed against Shri Kairon and his accomplices on the basis of the decision given by the Supreme Court.

Mr. Speaker : Applicability of a law can not be asked here.

Shri Prakash Vir Shastri : Ministers also fall in the category of public servants.

Mr. Speaker : It is a question of legal advice as to whether they fall within this category or not. It is not correct to say off-hand that a certain Minister falls within this category. Legal questions are not discussed here.

Shri Prakash Vir Shastri : A Minister need not say this. Supreme Court has clearly stated in their decision that Ministers fall within the category of public servants. May I know whether on the basis of that decision cases would be filed against Shri Kairon and his accomplices or not ?

श्री हाथी : यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाना है और कानून के अधीन उस कार्यवाही का प्रतिपालन किया जाना है तो वह अवश्य की जायेगी।

श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो कि दास आयोग के प्रतिवेदन में दोषी पाये गये हैं, चाहे वे राजनीतिज्ञ हों अथवा सरकारी कर्मचारी, मुकदमा चलाने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं बता चुका हूं, विशेष अधिकारी विभिन्न फाइलों से दास आयोग के प्रतिवेदन में उल्लिखित संगत तथ्यों को एकत्रित कर रहा है वह अपना प्रतिवेदन इस महीने की 15 तारीख तक दे देगा। इसके बाद वैभागिक कार्यवाही अथवा मुकदमे की कायवाही प्रारम्भ की जायेगी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्रीमन्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : दास आयोग की उपपत्तियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। अनुगामी कार्यवाहियां हैं जो कि की जा रही हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या यह एक निर्देशपद है अथवा यह उस अधिकारी के कार्य क्षेत्र में है जो कि इस बात की जांच कर रहा है कि क्या मुकदमा चलाया जाये ? क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या इसे भी निर्देशपदों में शामिल किया गया है ? क्या जांच अधिकारी यह सिफारिश करेगा कि अमुक अधिकारी के विरुद्ध अमुक कार्यवाही करनी चाहिये ?

श्री हाथी : वास्तव में कुछ मामलों में उसने मुकदमा चलाने की सिफारिश की है ; आशा है कुछ अन्य मामलों में भी वह मुकदमा चलाने की सिफारिश करेगा। जैसा कि मैंने बताया 14 या 15 तारीख तक वह 6-7 मामलों पर सिफारिश देगा जो कि दास आयोग के प्रतिवेदन में दिये गये हैं।

श्री नाथ पाई : हम प्रतिदिन समाचारपत्रों में गृह मंत्री द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जोर शोर से धर्मयुद्ध करने के बारे में पढ़ते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न अधिक लम्बा नहीं होना चाहिये ।

श्री नाथ पाई : बड़ी विनम्रता से मैं इसे स्पष्ट किये देता हूं। इस विशिष्ट उदाहरण से पता चल जायेगा कि इस दिशा में उनके प्रयत्न कहां तक सफल रहे हैं। क्या सरकार सन्थानम आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस सिफारिश को क्रियान्वित करना चाहती है कि जिन व्यक्तियों में सत्यनिष्ठा की कमी पाई गई है उनको (क) राजनैतिक जीवन से निवृत्त होने के लिये बाध्य किया जाय और (ख) सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप जो धन उन्होंने संचय किया है उसे वापस किया जाय ? क्या सरकार और गृह-कार्य मंत्री इस मामले में उन सिफारिशों को लागू करना चाहते हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) जहां तक कायवाही करने का संबन्ध है वह, जो भी कानून लागू है उसके अनुसार की जायेगी । जहां तक धन के जब्त करन का संबंध है, ऐसा स्वच्छन्दतः करने का किसी को भी इस देश में अधिकार नहीं है, कानून ही को चालू रहना है । जहां तक सार्वजनिक जीवन का संबंध है उसका उत्तर यहां नहीं दिया जा सकता। सन्थानम आयोग के प्रतिवेदन पर बड़े गौर से विचार किया गया है---बहुत सी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है; कुछ सिफारिशें विचाराधीन हैं । मैं अन्य अवसर पर बताऊंगा कि उनके बारे में क्या कुछ किया गया है ।

श्री नाथ पाई : उनकी क्रियान्विति के लिये क्या किया गया है ?

श्री नन्दा : यह कार्य भी प्रगति पर है ।

श्री हरि विष्णु कामत : उनको चुपके से छिपाया जा रहा है।

Shri Gulshan : I want some information. Late Prime Minister Shri Jawahar Lal Nehru once said in this House....

Mr. Speaker : This is not the occasion for that.

Shri Gulshan: I want to ask something pertaining to this question. The late Prime Minister Shri Jawahar Lal Nehru said in this House that the Das Commission Report would be discussed in this House and the House will be taken into confidence. Will the Govt. place that report before the House?

Mr. Speaker : You should, know it; it is coming today.

निजी थैलियों की समाप्ति

\+

*64. **श्री यशपाल सिंह :**
सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बागड़ी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री हेम राज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व शासकों को दी जाने वाली थैलियों को समाप्त करने के प्रश्न पर सरकार ने फिर से विचार किया है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी विधान को पुर:स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Yashpal Singh : May I know the amount of Privy Purses reduced to date since 1948 ?

Shri Hathi : So far as I think Rs. 70 lakhs per annum.

Shri Yashpal Singh: May I know whether the commitments made by Govt. in the time of late Prime Minister Shri Jawahar Lal Nehru with the rulers of Indian States will be maintained or set aside?

Mr. Speaker : Whom do you favour ?

श्री हाथी : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या उन वायदों का पालन किया जायेगा अथवा . . .

श्री हाथी : संविधान में किये गये वायदे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने संविधान के वायदों के बारे में नहीं पूछा है ; वह पंडित नेहरू द्वारा किये गये वायदों के बारे में जानना चाहते हैं ।

श्री हाथी : जी हां ; भूतपूर्व प्रधान मंत्री के वायदों का सम्मान किया जायगा ।

Shri Vishram Prasad : The total amount paid in the favour of Privy Purses, the reductions made therein; and for how long these Privy Purses will continue?

Shri Hathi : About Rs. 5 crores was being paid which has now been reduced by about Rs. 70 lakhs and it is being reduced gradually.

श्री मुरारका : क्या इस समाचार में कोई सच्चाई है कि यद्यपि सरकार की यह नीति है कि निजी थैली के रूप में अगली पीढ़ी को 10 लाख रु० से अधिक न दिया जाये, वास्तव में जहां तक अगली पीढ़ी में निज़ाम का सम्बन्ध है सरकार 20 लाख रुपया देने के लिये राजी हो गयी है ?

श्री हाथी : ऐसी कोई नीति नहीं है कि भूतपूर्व शासकों, जिन्होंने करार पर हस्ताक्षर किये थे, के उत्तराधिकारियों को 10 लाख रु० से अधिक की निजी थैली नहीं दी जायेगी। करार में यह बात थी कि उन शासकों के उत्तराधिकारियों के साथ थैली की राशि फिर से तय की जायेगी जिनको निजी थैली के रूप में 10 लाख रु० से अधिक दिया जाता था, परन्तु यह बात नहीं है कि यह 10 लाख रु० से अधिक नहीं होगी।

श्री मुरारका : मेरे प्रश्न का क्रियात्मक भाग यह था कि क्या निज़ाम के उत्तराधिकारियों को 20 लाख रु० देना तय पाया है।

श्री हाथी : यह क्रियात्मक भाग नहीं था। क्रियात्मक भाग यह था कि क्या 10 लाख रु० से अधिक नहीं दिया जायेगा। माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का यह भाग सही है।

पूर्वी पाकिस्तान से निष्क्रमण

\+

श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

*65. डा० रानेन सेन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री हेम राज :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री दलजीत सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बासप्पा :
श्री प्र० क० देव :
श्री सोलंकी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री बड़े :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री शिव चरण गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री जो० ना० हजारिका :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री ह० च० सोय :
श्री ब० कु० दास :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1964 से लेकर अब तक कुल कितने व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये हैं ;

(ख) क्या यह निष्क्रमण अब भी जारी है ; और

(ग) इन शरणार्थियों का पुनर्वास करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और कौन कौन से स्थानों पर उनको बसाया जाना है ?

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) जनवरी, 1964 से पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों की कुल संख्या 6,73,109 में से 2,40,330 व्यक्ति प्रथम जून, 1964 के बाद आये हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक विवरण जिसमें अब तक की गयी कार्यवाही का ब्योरा दिया गया है सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3025/64]**

Shri Yashpal Singh: It is daily reported in Press that there is no law and order in the camps and all sorts of troubles are coming up. Is it that some foreign spies are disturbing the peace of that place ?

श्री म० मो० दास : हम इस मामले में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं । शायद कुछ शिविरों में अधिक गड़बड़ है ।

Shri Yashpal Singh : Are some foreign spies operating there ?

The Rehabilitation Minister (Shri Tyagi): There have been one or two cases in which some Pakistani Mohammedans tried to enter the camps with bogus certificates by Hindu names. They are being prosecuted. I am not in a position to give more details in this connection. But such persons are very few.

Shri Yashpal Singh: Are there some refugees who want to go back to Pakistan ?

Shri Tyagi: It is understood that some persons, out of those who could not be rehabilitated and for whom there was not enough space in the camps want to go back to Pakistan.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण से पता चलता है कि इन लोगों के बसाने के लिये अब तक 1.15 लाख एकड़ भूमि अर्जित की गई है । उनको बसाने के लिये वास्तव में कितनी भूमि की आवश्यकता है । मंत्री जी ने एक बार सदन में बताया था कि यह कार्य युद्ध स्तर पर किया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि पर्याप्त भूमि अर्जित करने के मार्ग में कौन सी कठिनाइयां रुकावट डाल रही हैं ।

श्री त्यागी : भूमि उपलब्ध नहीं है । अधिकांश प्रव्रजक कृषक हैं । इसलिये मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक परिवार को खेती के लिये भूमि देना संभव नहीं है । उन्हें छोटे उद्योगों और अन्य प्रकार के कार्यों—मछली पकड़ना, कपड़ा बुनना, बढ़ई का काम आदि—में रोजगार दिलाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या बड़ी संख्या में शिविरों में रहने वाले विस्थापितों को रोजगार दिलाने के लिये आसाम में विशेषत: जिला कछार में कुछ बड़े उद्योग चालू करने का प्रस्ताव है ?

श्री त्यागी : आसाम में उद्योग चालू करने के कुछ प्रस्ताव हैं जिन पर जांच की जा रही है। एक प्रस्ताव तो कोयला खान उद्योग चालू करने का है और बड़े उद्योगों के लिये भी प्रस्ताव है जिनकी जांच की जा रही है। इन बड़े उद्योगों के लिये धन या तो योजना आयोग दे सकता है या सामान्य निधियों से लिया जा सकता है। पुनर्वास मंत्रालय के आयव्ययक अनुदान से रिहायशी मकान आदि के निर्माण के लिये कुछ सहायता ली जा सकती है ।

श्री बसुमतारी : पूर्वी पाकिस्तान से आसाम में जो विस्थापित व्यक्ति आये हैं उन में से अधिकांश कृषक और आदिवासी हैं। उनको बसाने के लिये अब तक आसाम में कितनी भूमि अर्जित की गई है ?

डा० म० मो० दास : यह बताना संभव नहीं है कि आसाम में कितनी भमि उपलब्ध होगी। परन्तु विभिन्न राज्यों ने कुल मिला कर हमें 1.15 लाख एकड़ भूमि देने की पेशकश की है।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : शरणार्थियों को जब कि वे शिविरों में थे उस समय और जब उन्हें स्थायी रूप से बसाया गया उस समय कितना बेकारी अनुदान और नगद रकम दी गई ? जनवरी, 1964 से लेकर अब तक भारत सरकार ने कुल कितना धन इस कार्य पर व्यय किया है ?

डा० म० मो० दास : जनवरी से लेकर अब तक भारत सरकार द्वारा कुल 289.51 लाख रु० प्रत्यक्ष रूप में व्यय किये गये हैं और कुल 461 लाख रु० के अनुदान और मांगें मंजूर की गई हैं ।

श्रमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूर्वी पाकिस्तान से जो शरणार्थी आये हैं उनमें बड़ी संख्या आदिवासियों की है और जो आसाम में कछार क्षेत्र में बस गये हैं, 1.15 लाख एकड़ भूमि जिसका उल्लेख विवरण में किया गया है क्या उसमें नेफा और अन्य सीमा-वर्ती क्षेत्र का भी बड़ा इलाका शामिल है जहां कि इन लोगों को सरलता से बसाया जा सकता है ?

डा० म० मो० दास : इस 1.15 लाख एकड़ भूमि में पुनर्वास मंत्रालय के अनुरोध पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी गई भूमि शामिल है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस क्षेत्र में नेफा की भूमि शामिल थी, और क्या केन्द्रीय सरकार आदिवासी शरणार्थियों को इन क्षेत्रों में बसाने जा रही थी ?

श्री त्यागी : जी हां, नेफा सम्बन्धी प्रस्ताव पर भी जांच की जा रही है। मुझे सभा को यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि वे एक हज़ार परिवारों को शीघ्र बसाने के लिये राजी हो गये हैं ।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि सरकार 70 रु० प्रति परिवार बेकारी अनुदान के रूप में दे रही थी परन्तु अब सरकार उसे बिना कोई धन्दा या अन्य व्यवसाय दिये ही बन्द कर रही है; और यदि हां, तो सरकार उन्हें क्या धन्दा या अन्य व्यवसाय देने जा रही है ?

डा० म० मो० दास : सरकार बेकारी अनुदान दे रही है जो कि अधिक से अधिक 70 रु० प्रति परिवार प्रति मास है, और यह अनुदान दो महीनों के लिए दिया जाता है, और उनको काम देने के पश्चात् ही इस राशि को आहिस्ता आहिस्ता घटाया जाता है ।

श्री दे० जी० नायक : इस प्रयोजन के लिये दण्डकारण्य में काफी भूमि उपलब्ध है। क्या कोई विस्थापित परिवार वहां बसाया गया है ?

डा० म० मो० दास : मार्च, 1964 के अन्त तक पहले आए हुए विस्थापितों के 8244 परिवारों को दण्डकारण्य ले जाया गया था। मार्च, अप्रैल और मई में 2104 नये विस्थापित परिवारों को दण्डकाराण्य के विभिन्न कार्य केन्द्रों को ले जाया गया है ।

श्री भागवत झा आजाद : 1 जनवरी, 1964 के पश्चात् भारत में आये हुए शरणार्थियों में से कितने प्रतिशत सरकार के प्रमापों के अनुसार अभी अपुनर्वासित हैं, और सरकार उन्हें कब तक बसाने का विचार रखती है ?

डा० म० मो० दास : जनवरी, 1964 के बाद हमारे देश में आये हुए लगभग 6,73,109 व्यक्तियों में से केवल कुछ को ही बसाया गया है, अर्थात् उनको किसी प्रकार का रोज़गार दिया गया है । शेष व्यक्तियों को बसाया जाना है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि पश्चिमी बंगाल में कोई पारगमन शिविर नहीं है, और फिर भी विस्थापित व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या पश्चिमी बंगाल में ठहर रही है, और यदि ह i, तो उन व्यक्तियों की क्या संख्या है और क्या उन्हें कोई शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं दी गई हैं ?

डा० म० मो० दास : यह सच है कि बंगाल में कोई पारगमन शिविर नहीं है, और अधिकांश नये प्रव्रजक पश्चिमी बंगाल नहीं छोड़ना चाहते ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कई हज़ार मेट्रापोल में हैं ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether or not the Government if giving Indian Citizenship rights to the refugees coming from East Pakistan?

Shri Tyagi : So far Indian Citizenship rights have not been conferred upon them, because according to the old agreements they still own the ownership rights on the property which they have left behind in Pakistan. Government do not want to interfere with this right. It is for this reason that Indian Citizenship rights have not been conferred upon them so far.

डा० च० भा० सिंह : क्या इन शरणार्थियोंप्को डाक्टरी व्यवसाय से मिलते जुलते प्रशिक्षण जैसे नर्सिंग, फार्मेसी, वार्ड में देख भाल करना, तकनीकी प्रशिक्षण और लेबार्टेरी सहायक प्रशिक्षण देने की कोई योजना है ?

डा० म० मो० दास : कुछ विस्थापित लड़कियों को इस समय दण्डकारण्य में मुख्य अस्पताल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

डा० च० भा० सिंह : क्या रायपुर माना शिविर में कोई योजना है ?

अध्यक्ष महोदय : कोई अन्य प्रश्न नहीं ।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : पश्चिमी बंगाल में आने वाले शरणार्थियों में से कितने प्रतिशत ने सरकार से सहायता मांगी है और शेष कितने पश्चिमी बंगाल में ठहर रहे हैं ? क्या राज्य सरकार ने उनके लिये कोई अनुदान अथवा सहायता मांगी है जिससे कि समस्या को सुलझाया जा सके ?

श्री त्यागी : उन्होंने औद्योगिक और कुछ अन्य योजनाओं के लिये एक प्रस्ताव भेजा है । एक बड़ी योजना जो राज्य सरकार ने भेजी है वह यह है कि वहां की परिवहन निगमों अथवा कम्पनियों को बड़े ऋण दिये जायें जिससे कि वे वहां पर बसे हुए प्रव्रजकों को नौकरी दे सकें ।

श्रीमती सावित्री निगम : अगस्त के महीने में प्रति दिन औसतन कितने शरणार्थी आये, और क्या इन शरणार्थियों को अण्दमान में भी बसाया जायेगा ?

डा० म० मो० दास : औसत रूप से लगभग 2,000 शरणार्थी प्रति दिन आये। अण्दमान और निकोबार द्वीप समूहों में और अधिक शरणार्थी बसाने सम्बन्धी एक प्रस्ताव सरकार के सामने है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार के इस प्रस्ताव से सहमत होगी कि उन व्यक्तियों को, जो प्रव्रजकों के रूप में आ रहे हैं परन्तु किसी शिविर में शरणार्थियों के रूप में शरण नहीं ले रहे हैं, मान्यता दी जाये ?

डा० म० मो० दास : पश्चिमी बंगाल सरकार का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री मुहम्मद इलिहास : अण्दमान और निकोबार में—जहां कि स्वयं लोगों ने एक अभ्यावेदन भेजा है कि वहां पर 10,000 परिवारों को बसाना संभव है—इन शरणार्थियों को बड़ी संख्या में बसाने की क्या संभावनाएं हैं ? क्या इस प्रश्न की जांच की गई है ?

श्री त्यागी : वर्षा ऋतु के समाप्त होने के शीघ्र बाद हम अण्दमान में एक दल भेजना चाहते हैं जो वहां पर शरणार्थियों के बसाये जाने के बारे में एक विस्तृत प्रतिवेदन देगा ।

श्री श्यामलाल सर्राफ: अब जब कि यह स्पष्ट हो गया है कि इन शरणार्थियों को भूमि दे कर रोजगार नहीं दिलाया जा सकता है, क्या व्यापार अथवा व्यवसायों में उनकी योग्यता और बुद्धि वैभव की गणना के लिये कोई प्रयास किया गया है जिससे कि उन्हें उस तरीके से, यदि पश्चिमी बंगाल में नहीं अन्य किसी स्थान पर बसाया जा सके ?

श्री त्यागी : एक नियमित गणना की जा रही है। वास्तव में, प्रत्येक परिवार से यह सुनिश्चित करने के लिये कि उसके सदस्य अन्य किस प्रकार का कार्य करना चाहेंगे, सभी पारगमन शिविरों और अन्य शिविरों को एक प्रोफॉर्मा जारी किया गया है । मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि बेकारी अनुदान देते रहें। सरकार की नीति उनको बसाने में सहायता देने की है। पहल, फिर भी उन्हीं को करनी होगी । अतः जिस भी उद्योग में वे काम करना चाहें, सरकार उनको यथासंभव सहायता देने के लिये विचार करेगी ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Contamination of drinking water in Delhi

+

S. N. Q. No. 1. { **Shri Yashpal Singh** : **Shri P. K. Ghosh** : **Shri D. C. Sharma** :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that drinking water in Delhi has got contaminated ; and

(b) if so, the steps taken by Government to remedy the situation ?

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर दन क लिय कोई मंत्री उपस्थित नहीं है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। जब स्वास्थय मंत्री यह जानती थीं कि एक अल्प सूचना प्रश्न पूछा जाना है तो उन्हें यहां पर उपस्थित होना चाहिये था।

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : The hon. Minister is not present at the moment : probably she may be in Rajya Sabha.

Mr. Speaker : She should have been here ; at least some intimation could be given .

Shri Lal Bahadur Shastri : I will read the answer, if permitted.

Shri Bagri : Sir, on a point of order. Short Notice Questions are included in the business of the House only after consultation with the concerned Ministry and even then if the hon. Minister is not present here, she is in this way neglecting her duties and it is a kind of insult to Lok Sabha. I want your ruling on this.

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, Sir, I also want to say something. I wanted to know whether a Government servant reaching so late at his duty is punished by the Government or not, and if he is punished.....

Mr. Speaker : I agree with what Mr. Bagri has said that Short Notice Questions are included in the business of the House only after consultation with the Ministry concerned and, therefore, the House expects the Minister to be present here and if this was not possible at least some intimation could be given to the Government.

As to the question of punishment raised by Swamiji, punishment has already been given by him and what else.

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : I was replying the last question in Rajya Sabha during the question hour there. I have rushed here after disposing it.

श्री हरि विष्णु कामत : मंत्री महोदय को आप से तथा सदन से बिना शर्त क्षमायाचना करनी चाहिये। उन्हें कम से कम इतना तो करना ही चाहिये। संसदीय कार्यवाही चलाने की यह कोई तरीका नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : सब मंत्रियों, उप मंत्रियों, सहायक मंत्रियों, और फिर इश्वर जाने के क्या क्या हैं, के बारे में हमें अब तक भी पूरा पता नहीं है। मेरा अनुमान है कि स्वास्थ्य मंत्री का एक सहायक मंत्री भी है, मैं इसे ठीक ठीक नहीं जानता, पहले उनका एक उप मंत्री हुआ करता था।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि प्रधान मंत्री ने उप मंत्री की नियुक्ति तो की थी परन्तु वह अभी क्रियान्वित नहीं हुई है।

श्री हरि विष्णु कामत : सभा की अल्प सूचना प्रश्न की कार्यवाही आगे नहीं चलेगी जब तक कि वह आप से तथा सदन से क्षमा याचना न कर लें। उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि वह राज्य सभा में थीं। क्या यह कोई क्षमा याचना है ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, सदन को जो असुविधा हुई है उसके लिये मुझे खेद है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि मैं दोड़ती हुई आई हूं और मेरा सांस फूल रही है।

श्री हरि विष्णु कामत : अब उन्हों ने बड़ी, अनिच्छापूर्वक खद प्रकट किया है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । दरअसल ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि कि । मंत्री को एक या दो मिनिट की देरी हो जाय । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । मैंन यह कहा था कि जब कोई ऐसी सम्भावना हो तो सदन को कमसे कम कोई सूचना दे देनी चाहिये जिसके कि कोई सदस्य यह बता सके कि ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं और यह कि मंत्री महोदय अभी आते होंगे ।

फिर यदि किसी मंत्री को देरी हो जाये तो उसे सदन से कम से कम यह तो कहना ही चाहिये कि उसे इसक लिये खेद है ।

Dr. Sushila Nayar : The reply of the question is like this :

(a) Yes, Sir. The unfiltered water taken from Yamuna has been found to be more polluted.

(b) Greater quantity of chlorine is being added to water in order to disinfect the water and strict watch is being maintained to ensure that contaminated water is not supplied and pure drinking water is made available. Moreover, the public has been cautioned to take boiled water as an additional precautionary measure till further directions are issued in this connection.

Shri Yashpal Singh : Has any request been made to the Punjab Government to plug the breach in Drain No. 8, as soon as possible and if so, by when arrangements would be made for this and whether Government propose to entrust this work to the Army?

Dr. Sushila Nayar : The Power and Irrigation Minister is corresponding with Punjab Government in this regard and is negotiating with them telegraphically and it is expected that something will come out of it, but I may submit this much that the flood water will recede only slowly and since this water has come crossing Badli bund some organic matter has been mixed in it.

Shri Yashpal Singh : Whether the question of the health of the people of capital is such a petty one that mere correspondence is being done in this regard? Why immediate steps are not being taken?

Dr. Sushila Nayar : Sir, I have submitted that all the steps are being taken.

Shri Kashi Ram Gupta : Till day before yesterday there were no arrangements for boiled water supply in Lok Sabha. Have these arrangements been made now?

Mr. Speaker : Regarding arrangements in Lok Sabha, hon. Members may please enquire from me. Arrangements have since been made. Boiled water is being supplied for the last two-three days and boilers have been installed.

Shri Kashi Ram Gupta : But yesterday we were informed.....

Mr. Speaker : I was not aware of the installation of boilers. They have been installed today.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि जल के दूषित हो जान के कारण कुछ क्षेत्रों में आंत्रशोथ और पेचिश आदि जैसी अन्य संक्रामक बीमारियों की कुछ घटनायें हुई हैं और यदि हां, तो दूषित जल सम्भरण वाले क्षेत्रों में निशुल्क औषधियां बांटने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डा० सुशीला नायर : आज के समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुए हैं कि कुछ डाकटरों के पास आंत्रशोध के बहुत से मरीज आये हैं परन्तु उन डाकटरों ने यह भी कहा है कि वे निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि ऐसा केवल दूषित जल के कारण ही हुआ है। हमार अस्पतालों में जो भी रोगी आ रहे हैं उन सभी के उपचार के लिये हम व्यवस्था कर रह हैं। ऐसा कोई विशेष क्षेत्र नहीं है जहां पर कि इस रोग का विशेष प्रभाव हो ; बाढ़ के कारण सारी दिल्ली क जल सम्भरण पर ही प्रभाव पड़ा है।

Shri Vishram Prasad : What arrangements were made for safe water supply in Lok Sabha when the entire drinking water supply was so polluted? He could have given a statement in Parliament in this regard.

Mr. Speaker : This question may not be asked to him.

Shri Rameshwaranand : The hon. Minister has just stated that they have cautioned Delhi people to use boiled water for drinking purposes till any further directions are issued in this regard. This is good. But should the persons arriving in Delhi from out station bring with them kettle and furnace for boiling the water?

Mr. Speaker : This would be possible if we the residents of Delhi serve the persons arriving from out-stations with boiled water.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मैं माननीय मंत्री महोदया को यह याद दिला सकता हूं कि 1955 में जब कि वह दिल्ली राज्य में एक मंत्री थीं तो उस समय लगभग ऐसी ही स्थिति में—जल के दूषित होने पर—यकृत विकार का संक्रामक रोग फैल गया था और क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ऐसी आपत्ति का सामना करने के लिये तैयार है ?

डा० सुशीला नायर : 1955 में संक्रामक रोग इस कारण फैला था कि नजफ़गढ़ नाले का पानी जमुना नदी में उस स्थान पर आ मिला था जहां कि जल संयंत्र के लिये पानी लिया जाता था। ऐसी घटना को भविष्य में होने से रोकने के लिय उचित निर्माण किया गया था और स्थिति का उपचार किया गया था। इस बार स्थिति उससे भिन्न है। उस क्षेत्र में सब जगह इस बार बहुत अधिक पानी है और वह पानी जमुना नदी में वजीराबाद हैडवर्कस के ऊपर उस स्थान पर आकर मिला है जहां से कि पानी साफ करने के लिये लिया जाता है। 1955 में जो हमें अनुभव हुआ था उसी के आधार पर हमन कहा है कि दुहरी सावधानी बरतने के लिये पानी उबाल कर पिया जाये। हमने पानी में क्लोरीन की मात्रा इतनी अधिक बढ़ा दी है कि उससे सभी बैक्टीरिया तो मर जायेंगे, परन्तु हो सकता है कि क्लोरीन क मिलान से वाइरस न मरें और इसी कारण हमने यह सलाह दी है कि लोग पानी उबाल कर पियें।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन् बड़ी अस्पष्ट बात कही गई है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस समय स्थिति पहले से भिन्न है। क्या यह 1955 की स्थिति से अधिक खराब है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि स्थिति अब पहल से भी अच्छी है।

Shri Bagri : Are Government considering any proposal to check the flowing of industrial and cities' sullage in rivers as a result of which water supply is contaminated almost all over the country?

Dr. Sushila Nayar : Yes, Sir, water supply from our rivers is badly polluted because of the falling of 'gunda nullahs' and industrial wastage in the

rivers. To check all this a draft legislation has been prepared by the Ministry of Health, but since Health is not a subject in the concurrent list this legislation can not be introduced in this House unless two State Legislatures pass a resolution there to this effect.

अध्यक्ष महोदय : इससे पहिले कि सदन की आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये.....

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, on a point of order. Flowing of this sullage in rivers causes epidemics like cholera, small-pox etc. Even when such epidemics are spread because of this pollution of water, it is not a subject in the Concurrent List, then what else is to be included therein?

Dr. Sushila Nayar : I have not said this that this matter does not relate to Health, but what I have stated is that it does not find a place in the Concurrent List.

Mr. Speaker : This is not a point of order. It is merely a matter of opinion.

Dr. Ram Manohar Lohia : If this subject of Health is given a place in the Concurrent List, then will it become a subject to be dealt with by the Cen re?

Mr. Speaker : Yes, please.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

माना शिविर

*66. श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री गुलशन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री प्र० के० देव :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **पुनर्वास** मन्त्री 4 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 164 के उत्तर के सम्बन्ध में यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माना शिविर में स्थिति में सुधार हुआ है ;

(ख) क्या जो शरणार्थी शिविर छोड़ कर चले गये थे वे वापिस आ गये हैं ;

(ग) शरणार्थियों के एक बड़ी संख्या में शिविर से चले जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार शरणार्थी शिविरों के माना समूह का प्रशासन तथा नियन्त्रण अपने हाथों में लेने का विचार कर रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, ७५८ परिवार शिविरों में वापिस आ गये हैं।

(ग) बड़ी संख्या में शरणार्थियों के शिविरों से चले जाने के निम्न कारण हैं :—

(१) गर्म जलवायु तथा टैन्टों में रहने का इन्तजाम जिसके शरणार्थी अभ्यस्त नहीं थे ;

(२) यकायक जनसंख्या में वृद्धि के कारण पानी की कमी; और

(३) पश्चिमी बंगाल में अपने रिश्तेदारों के पास जाने की प्रवृति।

(घ) माना समूह के शिविरों का प्रशासन सम्बन्धी नियन्त्रण १ जुलाई, १९६४ से सहायक महानिदेशक पुनर्वास, मंत्रालय द्वारा लिया जा चुका है।

ईरान सरकार द्वारा तेल की खोज सम्बन्धी रियायतें

*67. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री घवन :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान सरकार ने मद्रास तेल शोधनशाला में, इसकी सहयोजक

अमरीकी तेल कम्पनी सहित, पूंजी लगाने के बदले भारत को समुद्र में किनारे से दूर तेल की खोज सम्बन्धी रियायतें देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) क्या सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

University in New Delhi

*68. **Shri Naval Prabhakar :**
Shri Vishram Prasad :
Shri D. C. Sharma :
Shri Surendra Pal Singh :
Shri D. J. Naik :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri E. Madhusudan Rao :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to establish a new University in New Delhi ;

(b) if so, whether it will be named after the former Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru ; and

(c) when it is expected to be established ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) It is expected to be established in 1965.

शिक्षा आयोग

श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री ओंकार लाल बरवा :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री राम हरख यादव :

*69. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बासप्पा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बं० ना० कुरील :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री मान सिंह पृ० पटेल :
श्री रा० बरुआ :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली की जांच करने के लिए एक उच्च सत्ता-प्राप्त आयोग नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देश-पद क्या हैं ;

(ग) आयोग अपना प्रतिवेदन कब तक देगा ; और

(घ) आयोग की रचना किस आधार पर की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति तथा शिक्षा के समस्त स्तरों पर विकास के सामान्य सिद्धान्तों तथा नीतियों पर (वयस्क, चिकित्सा अथवा विधि शिक्षा के अतिरिक्त) और उसके सभी पहलुओं पर आयोग सरकार को सलाह देगा । वयस्क, चिकित्सा अथवा विधि शिक्षा की उन समस्याओं के ऐसे पहलुओं पर भी विचार करेगा जो कि विस्तृत जांच के वास्ते जरूरी हैं।

(ग) 31 मार्च, 1966 तक अथवा इससे पहले जितनी जल्दी सम्भव हो सके ।

(घ) आयोग का गठन शिक्षा, विज्ञान और टैक्नोलौजी के विभिन्न क्षेत्रों में सदस्यों के अनुभव तथा क्षमता के आधार पर किया गया है ।

Corruption

*70. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Bishanchander Seth :
Shri Dhaon :
Shri B. P. Yadava :
Shri Himatsingka :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of complaints received by him since he opened an

office at his residence to receive public complaints regarding corruption :

(b) the number of complaints concerning the Central Government and the number relating to Union Territories and State Governments ;

(c) the number of complaints investigated and the number of officials punished subsequently ; and

(d) the nature of help rendered by the Sadachar Samitis in this direction ?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : (a) and (b). The Samyukta Sadachar Samiti which is a non-political non-official organisation has started from the 22nd June 1964 a new experiment of receiving public complaints including those of corruption at the residence of its President. Such of the complaints as the Samitis representatives consider, after screening, to deserve to be proceeded with are forwarded by them to the Ministry of Home Affairs. The number of complaints so received from the Samiti by the Home Ministry from the time the new experiment was started till the 31st August, 1964 was 665. Out of these, 499 concerned the Central Government, 109 Union Territories and 50 the State Governments. Of the 499 complaints concerning the Central Government 64 contained allegations of corruption.

(c) Out of the number of complaints mentioned in reply to parts (a) and (b) 466 were investigated. No officials have been punished so far as a result of these investigations.

(d) The Samiti s representatives interview the complaints and screen the complaints. Where a complaint is not such that administrative authorities under the Central Government could deal with it, the Samiti explains this to the complainant and advises him to seek his remedy in the proper forum. Where, in the opinion of the Samiti, a complaint deserves to be forwarded to the Home Ministry, by questioning the complainant, all necessary and relevant information is brought out to facilitate further action on the complaint.

शरणार्थियों की छानबीन

*71. श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री बासप्पा :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री ओंकारलाल बरवा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास यह पता लगाने के लिये कोई व्यवस्था है कि क्या शरणार्थियों के वेश में पाकिस्तानी जासूस तथा एजेंट भी भारत आ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) पाकिस्तान में पिछले साम्प्रदायिक दंगों के तुरन्त बाद पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थियों से भारत में प्रवेश करने के स्थानों पर राज्यों के गुप्तचर अधिकारियों द्वारा पूछ-ताछ की जाती थी और की जा रही है ।

(ख) जब कभी कोई जासूसी का मामला देखने में आता है, कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाती है ।

खम्भात तथा कच्छ में तेल की खोज

*72. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द्वारका दास मन्त्री :
श्री अ० ब० राघवन् :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री दे० जी० नायक :
श्री रा० बरुआ :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **पट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के एक अनुसन्धान जलयान ने तेल की खोज के लिए खम्पात तथा कच्छ की खाड़ी का निरीक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या रूसी विशेषज्ञों ने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ग) क्या तेल के किन्हीं निक्षेपों का पता चला था ; और

(घ) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर) : (क) एक रूसी भूकम्पीय सर्वेक्षण (Seismice survey) जहाज मद्रास में 2 अगस्त, 1964 को आया और जो कोरोमण्डल तटीय (Coromandal coastal) जलों का सर्वेक्षण करने के बाद अक्तूबर, 1964 में कच्छ खाड़ी के लिए रवाना होगा ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय भाषाओं के लिये समान लिपि

*73. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी :
श्री सुरेन्द्रपालसिंह :
श्री यशपालसिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री मणियांगाडन :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समस्त भारतीय भाषाओं के लिये एक समान लिपि चाल करने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार ने इस विषय पर मुख्य मन्त्रियों के विचार ज्ञात किये हैं ;

(ग) क्या देवनागरी लिपि का विकास करने सम्बन्धी भाषाविदों की समिति से एक प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

शिक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ) यद्यपि सरकार सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक समान लिपि के विचार का सदैव समर्थन करती रही है परन्तु उसके विचार में देवनागरी को एक समान लिपि के रूप में अपनाने का उपयुक्त अवसर केवल तभी आएगा जब इस सम्बन्ध में अहिन्दी भाषी व्यक्तियों से सुझाव प्राप्त हों ताकि उनके मन में यह सन्देह पैदा न हो कि उन पर समान लिपि लादी जा रही है।

इस विषय पर अगस्त 1961 में मुख्य मन्त्रियों और केन्द्रीय मन्त्रियों की बैठक में भी विचार किया गया था। उनका विचार यह था कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक समान लिपि का होना न केवल वांछनीय होगा बल्कि भारत की विभिन्न भाषाओं के बीच यह एक मजबूत कड़ी का काम करेगी और इस प्रकार यह राष्ट्रीय एकता कायम करने में बहुत सहायक होगी वर्तमान परिस्थितियों में भारत के लिए ऐसी समान लिपि केवल देवनागरी ही हो सकती है। यद्यपि निकट भविष्य में एक समान लिपि को अपनाना कठिन होगा किन्तु इस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस दिशा में कार्य करते रहना चाहिये।

कुछ समय पहले शिक्षा मन्त्रालय ने, जिन भारतीय भाषाओं के संकेत देवनागरी में विद्यमान नहीं हैं उनके विशेष चिन्हों के लिए संकेतों के सुझाव हेतु, भाषाविदों की एक समिति बनाई थी। इसका

उद्देश्य किसी भी भारतीय भाषा के लिप्यन्तरण के लिए देवनागरी लिपि को समर्थ बनाना था । समिति ने अपना प्रयास अभी पूरा नहीं किया है और आशा की जाती है कि इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही पूरी हो जाएगी । रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर पूरा विचार किया जाएगा और सरकार द्वारा बहुत जल्दी ही उस पर निर्णय लिया जाएगा ।

विदेशों में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिक

*74 श्री मोहन स्वरूप :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द्वारकादास मन्त्री :
श्री बड़े :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री शशिरंजन :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाने का निर्णय किया है जिससे इस समय विदेशों में काम करने काले वैज्ञानिकों को भारत वापिस लौटने के लिये प्रोत्साहन प्राप्त हो ;

(ख) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) विदेशों से भारत लौट कर आने वाले वैज्ञानिकों के लिये समुचित रोजगार की व्यवस्था करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विदेशों में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नालाजी-विज्ञों के नामांकन के लिए सी० एस० आई० आर० में नेशनल रजिस्टर आफ साइंटिफिक एण्ड टैकनीकल कर्मचारियों के लिए एक विशेष रजिस्टर बनाया गया है । अगस्त, 1964 के अन्त तक इस नेशनल रजिस्टर के भारतीय विदेश-अनुभाग में 9550 व्यक्तियोंके नाम रजिस्टर में अंकित किए जा चुके थे । इन नामांकित व्यक्तियों में से 47 प्रतिशत भारत लौट आए हैं ऐसी रिपोर्ट मिली थी ।

(घ) (i) वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी वर्ग का, जो विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है अथवा रोजगार में है, एक अलग रजिस्टर बनाया गया है। रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों के ब्यौरे सरकारी और निजी क्षेत्रों के मालिकों को बड़ी संख्या में भिजवाए गए हैं।

(ii) रजिस्टर में दर्ज योग्य उम्मीदवारों के नाम विभिन्न रोजगार एजेंसियों को उन की योग्यता के साथ भिजवा दिये गए हैं।

(iii) वैज्ञानिक और तकनीकी कार्य अधिसूचनाओं की सार-सूचियां टैकनिकल मैन-पावर बुलेटिन में छापी गयी हैं और विदेशों में काम करने वाले हमारे वैज्ञानिकों की सूचना के लिए विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों में भिजवा दी गई हैं।

(iv) जब तक उच्च योग्यता प्राप्त कर्मचारियों को देश में स्थायी रोजगार नहीं मिल जाता तब तक उच्च योग्यता प्राप्त कर्मचारियों को अस्थायी नौकरी अथवा उपयोगी काम दिलाने के लिए वैज्ञानिकों का एक पूल बनाया गया है।

(v) हाल ही में सभी अनुमोदित वैज्ञानिक संस्थाओं को अधिक संख्या में जगहें बनाने के लिए अधिकार दिया गया है, जिन पर विदेशों में काम करने वाले या अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को अस्थायी रूप से अविलम्ब नियुक्त किया जा सके।

आसाम में पाकिस्तानियों की घुसपैठ

*75 श्री सुरेन्द्रपालसिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दे० द० पुरी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपालसिंह :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री गोकुलानन्द महन्तो :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री स्वैल :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने आसाम में पाकिस्तानियों की घुसपैठ को रोकने के लिये एक नई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और वह कब से प्रारम्भ की जायेंगी।

गृह कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ल० ना० सिंह) : (क) और (ख) : ऐसी कोई नई योजना तैयार नहीं की गई है। पाकिस्तानियों की घुसपैठ को रोकने, और उनका पता लगाने और उन्हें निकालने की वर्तमान व्यवस्था को मजबूत और तेज़ किया जा रहा है।

Pro-Pakistani Elements in J & K

*76 **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Yashpal Singh :
Shri Bishanchander Seth :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri B. P. Yadava :
Shri Dhaon :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Bade :
Shri Vishram Prasad :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri B. K. Das :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri P. C. Borooah :
Shri D. D. Puri :
Shri Bishwanath Roy :
Shri S. N. Chaturvedi :
Shri Kajrolkar :
Shri Sham Lal Saraf :
Shri Hem Raj :
Shri Gokulananda Mohanty :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the pro-Pakistani elements in Jammu & Kashmir have become more active ; and

(*b*) if so, the measures adopted to check them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (*a*) and (*b*). It is correct that from the commencement of this year, various schools of political opinion in Jammu & Kashmir, including some which favour Pakistan, have become more vocal in Jammu and Kashmir. The State Government are alive to the situation and are taking all necessary measures to maintain law and order and preserve the public peace.

सम्बन्ध विच्छेदात्मक वक्तव्य

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री यशपालसिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकमचन्द कछवाय :

*77. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री तन सिंह :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किन्हीं ऐसे वक्तव्यों की जानकारी है जो देश से कुछ भागों के सम्बंध विच्छेद के सिलसिले में, विशेषकर काश्मीर के बारे में, पिछले साढ़े तीन महीनों में एक या अधिक भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा बार-बार दिये गये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करना वांछनीय समझती है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). हाल ही में काश्मीर के मामले पर राजनैतिक दलों के सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा कुछ विचार प्रकट किये गये हैं। भारत सरकार का विचार है कि ये वक्तव्य इस प्रश्न की सार्वजनिक चर्चा में सद्भावपूर्वक किये गये योगदान हैं और, इसलिये, इस समय किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

वैज्ञानिक अनुसन्धान

*78. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार वैमानिक अनुसंधान के लिये एक विंड टनल खरीदने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी कुल लागत क्या होगी ;

(ग) इन उपकरणों की खरीद के लिये सरकार वित्तीय-व्यवस्था कैसे कर रही है ; और

(घ) उपकरणों की अन्तिम डिलीवरी कब तक होगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने मैसर्स कनाडियन विकर्स लिमिटेड मोनट्रियल, (कनाडा) को, नेशनल एरोनोटिकल, लेबोरेटरी बंगलौर के विंड टनल केन्द्र पर एक 4 फुट × 4 फुट ट्रिसोनिक विंड टनल के डिजाइन, निर्माण, पूर्ति तथा स्थापन का ठेका दिया है।

(ख) विंड टनल की कुल लागत करीब 220 लाख रुपए होगी। जिसकी विदेशी मुद्रा करीब 187 लाख रुपए (4.2 दस लाख कनाडियन डालर)।

(ग) विंड टनल के उपकरणों की खरीद में 4.2 दस लाख कनाडियन डालर का वित्त काम आएगा जो एक्सपोर्ट क्रेडिट्स इंशोरेंस कोर्पोरेशन आफ कनाडा, ओटावा, द्वारा दिया जाएगा।

(घ) उम्मीद है कि विंड टनल, परीक्षण तथा प्रवर्तन के वास्ते, जुलाई, 1966 तक तैयार हो जाएगा।

अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी

*79. श्री विश्वनाथ राय :
श्री बाल कृष्ण सिंह :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम राज :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बड़े :
श्री स्वैल :
श्री बागड़ी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिये प्रभावकारी कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) 1964 में (जून तक) अवैध रूप से प्रवेश करने वाले कुल 39,225 पाकिस्तानियों को भारत से निकाला गया ।

राज्य केन्द्र समन्वय

*80. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों से केन्द्र को भेजे जाना वाला कार्य बढता जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त मात्रा में दुहरा काम हो रहा है ;

(ख) क्या इस विषय पर कोई अध्ययन किया गया है अथवा किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो दुहरा काम खत्म करने, अनावश्यक निर्देश न करने और ऊपर से मंजूरी लेने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हाथी): (क) और (ख). जब कि केन्द्र ने कुछ अतिरिक्त क्रियायें ले ली हैं, केन्द्र से राज्यों को भी काम का हस्तान्तरण हुआ है । इस द्वि-मार्गीय प्रक्रिया के वास्तविक परिणाम के बारे में निश्चित विवरण एक व्यापक समीक्षा के बाद ही दिया जा सकता

है। ऐसी समीक्षा अभी तक नहीं की गई है। इस समस्या को प्रशासन सुधार विभाग के अध्ययनों के कार्य-क्रम में शामिल करने पर विचार किया जायेगा।

(ग) जब कभी किसी विशेष क्षेत्र में दुहरे काम करने और अनावश्यक निर्देश करने या मंजूरी लेने के उदाहरण देखने में आते हैं तो उनकी आवश्यकता को समाप्त करने के लिये तुरन्त कदम उठाये जाते हैं।

'सर्वोदय टापिकल्स' में भारत के नक्शे का प्रकाशन

*81. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सर्व सेवा संघ प्रकाशन के हाल के एक प्रकाशन "सर्वोदय टापीकल्स" की ओर दिलाया गया है जिसमें जम्मू तथा काश्मीर राज्य को भारतीय संघ से पृथक राज्य-क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). सर्व सेवा संघ वाराणसी द्वारा प्रकाशित "सर्वोदय टापीकल्स" नाम की पुस्तिका के सम्बंध में जानकारी भारत सरकार को प्राप्त है। सरकार इस बात से संतुष्ट है कि क्योंकि यह पुस्तिका जम्मू और काश्मीर की समस्या के बारे में है, वह राज्य इसके परिशिष्ट II में छपे भारत के मान चित्र पर खास तोर से दिखाया गया है, और इस बात से भी कि प्रकाशकों का इरादा जम्मू और काश्मीर को भारत से अलग दिखाने का नहीं था।

उर्वरकों का उत्पादन

*82. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 29 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1248 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों की और अधिक उत्पादन क्षमता कायम न करने के प्रस्तावों की इस बीच जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या राजस्थान में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी इस बीच विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख). चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों के उत्पादन में और अधिक क्षमता कायम रखने के लिए विशिष्ट नई स्कीमों की अभी जांच हो रही है ।

(ग) और (घ). प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

गुजराती-अंग्रेजी अनुवाद परीक्षा पत्र

*83. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य की कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं में गुजराती से अंग्रेजी और अंग्रेजी से गुजराती में अनुवाद का एक अनिवार्य परीक्षा-पत्र रखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ सरकार द्वारा इस दिशा में कुछ आदेश राज्य सरकार को दिये गये हैं ; और

(ग) इस सम्बंध में गुजरात सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) से (ग). इस मामले पर गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई पश्चिम आंचलिक परिषद की पिछली बैठक में विचार किया गया। गुजरात के मुख्य मंत्री ने यह स्वीकार किया कि भाषा संबंधी बाधा हटा दी जाएगी और राज्य की सरकारी भाषा में प्रवीणता की परीक्षा चुनाव के बाद और परिवीक्षा अवधि की समाप्ति से पहले होगी ।

गुजरात के भूतपूर्व इंस्पेक्टर जनरल आफ़ पुलिस

*84. **श्री मानसिंह पृ० पटेल :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के भूतपूर्व इंस्पेक्टर जनरल आफ़ पुलिस के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों के लिये मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो अपराधों की संख्या कितनी है और वे किन किन तारीखों को किये गये थे ; और

(ग) इसके बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) ये अपराध भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, १९४७ की धारा ५(२) के साथ धारा ५(१) (ग) और ५(१) (घ) के अन्तर्गत मई से जुलाई, १९६१ के बीच की अवधि में किये गये बतलाये गये हैं ।

(ग) केन्द्रीय सरकार को परामर्श दिया गया है कि उपरोक्त अपराधों के लिये मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिये पर्याप्त आधार नहीं है और फलतः यह निर्णय किया गया है कि वह अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

अध्यापन यन्त्र

*85. श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की "फैकल्टी आफ आर्टस" के डीन हाल ही में अमरीका गये थे और उन्होंने वहां अध्ययन कार्यों के लिये प्रयुक्त यंत्रों का अध्ययन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस प्रकार के यंत्रों को भारत में चालू करने की सिफारिश की है; और

(ग) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के डीन ने अध्यापक-शिक्षा कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कुछ ऐसे केन्द्र भी देखे जहां अध्ययन कार्यों के लिए अध्यापन-यंत्रों को प्रयुक्त किया जाता है ।

(ख) अभी तक ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों का 'श्रमिक बल'

*86. डा० रानेन सेन :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वी पाकिस्तान से हाल ही में आये शरणार्थियों का एक 'स्थायी श्रमिक बल' स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से विचार-विमर्श किया गया है और यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रियें हैं ?

पुनर्वास मन्त्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां । पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों में से समर्थ शरीर वाले व्यक्तियों का एक श्रमिक बल स्थापित करने का निर्णय किया जा चुका है जिस का नाम राष्ट्रीय विकास दल होगा । दल मुख्यत: विकास संबंधी तथा रचनात्मक ढंग का कार्य करेगा जैसे कि सड़कें बनाना, बन साफ करना, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण, टैन्कों को खुदाई, पानी की नालियों की खुदाई तथा राजगीरी कार्य आदि ।

(ख) एक विवरण जिसमें योजना की खास खास बातें दी गई हैं, सभा की मेज पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3026/64]

(ग) सभी राज्य सरकारों को इस प्रस्ताव की सूचना दे दी गई है ।

Political Set-up of Delhi

* 87. **Shri Naval Prabhakar :**
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Bishanchander Seth :
Shri B. P. Yadava :
Shri Dhaon :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Yashpal Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Vishram Prasad :
Shri Bade :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri P. K. Deo :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the future political set-up of Delhi has been finalised ;

(b) if so, the outline thereof ; and

(c) when that set-up will come into existence ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L.N. Mishra) : (a) to (c). The scheme has not yet been finalised.

Indian Office Library

Shri M. L. Dwivedi :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Surendra Pal Singh :
Shri Bishanchander Seth :
Shri Rameshwar Tantia :

86. Shri B. P. Yadava :
Shri Dhaon :
Shri Vishram Prasad :
Shri P. C. Borooah :
Shri Bagri :
Shri Vidya Charan Shukla :
Shri D. D. Mantri :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri N. R. Laskar :
Shri Gokulananda Mohanty :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the progress made in regard to the transfer of India Office Library, London ;

(b) the conditions the British Government have attached to the transfer of this Library to India and the reaction of Government thereto ; and

(c) when the final decision is likely to be taken in regard to this Library and when it is expected to reach India?

The Minister of Education, (Shri M. C. Chagla) : (a) and (c). The matter is still under correspondence between the Governments of India, Pakistan and the U.K. Some progress has been made but it has not yet been finalised and it cannot be stated when it will be finalised.

(b) In accordance with the understanding among the three Governments details of negotiations cannot be disclosed till a final settlement has been reached.

गौहाटी तेल शोधक कारखाना

*89. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 27 मई, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौहाटी तेल शोधक कारखाने के विस्तार के लिए रूमानिया सरकार का सुझाव सरकार ने मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर) : (क) और (ख) निवेद (offer) की, जो चार विकल्प (alternative) योजनाओं पर आधारित है, तकनीकी दृष्टि से जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय एकता परिषद्

*90. श्री सुरेन्द्रपालसिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यशपालसिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री बासप्पा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय एकता परिषद् शीघ्र पुनः सक्रिय होने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद् की बैठक कब होगी ; और

(ग) स्थापना के बाद से अब तक इसके द्वारा किये गये कार्य संक्षेप में क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय एकता परिषद् की अगली बैठक संसद के वर्तमान अधिवेशन के कुछ समय पश्चात् बुलाने की आशा है ।

(ग) राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थापना एक सतत निकाय के रूप में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन द्वारा राष्ट्रीय एकता संबंधी सब मामलों की समीक्षा करने और उन पर सिफारिश करने के लिए की गई थी। इस परिषद् की प्रथम बैठक 2–3 जून, 1962 को हुई और इसकी कार्यवाही 15 जून, 1962 को संसद् के दोनों सदनों के सामने रख दी गई थी।

हिमालय क्षेत्र में तेल वाले स्थान

164. श्री रामहरख यादव :
श्री बागड़ी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बैं० ना० कुरील :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के हिमालय क्षेत्र में जिन स्थानों में तेल होने का पता चला है उनमें तेल की खोज करने के लिए क्या सरकार ने कोई नियमित योजना प्रारम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ; और

(ग) क्या उक्तकथित तेल के लिए उत्तर प्रदेश में तेल शोधन शालायें खोलने का सरकार का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर) : (क) जी, हां। योजना के अन्तर्गत उन क्षेत्रों में कुछ चुने हुए स्थानों पर जहां कि भूतत्वीय तथा तलरूपीय स्थितियां अनुकूल हैं व्यापक रूप से भूतत्वीय सर्वेक्षण, भूकम्पीय सर्वेक्षण तथा भू-छिद्रण कार्य किया जाएगा।

(ख) बहुत सारे क्षेत्र में भूतत्वीय सर्वेक्षण हो गया है और थोड़ा सा भूकम्पीय सर्वेक्षण भी हो गया है। दो गहरे कुएं और छः ढांचे वाले कुएं खोद लिये गये हैं और तीसरे गहरे कुएं की खुदाई का कार्य चल रहा है। दो गहरे कुओं में गैस होने के कुछ निशान पाए गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Grants to States

165. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Educatoin** be pleased to state :

(*a*) the amount of grant/aid sanctioned to the State Governments and the purpose for which it has been given from 1960-61 to 1964-65, yearwise ;

(*b*) the terms and conditions, if any, for the aid or grant ; and

(*c*) whether the question of increasing the Central grants or aid in future is under consideration ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (*a*) to (*c*) . The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

बादागारा, केरल में जूनियर तकनीकी स्कूल

166. श्री अ० व० राघवन् :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बादागारा, केरल में अवर तकनीकी स्कूल स्थापित करने के मामले में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इसके लिए कोई स्थान चुन लिया गया है ; और

(ग) स्कूल कब चालू हो जाएगा ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार आशा है कि यह स्कूल 1965–66 में चालू हो जाएगा। स्कूल किस स्थान पर होगा, इस संबंध में राज्य सरकार ने अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है।

प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालिज, जयपुर

167. श्री कर्णी सिंहजी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालिज की इमारत के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) इसमें दाखिले के लिए कितने स्थान होंगे ;

(ग) कालिज में विभिन्न राज्यों की कुल आबादी पर कितने प्रतिशत स्थान देने का निर्णय किया गया है ; और

(घ) सम्पूर्ण योजना पर क्या लागत आने का अनुमान है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) अभी नहीं। काम चल रहा है।

(ख) कालिज के पूर्ण रूप से स्थापित होने पर 250 दाखिले प्रति वर्ष किये जायेंगे। इस समय 60 दाखिले किये जाते हैं।

(ग) जनसंख्या के आधार पर राज्यों में कालेज के स्थानों का वितरण नहीं किया गया है। आधे स्थान राजस्थान के लिए हैं और आधे स्थान शेष भारत के लिए।

(ख) 233 लाख रुपए।

Political Sufferers

168. Shri Tan Singh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) the number of such political sufferers in the country as had been provided with assistance during the last year ; and

(*b*) the amount of expenditure incurred on this item during the said period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (*a*) 499 during the financial year 1963-64.

(*b*) Rs. 1,90,120.

भ्रामक पाठ्य पुस्तकें

169. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री द्वारका दास मन्त्री :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में भ्रामक पाठ्य पुस्तकों की बिक्री बहुत बढ़ गई है ;

(ख) क्या इस कारण कुछ राज्य सरकारों को करोड़ों रुपयों की हानि हुई है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस दिशा में किसी उपाय पर विचार कर रही है ; और

(घ) अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस कारण कितनी हानि हुई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) विश्वविद्यालयों अथवा राज्य सरकारों से ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

Statues of Foreigners

170. **Shri Vishram Prasad :**
Dr. L. M. Singhvi :
Shri R. G. Dubey :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Shree Narayan Das :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Mohan Swarup :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Hari Vishnu Kamath :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that some statutes of foreigners near Parliament House have been removed ;

(*b*) if so, the number thereof ; and

(*c*) when Government propose to remove the remaining statues of foreigners in Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L.N. Mishra) : (*a*) and (*b*). Three statues, namely, those of Lords Irwin, Chemsford and Reading, from near Parliament House and one namely, that of Lord Willingdon, from the South of the South Block have been removed.

(*c*) Out of the four statues left, the statue of Lord Hardinge in the President's Estate is proposed to be removed shortly.

हवाई अड्डों पर सुरक्षा की व्यवस्था

171. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री बागड़ी :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई उड्डों पर सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उनको कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

लाट्रियां

172. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही लाट्रियों को बन्द करने के प्रस्ताव पर विचार चर रही है ; और

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई लिखा पढ़ी की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्राल में राज्य मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उन राज्यों को, जिन्होंने लाट्रियों के लिये मंजूरी दे रखी है, यह सुझाव भेजा गया है कि वे मंजूरी को वापस ले लें।

'दिल्ली मिरर'

172. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बड़े :
श्री कपूर सिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन जुलाई, 1964 से एक त्रैमासिक पत्रिका 'दिल्ली मिरर' चला रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पत्रिका को प्रकाशित करने के मुख्य कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ल० नां० मिश्र) : (क) और (ख). तृतीय पंचवर्षीय योजना की एक अनुमोदित योजना के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन शीघ्र ही अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में क्रमश: "दिल्ली मिरर", "दिल्ली सन्देश" और "प्यामे दिल्ली" के शीर्षक से तीन पत्रिकाएं प्रकाशित करना चाहता है जिनमें पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रशासन की योजनाओं, कार्यवाहियों और सफल कार्यों के बारे में उपयोगी जानकारी होगी। इन पत्रिकाओं द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रशासन की विकास और कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के प्रचार को बढ़ाने और मजबूत करने का अभिप्राय है।

सपरू समिति का प्रतिवेदन

174. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री प्र० च० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री बासप्पा :
श्री दे० जी० नायक :
श्री द्वारका दास मन्त्री :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च शिक्षा के मामले में केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारियों के सम्बन्ध में संविधान के उपबन्धों की जांच करने के लिये श्री पी० एन० सपरू की प्रधानता में संसद् सदस्यों की जो समिति नियुक्त की गई थी क्या उसने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उनको क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?'

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3027/64]

(ग) समिति की सिफारिशों पर जांच की जा रही है ।

रूस से पैट्रोलियम के उत्पादों का आयात

175. श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री दे० जी० नायक :
श्री छ० म० केदरिया :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार से हाल ही में किसी ऐसे करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसके अन्तर्गत अगले तीन वर्षों में 15 लाख टन पैट्रोलियम उत्पाद का आयात किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह करार पिछले करार की अपेक्षा, जो कि हाल ही समाप्त हुआ है, कैसा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर) : (क) और (ख). अगले तीन वर्षों में 15 लाख टन पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिये भारतीय तेल निगम (विपणन विभाग) ने हाल ही में सोवियत निर्यात संगठन से करार किया है। यद्यपि नये करार के अन्तर्गत न्यूनधिक उतना ही माल आयात किया जायेगा जितना पहले किये गये करारों के अन्तर्गत किया जाता था, आयात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में पहले की अपेक्षा कुछ कमी बेशी होगी। निबन्धन और शर्तें सामान्यतः पहले किये गये करारों से जिमलती जुलती हैं।

धातुकर्मियों की कमी

176. श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात उद्योग के लिये देश में धातुकर्मियों की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ख) इस दिशा में यदि कोई योजना बनाई गई है तो वह क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु०क० चागला) : (क) और (ख). विद्यमान कालिजों और पालिटेक्निक्स के अन्दर धातुकर्म में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उद्योग के लिये इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये इस्पात् सन्यन्त्रों के समीप विशेष संस्थान स्थापित करने का भी विचार है।

सतर्कता आयुक्त

177. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री शशि रंजन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों के विरोध 31 अगस्त, 1964 तक सतर्कता आयुक्त के पास कुल कितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं ; और

(ख) कितने अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गई है और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हाथी) : (क) 31 अगस्त, 1964 तक सतर्कता आयुक्त के पास केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के बारे में 590 शिकायतें दर्ज की गई हैं—318 राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध और 272 अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध।

(ख) 181 शिकायतें जांच के लिये भेजी गई थीं। अब तक 24 पर जांच हो चुकी है और 22 शिकायतें सच नहीं पाई गई हैं। एक मामले में एक अराजपत्रित अधिकारी रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया था और विशेष पुलिस स्थापना इस जांच को पूरा कर रही है। एक अन्य मामले में दो राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

178. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **शिक्षा** मन्त्री 27 मई, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के फायदे के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना लागू करने के प्रश्न पर जांच करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने कोई कार्य किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति की बैठक इस प्रयोजन के लिये 15 जून, 1964 को हुई जिसमें मामले पर सामान्य रूप से चर्चा की गई। समिति ने कुछ ब्यौरे तैयार करने के लिये कहा था जो कि तैयार किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय सन्यन्त्रों की रक्षा

179. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रा० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मन्त्री 27 मई, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सन्यन्त्रों की सुरक्षा और देखभाल के लिये केन्द्रीय सुरक्षा सेना के स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) ये कब स्थापित की जायेंगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). मामला अब भी राज्य सरकारों के विचाराधीन है ।

ईराक तथा कुवैत में तेल की खोज सम्बन्धी रियायतें

180. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक तथा कुवैत में तेल की खोज सम्बन्धी रियायतें प्राप्त करने के प्रयत्नों में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Higher Secondary Schools in Delhi

181. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the total number of Higher Secondary Schools in Delhi; and

(b) the total number of students who appeared in Higher Secondary Examination this year ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) 351.

(b) 20,628.

Acquisition of Plots in Delhi

182. **Shri Naval Prabhakar :**
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Dhaon :
Shri B. P. Yadava :
Shri Shiv Charan Gupta :
Shri Sonavane :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 860 on the 8th April, 1964 and State :

(a) the present position regarding the acquisition of vacant plots by Administration under section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 ; and

(b) when the said plots would be acquired ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) The number of the question referred to by the Honble Members answered on 8th April, 1964 is 960. In accordance with the provisions of Section 5-A of the Land Acquisition Act, 1894, the interested persons have filed objections against the proposed acquisition. About 13,000 objections were received within and about 1,000 objections after the expiry of the prescribed period of one month from the date of publication of the notification in the Gazette. All thise objections are being scrutinised.

(b) Necessary steps to acquire the plots which remain unbuilt without sufficient reason will be taken after the expiry of the period of one year.

गैर सरकारी अध्यापकों को मकान भत्ता

183. श्री अ० क० गोपालन :
श्री नम्बियार :
श्री इम्बीचिबावा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संघ राज्य क्षेत्रों के गैर-सरकारी अध्यापकों को भी मकान भत्ता देने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार को इस बारे में राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं । दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों तथा गोआ में सरकारी सहायता प्राप्त सैकन्डरी स्कूलों के अध्यापकों को पहले ही से मकान भत्ता दिया जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

वाणिज्य तथा विज्ञान के विषयों की पढ़ाई

184. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकारी कर्मचारियों को वाणिज्य तथा विज्ञान के विषयों केबारे में शिक्षा प्राप्त करने में बहुत अधिक कठिनाई हो रही है क्योंकि वे संध्याकालीन कालेजों में केवल कला के विषयों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख). दिल्ली में संध्याकालीन कालेजों में बी० ए० (पास) पाठ्यक्रम (कोर्स) में वाणिज्य विषय की शिक्षा की भी व्यवस्था है। संध्याकालीन कालेजों में विज्ञान विषयों की शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रश्न दिल्ली विश्वविद्यालय को विचार के लिये भज दिया गया है ।

दिल्ली के स्कूलों तथा कालेजों में दाखिला

185. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बैरवा :
श्री अ० सि० सहगल :
श्री बालगोविन्द वर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी बड़ी संख्या में छात्रों को दिल्ली के विभिन्न स्कूलों तथा कालेजों में दाखिला नहीं मिल सका ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनको दाखिला दिलाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महिला होम गार्डस

186. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के महिला होमगार्डों के पहले ग्रुप ने बन्दूक चलाने, आग बुझाने तथा फर्स्ट एड में प्रशिक्षण पूरा कर लिया है ; और

(ख) समूचे देश में अब तक कितनी महिलाओं ने ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त महिला होम गार्डों की संख्या इस प्रकार है :—

(1) बन्दूक चलाना .	4420
(2) आग बुझाना . .	2759
(3) फर्स्ट एड . .	4944

गैर-सरकारी शिक्षा संस्थायें

187. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने राज्यों को एक निदेश जारी किया है और यह सुझाव दिया है कि शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने तथा उनको बनाये रखने के मामले में गैर-सरकारी संस्थाओं पर नियंत्रण रखने के लिये कोई विधान लाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इंजीनियरिंग अध्ययन तथा इस्पात उद्योग

188. श्री हेम बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रा० बरुआ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग शिक्षा को इस्पात उद्योग की आवश्यकताओं से सम्बद्ध करने की

एक योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार ने इस्पात कारखानों के निकट कुछ विशेष संस्थायें स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार किया है जिनमें इस्पात उद्योग से सम्बद्ध विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सुविधा होगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किये गये हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० छागला): (क) वर्तमान इंजीनियरिंग कालेजों तथा पालीटेक्निकों में धातु विज्ञान के डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

(ख) और (ग). इस्पात उद्योग के लिये इंजीनियर तथा तकनीकी व्यक्ति तैयार करने के लिये इस्पात कारखानों के निकट विशेष संस्थायें स्थापित करने का विचार है।

विश्वविद्यालय शिक्षा में सैनिक विज्ञान

189. श्री हरि विष्णु कामत : क्या शिक्षा मंत्री 6 मई, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2896 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक विज्ञान को विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिये एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० छागला) : (क) जी अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस मामले की विस्तार से जांच करने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त कर दी गई है। उस समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

मद्रास तथा हल्दिया तेल शोधनशालायें

190. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री सेझियान :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री अ० ब० राघवन् :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बें० ना० कुरील :
श्री मं० रं० कृष्ण :

श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री कजरोलकर :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री रामपुरे :
श्री दे० जी० नायक :
श्री छ० म० केदरिया :
डा० महादेव प्रसाद :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार तथा कुछ विदेशी तेल कम्पनियों के बीच मद्रास तथा हल्दिया तेल शोधन शालायें स्थापित करने में उनका सहयोग प्राप्त करने के बारे में चल रही बातचीत पूरी हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी नहीं। बातचीत अभी चल रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में साक्षरता आन्दोलन

1911. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र से निरक्षरता समाप्त करने के लिये आन्दोलन चलाया है;

(ख) क्या गांवों में अनपढ़ व्यक्तियों की संख्या जानने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो सम्बंधित अधिकारियों का उनको किस प्रकार शिक्षा देने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या अन्य राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों को भी अपने राज्यों में इस प्रकार का कार्यक्रम चालू करने के लिये कहा गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के सामाजिक शिक्षा विभाग के क्षेत्र कर्मचारियों के पथप्रदर्शन तथा देखरेख में अनपढ़ व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिये अन्शकालिक कार्यकर्त्ताओं को नियुक्त करके ।

(घ) अन्य राज्य सरकारें तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन प्रौढ़ शिक्षा सम्बंधी स्वीकृत कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं ।

मानव भूगोल में स्नातक पाठ्यक्रम

192. **श्री रा० गि० दुबे०** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू किया गया मानव भूगोल का एम० ए० स्नातक पाठ्यक्रम सन्तोषजनक ढंग से नहीं चल रहा है ; और

(ख) इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) : (क) इस पाठ्यक्रम के लिये विद्यार्थी पर्याप्त नहीं हैं परन्तु दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ दो चुने हुए कालेजों में भूगोल में बी० ए० (आनर्स) पाठ्यक्रम लागू करने से स्थिति में सुधार होने की आशा है ।

(ख) इस पाठ्यक्रम में मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल एवं सामाजिक भूगोल पर विशेष बल दिया जाता है ।

समेकित बी० इ० पाठ्यक्रम

193. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा चलाये जाने वाले अथवा इन की सहायता प्राप्त इंजीनियरी तकनीकी कालेजों में पांच वर्षीय समेकित बी० इ० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई आधारभूत निश्चित स्तर की अर्हतायें निर्धारित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन कालेजों में प्रवेश के पात्र होने के लिये विद्यार्थियों की कम से कम विद्या-संबंधी सफलतायें क्या होनी चाहिएं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस मामले में विभिन्न संस्थाओं में विषमता पाई जाती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) : (क) अखिल भारत तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिश पर प्रवेश के लिये कम से कम अर्हता हायर सेकेंडरी/प्री यनिवर्सिटी/सीनियर कैम्ब्रेज या इन के बराबर की परीक्षा में उत्तीर्ण होना निर्धारित की गई है ।

(ख) और (ग). विश्वविद्यालयों के अधीन अथवा उन से सम्बद्ध कालेजों के मामले में, इंजीनियरी स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवश के लिये प्रवेश-अर्हता में कम से कम नम्बरों संबंधी नियम प्रत्येक विश्वविद्यालय निर्धारित करता है । इंडियन इंस्टीट्यूट् आफ तकनालाजी में अखिल भारतीय प्रवश परीक्षा के आधार पर प्रवेश मिलता है ।

कच्चे तेल का उत्पाद

194. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय योजना कालावधि के अन्त तक कच्चे तेल के अनुमानित उत्पादन-लक्ष्य क्या हैं ;

(ख) इन में आसाम आयल फील्ड्स का कितना अंशदान होने की आशा है ;

(ग) यह कच्चा तेल कहां और किस प्रकार साफ किया जायेगा ; और

(घ) चतुर्थ योजना कालावधि के लिये तेल के उत्पादन तथा शोधन संबंधी लक्ष्य क्या निर्धारित किये गये हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) यह अनुमान है कि तृतीय योजना के अन्तिम वर्ष में 66·8 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन होगा ।

(ख) 38.6 लाख टन ।

(ग) गुजरात में उत्पादित कच्चा तेल मुख्यत: गुजरात शोधनालय, कोयाली, में और अंशत: बम्बई स्थित गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल साफ करने वाले कारखानों में साफ किया जायगा । आसाम में उत्पादित तेल गोहाटी, बरोनी एवं दिगबोई तेल शोधन कारखानों में साफ किया जायगा ।

(घ) चतुर्थ योजना कालावधि में तेल के उत्पादन एवं शोधन के लक्ष्यों का निर्धारण अभी विचाराधीन है ।

Post-Matric Scholarships to Backward Class Students

195. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state the amount spent for awarding Post-Matric scholarships to the students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes residing in Punjab State during the First, Second and Third Five Year Plan (so far) periods, respectively ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : *First Five Year Plan period* :

Scheduled Castes	Rs. 12,02,626*
Scheduled Tribes	Rs. 31,191*
TOTAL	Rs. 12,33,817*

(*This expenditure relates to the period 1953-54 to 1955-56. During the period 1951-52 and 1952-53 a total expenditure of Rs. 22,53,527 on Scheduled Castes and Rs. 8,04,232 on Scheduled Tribes was spent by the Government of India. State-wise break-up was not then maintained.)

Second Five Year Plan period :

Scheduled Castes.	Rs. 65,16,083
Scheduled Tribes	Rs. 1,17,116
TOTAL	Rs. 66,33,199

Third Five Year Plan period upto 1963-64 :

Scheduled Castes	Rs. 49,07,452
Scheduled Tribes	Rs. 1,11,559
TOTAL	Rs. 50,19,011

Grants to Punjab Colleges and Universities

196. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the grants sanctioned by the University Grants Commission to various Colleges and Universities in Punjab during 1963-64 and the names of the recepient Colleges and Universities; and

(b) the amount earmarked for disbursement to these institutions during 1964-65 ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The required information is given in the attached statement. [*Placed in library. See. No. L. T. 3028/64*]

(b) Funds are not earmarked to any institution in any particular year. Grants are sanctioned each year for the schemes approved by the Commission, on their merits.

शरणार्थियों के लिये करघे

197. { **श्री बड़े :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य में पुनर्वासित शरणार्थी बुनना जानते हैं ;

(ख) क्या अधिकतर शरणार्थियों ने अनुरोध किया है कि उन्हें भूमि देने की बजाय करघे दिये जाने चाहिये; और

(ग) क्या अब तक केवल 150 व्यक्तियों को करघे दिये गये हैं और शेष को देने के बारे में सरकार ने असमर्थता प्रकट की है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां । लगभग 10 प्रतिशत व्यक्ति बुनना जानते हैं ।

(ख) जी नहीं । किसी व्यक्ति ने भूमि की बजाय करघे नहीं मांगे ।

(ग) वितरित करघों सम्बन्धी आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और उन्हें सभा-पटल पर रख दिया जायेगा । अधिक करघे देने के बारे में सरकार द्वारा असमर्थता प्रकट करने का कोई अवसर नहीं आया ।

दण्डकारण्य में समाज सेवक

198. **श्री बड़े :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य शरणार्थी शिविरों तथा बस्तियों में कितने समाज सेवक काम कर रहे हैं ; और

(ख) दण्डकारण्य में कितने सामाजिक या विशेष कार्यकर्ताओं को सरकार की ओर से मानदेय प्राप्त हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख). दण्डकारण्य परियोजना के प्रशासनिक नियंत्रण में जो श्रम केन्द्र सहायता शिविर हैं उन में 56 सेवक, 3 सेविकायें और एक जोनल नेता काम करते हैं। उन्हें नियमित रूप से मासिक वेतन पर रखा गया है। 5 गैर-सरकारी समाज सेवक भी वहां काम कर रहे हैं। उन्हें सरकार की ओर से कोई वेतन या मानदेय नहीं दिया जाता ।

इन के अतिरिक्त, माना ग्रुप के अस्थायी केन्द्रों में 100 सेवक, 15 सेविकाय और 18 गैर-सरकारी समाज सेवक काम करते हैं। सेवकों को मासिक वेतन मिलता है। गैर-सरकारी समाज सेवकों को सरकार की ओर से कोई वेतन या मानदेय नहीं दिया जाता। यह अस्थायी केन्द्र 30–6–1964 तक दण्डकारण्य परियोजना की देखरेख में थे ।

प्राथमिक स्कूलों के भवन

199. **श्री हेम राज** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिये राज्य सरकारों को ऋण देने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). योजना विचाराधीन है।

केरल में शिक्षा

200. **श्री मणियंगाडन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है कि केरल में प्राथमिक तथा सेकेण्डरी शिक्षा के बढ़ते हुए व्यय का एक अंश केन्द्रीय सरकार को देना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) प्राथमिक एवं सैकेण्डरी शिक्षा सम्बन्धी विकास योजनाओं पर होने वाले व्यय का एक अंश पहले ही केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है। कुछ और भार सहन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

कोचीन का तेल शोधक कारखाना

201. **श्री मणियंगाडन :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन से कोचीन स्थित नये तेल शोधक कारखाने तक कच्चे तेल को पहुंचाने के लिये प्रबन्ध कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रबन्ध क्या है ;

(ग) क्या इस प्रश्न का निरीक्षण कर लिया गया है कि इस से पत्तन के अग्रेतर विकास एवं विस्तार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) क्या पत्तन से तेल शोधक कारखाने तक तेल के परिवहन के लिये कोई बदले का प्रस्ताव भी था ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ). कच्चे तेल को कोचीन तेल शोधक कारखाने तक पहुंचाने सम्बन्धी प्रबन्धों का अन्तिम रूप निश्चित करते समय इस पर विचार किया जायगा ।

दिल्ली में आत्महत्या

202. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में दिल्ली में आत्महत्या की कितनी घटनायें हुईं ;

(ख) क्या दिल्ली में इस प्रकार की घटनायें बढ़ रही हैं; और

(ग) अधिकतर मामलों में किन मुख्य कारणों से आत्महत्यायें की गयीं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क)

1962	1963
118	118

(ख) जी नहीं ।

(ग) अस्वास्थ्य एवं दुःखद पारिवारिक जीवन ।

अरब संघ गणराज्य में अन्तर्राष्ट्रीय युवक शिविर

203. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अरब संघ गणराज्य में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय युवक शिविर में भाग लेने के लिये सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार भाग लिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रूस में संस्कृत पांडुलिपियां

204. श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या उन का ध्यान रूसी दूतावास के एक प्रेस नोट की ओर दिलाया गया है कि तुर्कमीनिया में मर्न नामक एक प्राचीन नगर में खुदाई करते समय एक प्राचीन संस्कृत पांडुलिपि पाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह जानने का प्रयास किया गया है कि वह पांडुलिपि किसी प्रकार की है और उस का विषय क्या है; और

(ग) क्या इस के तथा मध्य एशिया में इस से पहले पाये गये प्राचीन लेखों के पूर्ण रिकार्ड को, जिन से भारत एवं मध्य एशिया के बीच प्राचीन सांस्कृतिक सम्पर्कों पर नवीन प्रकाश पड़ने की आशा है, एकत्र करने और प्रकाशित करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) से (ग) जी हां। एक सुसज्जित कलश पर संस्कृत का एक लेख पाया गया है। जो रूसी विशषज्ञों के पास है। उस लेख को पढ़ने में और वह लगभग कब लिखा गया इस बात को तथा अन्य ब्योरे को जानने में कुछ समय लगेगा। उस छानबीन के जो परिणाम निकलेंगे उन्हें जानने का प्रयास किया जायगा और उन पर अग्रतर कार्यवाही उन परिणामों पर निर्भर होगी।

आर्थिक अपराध प्रभाग

205. श्री यशपाल सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय गृह-मंत्रालय में एक नया "आर्थिक अपराध प्रभाग" गठित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के कृत्य क्या हैं ; और

(ग) इस प्रभाग पर अनुमानित आवर्तक व्यय कितना होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) यह आर्थिक अपराध प्रभाग ऐसे मामलों को निबटायेगा जिन का सम्बन्ध पूर्णत: आर्थिक अपराधों से होगा, विशेषकर ऐसे मामले जो सीमा-शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन कर अधिनियम, आय-कर अधिनियम, अफीम तथा हानिकर औषधि अधिनियम, समवाय विधि अधिनियम, स्वर्ण नियंत्रण नियम के अन्तर्गत आते हैं तथा इस प्रकार के ऐसे मामलों को भी निबटायेगा जो वित्तीय अपराधों के हों। चौर्यानयन के मामले तथा आय-कर अपवंचन के महत्वपूर्ण मामले भी इस प्रभाग द्वारा ही निबटाये जायेंगे ।

(ग) 8,10,658 रुपये ।

वैज्ञानिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर

206. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती ।**
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा जो राष्ट्रीय रजिस्टर रखा जाता है उस में जून, 1964 तक कुल कितने व्यक्तियों को पंजीवद्ध किया गया ; और

(ख) सरकारी संस्थाओं एवं शिक्षा संस्थाओं से संलग्न स्नातकोत्तर वैज्ञानिकों का उद्योगों से संलग्न ऐसे वैज्ञानिकों से क्या अनुपात है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 2,75,628।

(ख) वैज्ञानिकों एवं तकनीकी कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार, 21 प्रतिशत स्नातकोत्तर वैज्ञानिक सरकारी संस्थाओं में हैं; 50 प्रतिशत शिक्षा संस्थाओं में ; 19 प्रतिशत अनुसन्धान संस्थाओं में और 10 प्रतिशत सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में हैं।

नालन्दा में अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

207. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती ;**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नालन्दा में एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म संबंधी ज्ञान, योग, तंत्र, संस्कृत, तथा पाली भाषाओं के प्रचार के लिये विशेष विभाग खोले जायेंगे, और

(ग) क्या नव-नालन्दा महाविहार, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का रूप दिया जायगा, बौद्ध ज्ञान एवं अनुसन्धान का केन्द्र बना रहेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

पैट्रो-रसायनिक उद्योग तथा हल्दिया की तेल शोधन शाला

208. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री रानेन सेन :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री सारादीश राय :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पैट्रो-रसायनिक उद्योग तथा हल्दिया की तेल शोधक शाला की योजनाओं की प्रगति किस स्थिति में है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : पैट्रो-रसायनिक उद्योगों को हल्दिया क्षेत्रमें स्थापित करने का कार्य शोधनशाला की स्थापना के साथ साथ ही किया जायगा ।

प्रारम्भिक कार्य, स्थान का चुनाव कर लिया गया है । कुछ प्रस्थापनायें हल्दिया शोधन शाला के सम्बन्ध में प्राप्त हुई हैं।

University Grants Commission

209. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the question of reorganisation of the University Grants Commission is under consideration ;

(b) whether a decision in this respect has been taken ; and

(c) if so, the broad features thereof ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (c). The Committee of Members of Parliament on Higher Education has made certain recommendations in this regard. The same are under consideration.

पूर्व पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्तियों की सम्पत्ति

**210. { श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री मुहम्मद इलियास :**

या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह जानकारी एकत्रित कर रही है कि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति कितनी सम्पत्ति पीछ छोड़ आये हैं ?

(ख) यदि हां, तो इस विस्थापित सम्पत्ति का अनुमान क्या है ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इसके लिए कोई मुआवजा मांगा है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जानकारी एकट्ठी की जा रही है कि विस्थापितों की कृषि योग्य भूमि पीछ छोड़ी गई कितनी है ताकि उन से भारत में पुनर्वास की ठीक प्रकार के व्यवस्था की जा सके ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) नहीं ।

Chinese Detenus

**211. { Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Ram Harkh Yadav :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Chinese detenus in India as on 1st September, 1964 and the names of places where they have been detained ; and

(*b*) the annual expenditure incurred on them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (*a*) The number of Chinese nationals interned in the Central Internment Camp, Deoli, as on the 1st September 1964, is 441. In addition, there are 156 Chinese nationals detained in jails in Assam, West Bengal, Maharashtra and Punjab.

(b) Rupees seven lakhs approximately.

Scientific Talent Search

212. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the scheme of competition for the discovery of scientific talent among the students which was introduced first of all by Government in the year 1962-63 in Delhi has now been extended to the whole of the country ;

(b) if so, the number of students selected throughout the country State-wise and the number of students who were called for interview ;

(c) the number of centres set up for this purpose;

(d) the places where the Centres are located ; and

(e) the basis of award of the scholarships and the amount thereof ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached. [Placed in Library. *See* No. L T.—3029/64].

(c) 315 Centres for written Examination and 6 centres for interview ;

(d) In all educational districts headquarters.

(e) The scholarships are awarded on the basis of the results of written tests in Science aptitude test, Essay paper and Project report and an interview. The value of the scholarship is Rs. 50 p.m. for first year and Rs. 75 p.m. for the next two years in a degree course.

विदेशों में भेज गये पिछड़े वर्ग के छात्र

213. { श्री बलजीत सिंह :
श्री गुलशन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंच वर्षीय योजना काल के प्रत्येक वर्ष में वर्ष वार कितने छात्रों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों में से चुन कर विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए भेजे जाने वाले छात्रों की संख्या क्या है ; और

(ख) उन्हें जिन देशों में भेजा गया उनका नाम क्या है तथा उन्हें किस प्रकार की उच्च शिक्षा दी गयी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : भारत सरकार की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़ वर्गों के छात्रों को विदेशों में शिक्षा के लिए देने वाली छात्रवृत्तियों सम्बन्धी योजना निम्न प्रकार से है :—

(क)

वर्ष	चुने हुए उम्मीदवारों की संख्या			विदेशों में भेजे गये उम्मीदवारों की संख्या			टिप्पण
	अनु० जाति	अनु० आ०	पिछड़े वर्ग	अनु० जाति	अनुआदिम	पिछड़े वर्ग	
1961–62 . .	5	5	4	2	5	2	
1962–63 . .	4	5	4	7	3	6	
1963–64 . .	6	3	5	4	4	2	
1964–65 .	चुनाव नहीं हुआ			कुल लोगों को 1963-64 में चुना गया जो चालू वर्ष में बाहर जायेंगे।			
1965–66 .	चुनाव करने और उम्मीदवारों को बाहर भेजने के बारे में 1965–66 में विचार किया जायेगा।						

(ख)

देशों के नाम जहां उन्हें भेजा गया	उच्च शिक्षा के विषय जिन में जशिक्षा दी गयी
ब्रिटेन और अमरीका	इंजीनियरिंग, डाक्टरी पुरातत्व, समाज शास्त्र, कृषि, मानववाद

पंजाब की शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

214. **श्री बलजीत सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 और 1964–65 में निरन्तर अनुदान के लिये आवेदन करने वाली पंजाब की शिक्षा संस्थाओं के नाम क्या हैं और

(ख) प्रत्येक के लिए स्वीकृत की जाने वाले अनुदान की राशि क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3030/64]

माध्यमिक शिक्षा के लिये सर्वेक्षण

215. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यमिक शिक्षा के लिए सर्वेक्षण करने के हेतु काफी संख्या में योग्य और अनुभवी लोग उपलब्ध नहीं हो रहे हैं ;

(ख) क्या यह ठीक है कि संयुक्त राज्य के स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग को राष्ट्रीय शिक्षा गवेषणा और परिशिक्षण परिषद् की इस कार्य में सहायता करने को कहा है ;

(ग) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस कार्य के लिए, जो माध्यम शिक्षा स्थायी समिति का निर्माण किया था, उसे क्यों समाप्त कर दिया गया ; और

(घ) क्या इस बात की जांच करने की कोई प्रस्थापना है कि हमारा शिक्षा निदेशालय उन विदेशियों पर अधिक आश्रित हो रहा है जो कि यहां विशेषज्ञ का आवरण धारण कर आ रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). पी० एल० 480 के अन्तर्गत जो कि राशि अमरीका सरकार से प्राप्त हो रही है उसका 50 प्रतिशत राष्ट्रीय शिक्षा गवेषणा तथा प्रशिक्षण परिषद् की परियोजनाओं पर खर्च हो रहा है। इन परियोजनाओं में से एक परियोजना माध्यम स्कूलों का सर्वेक्षण है। यह कार्य तथा अन्य कार्य उपरोक्त परिषद् बिना किसी विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से कर रही है ।

(ग) क्योंकि शिक्षा की सभी दिशाओं की जांच करने के लिये आयोग स्थापित किया गया है, अतः केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने स्थायी समिति को समाप्त कर दिया है ।

(घ) विदेश सलाहकारों को केवल उन क्षत्रों में ही सहायता के लिये निमन्त्रित किया जाता है जहां कि इन विदेशी तत्वों की सहायता बहुत ही अनिवार्य होती है ।

तेल समवायों का रुपया समवायों में परिवर्तन होना

216. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दे० द० पुरी :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या पेट्रोलिम और रसायन मंत्री 25 मार्च 1964 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 741 के उत्तर के उल्लेख से यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय अधिनियम के अन्तर्गत बर्मा शैल, कालटेक्स, और एससओ को तेल समवायों को परिवर्तित करने के सम्बन्ध में कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकें

217. **श्री दे० द० पुरी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि यद्यपि दिल्ली स्कूलों की नई क्लासें लग गई हैं परन्तु विद्यार्थियो को पाठ्य पुस्तकों की वे सूचियां नहीं दी गई हैं जो कि चालू वर्ष में पढ़ाई जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) नहीं जी । मार्च, 1964 को दिल्ली के शिक्षा निदेशक की ओर से स्वीकृत पाठ्य पुस्तकों की अनुसूची दिल्ली के स्कूलों में वितरण की गई और केन्द्रीय हायर सैकेंडरी शिक्षा बोर्ड के सचिव की ओर से यह सूची अप्रैल, 1964 में परिचालित की गई ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसूर में गैरसरकारी इंजीनियरिंग कालेज

218. **श्री बासप्पा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही मैसूर के गैर-सरकारी इंजीनियरिंग कालिजों के कार्यों के विविध अंगों का निरीक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दल ने किया है ; और

(ख) क्या इन कालिजों के वित्तीय संसाधनों को सन्तोषजनक समझा गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) कालिजों का निरीक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की उपसमिति ने किया है ।

(ख) इस समिति के प्रतिवेदन के अनुसार कुछ कालिजों के वित्तीय साधन काफी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो काफी नहीं हैं ।

Indian Dacoits in Pakistan

219. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of notorious dacoits of Rajasthan who have taken refuge in Pakistan ;

(b) whether any communication has been sent to the Government of Pakistan for the return of such dacoits; and

(c) if so, the reply received from the Government of Pakistan ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) :

(a) 47, Sir.

(b) No.

(c) Does not arise.

टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) में पुरातत्व खोजें

220. { श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री बे० ना० कुरील :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में हाल ही ईसा से पूर्व की सातवीं शताब्दी की देवी, देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) और (ख). हाल ही के वर्षों में टीकमगढ़ जिले में तीन सूर्य मन्दिर खोद निकाले गये। उनमें से दो ईसा से पूर्व की नवम शताब्दी के थे। ये दोनों गांव मानखेड़ा तथा उमरी में निकाले गये और अन्य एक बारागांव गांव में निकाला गया जो 12वीं शताब्दी का था। हिन्दू देवताओं के बुत जिनमें सूर्य देव भी शामिल हैं इन मन्दिरों में थे। प्रयत्न किये जा रहे हैं कि इन मन्दिरों का संरक्षण किया जाय ।

कालीबंगा पर पुरातत्व संबंधी खुदाई

221. { श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'स्टेट्समेन' के 23 जुलाई, 1964 को नगर संस्करण में प्रकाशित एक खबर की ओर गया है, जिसमें कालीबंगा जोकि बीकानेर जिले के एक कस्बे हनुमानगढ़ के पास एक गांव है, में हुई खुदाई का उल्लेख है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां से क्या निकला है, और उससे अतीत भारत के इतिहास पर क्या प्रकाश पड़ता है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां।

(ख) खुदाई से इस बात पर प्रकाश पड़ा है कि सिंधु सभ्यता के तथा धातु काल के समय में नगरों की सभ्यता क्या थी। ईंटें, घर और तंदूर किस तरह के थे और बर्तन जोकि हरप्पा के बर्तनों से भिन्न थे ।

खुदाई के विशेष रूप से तथ्य ये हैं :—

(1) **सिन्धु घाटी तथा हरप्पा संस्कृति** :

सादे और चित्रित बर्तन, मोहरे, बाट, ब्लेड, कुल्हाड़ियें, छुरिये, तांबे और कांसे के और जो सभी सिन्धु घादी सभ्यता के विशेष थे ।

(2) **सिन्धु घाटी से पूर्व** :

इस समय के बर्तन सजावट और बनावट में हरप्पा के बर्तनों से भिन्न हैं । इसकी विशेषता यह है कि सामान्य काले रंग के साथ सफेद रंग का भी प्रयोग किया

गया है। कुछ जो कोट दीजी के निचले स्तर पर प्राप्त हुई वे हरप्पा के निक्षपों के अवशेष हैं। छोट साइज़ के ब्लेड भी लम्बे हरप्पा ब्लेडों की तरह के हैं। चूड़ियां, कुल्हाड़ियां, सुईयां जो कांसे और तांबे के बने हैं इस बात का सबूत है कि इस समय धातु कर्म का पूर्ण ज्ञान था।

कालीबंगा पर जो भी खोद निकाला गया है उस से पता चलता है कि वह नगर सिन्धु साम्राज्य की गंज्जर घाटी की प्रान्तीय राजधानी था। जैसेकि नीचे की सिन्धु घाटी में हरप्पा, रावी और महन्जोदारो थे।

इटली के अखबार में प्रकाशित पत्र की जांच

222. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या गृह-कार्य मंत्री 3 जून, 1964 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 134 के उत्तर के उल्लेख से यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली के अखबार "अल बोंजीज़" में छपे पत्र की, जिसमें कि पश्चिम बंगाल, आसाम तथा नागालैंड में सशस्त्र क्रान्ति की योजना के पूरे हो जाने की बात थी, जांच पूर्ण कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकाला गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय मे राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). इटली के अखबार 'अल बोंजीज़' में छपे पत्र की अधिकृतता के बारे में अभी जांच चल रही है।

शोधनशाला करार

223. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० मं० बनर्जी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा शैल ने हाल ही में वर्त्तमान शोधनशाला करार में परिवर्तन करने का कोई करार सरकार से किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान करार की शर्तें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) बम्बई में बर्मा शैल शोधनशाला की स्थापना करने के सम्बन्ध में 1951 के करार में अपेक्षित परिवर्तन करने के बारे में सरकार से बातचीत चल रही है।

(ख) माननीय सदस्यों का ध्यान 28 अगस्त, 1953 को सभा पटल पर रखे गये विवरण की ओर आकृष्ट करवाता हूं।

अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की बैठक

224. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 29 से 31 दिसम्बर, 1963 को हुई अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की

39वीं बैठक की कार्यवाही की रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वह विस्तार से क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) केवल बैठक का विवरण प्राप्त हुआ है ।

(ख) बोर्ड की मुख्य सिफारिशों तथा निर्णयों का विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3031/64]

(ग) सिफारिशों और निर्णयों पर विचार किया जा रहा है ।

देहाती संस्थायें

225. **श्री रामचन्द्र उलाका ।**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री 18 मार्च, 1964 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 648 के उत्तर के उल्लेख में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दो देहाती संस्थाओं की स्थापना करने की प्रस्थापनाओं पर विचार किया गया है और क्या वर्तमान कृषि विज्ञान पाठ्यक्रम को बढ़ाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो विस्तार से योजना क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). प्रस्थापनायें अभी भारत सरकार के विचाराधीन हैं ।

भारतीय पेट्रोलियम संस्था, देहरादून

226. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या शिक्षा मंत्री 6 मई, 1964 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1341 के उत्तर के उल्लेख से यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की सहायता से देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्था, देहरादून में पेट्रो-रसायनिक विभाग की स्थापना किये जाने की प्रस्थापना पर निधि द्वारा विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह विस्तार से क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र की विशेष निधि की कार्यकारिणी परिषद् ने अपने जून 1964 में हुए 12वें सत्र में भारतीय पेट्रोलियम संस्था, देहरादून में पेट्रो-रसायनिक विभाग 1,083,800 डालर

से चालू करने की परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी। व्यय का ब्योरा इस प्रकार है :—

विशेषज्ञ	423,800	डालर
फैलोशिप्स	55,000	डालर
सामान	500,000	डालर
मिश्रित व्यय	25,300	डालर
कार्यकारण अभिकर्ता व्यय	70,200	डालर
विशष निधि के सीधे खर्च	9,500	डालर
कुल	1,083,800	अमरीकी डालर
अर्थात्	51.60	लाख रुपये।

रूसी शिक्षा विशारदों का आगमन

227. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री 6 मई, 1964 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1326 के उत्तर के उल्लेख से यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिस रूसी शिष्टमंडल ने भारत भर का भ्रमण कर प्रौढ़ शिक्षा की स्थिति का अध्ययन किया था कोई प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मोटे तौर पर रूप रेखा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) नहीं जी, शिष्टमंडल ने किसी प्रतिवेदन की अपेक्षा नहीं की।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

तकनीकी शिक्षकों का केन्द्रीय एकक

228. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी शिक्षकों का केन्द्रीय एकक बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सविस्तार रूप रेखा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). योजना का पुनः निर्माण किया जा रहा है ।

दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों का विकास

229. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री शिव चरण गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री 8 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 950 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और उत्तर प्रदेश स्थित दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों का समेकित विकास सुनिश्चित करने के लिए एक प्राधिकार स्थापित करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). यह मामला अभी विचाराधीन है ।

प्रादेशिक तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं

230. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या शिक्षा मंत्री 29 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1240 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में अब तक नवीनतम कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इन संस्थाओं का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) प्रादेशिक संस्थाओं के प्रिन्सिपलों का चयन किया जा रहा है और प्राथमिक परियोजना ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

(ख) आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था होते ही संस्थाओं में काम आरम्भ हो जायेगा ।

संघ राज्य-क्षेत्रों में अध्यापकों का वेतन-स्तर

२३१. श्री रिशांग किशिंग : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने संघ राज्य-क्षेत्रों में अध्यापकों के समान वेतन स्तर निर्धारित करने की समभावना का पता लगाने के लिये संघ राज्य-क्षेत्रों के शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों के साथ बात चीत की है;

(ख) यदि हां तो क्या कोई अंतिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां इस मामले पर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और दिल्ली के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गयी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस बातचीत के दौरान दिये गये सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

पंजाब में कालिज

232. **श्री बलजीत सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब की राज्य सरकार ने वर्तमान कालिजों में सुविधाएं उपलब्ध कराने और नये कालिज खोलने के लिये मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रार्थना पर इस बीच केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड की स्थायी समिति ने विचार कर लिया है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1962 में विद्यमान कालिजों के विकास के लिये ग्राह्य अनुदान मंजूर किया है । नये कालिजों की स्थापना के लिये आयोग कोई अनुदान मंजूर नहीं करता ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Magazine "Sadachar"

233. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a bulletin "Sadachar" is being started by Government to combat corruption ; and

(b) if so, the number of languages in which the said bulletin will be published ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) For the present in English only.

नागा विद्रोहियों द्वारा नागाओं के मुखिया का अपहरण

234. **श्री प्र० के० देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के माओं सब-डिवीजन में दो नागा मुखियाओं का नागा विद्रोहियों ने अगस्त के प्रथम सप्ताह में अपहरण कर लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नागा मुखियाओं को छोड़ दिया गया है ; और

(ग) मनीपुर में नागा विद्रोहियों की विद्रोहात्मक गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) छिपे हुए नागा नेताओं के साथ हुए कार्रवाई को रोकने के समझौते की शर्तों के अन्तर्गत नागालैंड राज्य में और मनीपुर के उत्तरी सब-डिवीजन में सुरक्षा बलों ने

अपनी कार्रवाइयां रोक दी हैं । जितनी अवधि तक ये शर्तें लागू रहती हैं, इन क्षेत्रों में कोई हिंस्र घटना घटने की आशा नहीं है । अन्य क्षेत्रों में स्थिति के अनुरूप पर्याप्त सुरक्षात्मक कार्रवाइयां की जाती रहेंगी ।

काशी के निकट पुरातत्वीय खुदाई

235. **श्री बसुमतारी :** क्या शिक्षा मंत्री 27 मई, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काशी के निकट पुरातत्वीय खुदाई के बारे में जानकारी प्राप्त हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसको सभा पटल पर रखा जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख). जी, हां ।

पेट्रो-रसायन और उर्वरक के लिये विदेशी सहायता

236. **श्री बासप्पा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में ही पेट्रो-रासयन और उर्वरक उद्योगों के विकास के लिये भारत के कार्यक्रम में विदेशी सहयोग प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये कई योरोपीय देशों का दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख). जी, हां । मेरे दौरे का उद्देश्य कुछ तो अच्छे सम्बन्ध और सम्पर्क स्थापित करना था और कुछ तेल, पेट्रो-रासयन और उर्वरक के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना था । मुझे इन सभी क्षेत्रों में अपने विकास कार्यक्रमों में पर्याप्त रुचि मिली और विदेशी सहायता और सहयोग की संभावना अच्छी है ।

दिल्ली में किंग्सवे का पुनर्विकास

237. **श्री शिव चरण गुप्त :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुड़ की मंडी में क्वार्टर बनाने तथा किंग्जवे, दिल्ली का पुनर्विकास करने के लिये अब तक कितनी राशि दी गयी है ;

(ख) इन योजनाओं के लिये वर्ष 1964-65 में कितनी राशि निर्धारित की गई है ; और

(ग) इन योजनाओं में कितनी प्रगति हुई है और वे कब तक पूरी हो जायेंगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) इन कार्यों के लिये दिल्ली नगर निगम को 31-3-1964 तक निम्नलिखित ऋण दिये गये हैं :—

(एक) गुड़ की मंडी के लिये 4 लाख रुपये (इसमें 3 लाख रुपये भूमि का मूल्य भी शामिल है)

(दो) किंग्सवे कोलोनी के लिये (26·37 लाख रुपये) (इसमें 1·37 लाख रुपये भूमि का मूल्य भी शामिल है)।

(ख) गुड़ की मंडी के लिये 3 लाख रुपये। किंग्सवे कोलोनी के लिये 20 लाख रुपये।

(ग) गुड़ की मण्डी :

बनाये जाने वाले 170 मकान में 77 कमरों की नींव डाली जा चुकी है और लगभग 50 मकान खिड़की तलपट्ट तक तैयार हो चुके हैं। अगस्त, 1965 के अन्त तक कुल 93 मकानों के बन कर पूरा हो जाने की संभावना है। शेष मकानों के बन कर तैयार हो जाने की तिथि के बारे में नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिस भूमि पर मकान बनने हैं उसके सम्बन्ध में विवाद चल रहा है।

किंग्सवे कोलोनी :

दिल्ली नगर निगम से अपेक्षित जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय टेनिस खिलाड़ी

238. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी श्री जे० मुकर्जी तथा श्री पी० लाल निजी निमंत्रणों के आधार पर विदेशों में उन देशों की टुर्नामेन्टों में भाग ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय लान टेनिस संघ ने उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई की है;

(ग) क्या संघ ने सरकार से प्रार्थना की है कि उन्हें 'पी' फार्म तथा यात्रा सम्बन्धी अन्य सुविधायें न दी जायें; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां। प्रारम्भ में उन्होंने ऐसा किया था; किन्तु बाद में उन्होंने आपत्ति वापिस ले ली और उनके मामले में सरकार से सिफारिश की।

(घ) अन्ततः खिलाड़ियों को विदेश जाने की अनुमति दी गई।

डेनिश छात्रवृत्तियां

239. **श्री चांडक :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनमार्क सरकार ने भारतीय विद्यार्थियों को डेनमार्क में शिक्षा प्राप्त करने के लिये कुछ छात्रवृत्तियां दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो छात्रवृत्तियों की राशि क्या है, ये कितनी अवधि के लिये और किन शर्तों पर दी जायेगी; और

(ग) वर्ष 1963 और 1964 में कितने विद्यार्थियों को डेनिश छात्रवृत्तियां दी गईं और डेनमार्क में उनके अध्ययन के विषय क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरतवीह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). डेनमार्क सरकार द्वारा 1960-61, 1961-62 और 1964-65 में दी गई छात्रवृत्तियों के बारे में अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3032/64] वर्ष 1962–63 और 1963–64 में कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गई ।

अमरीकी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्मुद्रण

240. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी पाठ्यपुस्तकों के सस्ते पुनर्मुद्रित संस्करण उपलब्ध करने के लिये उन्हें भारत में प्रकाशित करने सम्बन्धी कोई कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्योरा क्या है और भारत में किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें पुनर्मुद्रित की जायेगी ; और

(ग) इस कार्य के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). एक भारत–अमरीकी कार्यक्रम के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकों के सस्तें संस्करण, आदर्श कृतियां तथा और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये विज्ञान, इंजीनियरिंग, मानवशास्त्र और सामाजिक विज्ञान सम्बन्धी उपयोगी सामग्री भारत में प्रकाशित की जा रही है । कार्यक्रम को पी० एल० 480 की निधि से सहायता दी जाती है तथा कम मूल्य वाले संस्करणों का मल्य मौलिक संस्करणों के मूल्य का $\frac{1}{4}$ से $\frac{1}{3}$ मूल्य निर्धारित किया जाता है । विशषज्ञों की सिफारिशों पर एक बोर्ड इन पुस्तकों का चुनाव करता है तथा स्वीकृति देता है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक लगभग 104 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं।

(ग) इन पुस्तकों के प्रकाशन पर अमरीकी प्रकाशकों को इनके मूल मूल्यों का 10 प्रतिशत तक स्वामित्व के रूप में विदेशी मुद्रा देनी पड़ेगी ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थायें

241. **श्री इ० मयुसूदन राव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खड़गपुर, मद्रास, बम्बई, कानपुर और नई दिल्ली की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं में इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में कुल कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं ;

(ख) इन प्रौद्योगिकी संस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों में चार वर्ष में कितने विद्यार्थी दाखिल किये गये ; और

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में पाठ्यक्रम कितनी अवधि के लिये होता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी

सदाचार समिति

242. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री बागड़ी :
श्री मणियंगाडन :
श्री बाल्मीकी :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री बालगोविन्द वर्मा :
श्री दलजीत सिंह :
श्री बड़े :
श्री द्वारका दास मन्त्री :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री दाजी :
श्री गुलशन :
श्री मं० ला० जाधव :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सदाचार समिति तथा सरकार के पारस्परिक सम्बन्धों में हाल में कुछ अनिश्चितता सी आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के वस्तुत: क्या स्थिति है ; और

(ग) यदि इसकी वर्तमान स्थिति में उस स्थिति की तुलना में, जो कि 5 जून, 1964 को थी, कुछ परिवर्तन हो गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) संयुक्त सदाचार समिति के नाम से एक गैर-सरकारी संगठन का 1860 के समिति पंजीयन अधिनियम 21 के अन्तर्गत, जो 1957 के (पंजाब संशोधन) अधिनियम के साथ दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र पर लागू किया गया है, समिति के रूप में पंजीयन किया गया है। श्री गुलजारी लाल नन्दा इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के उद्देश्य निम्न हैं :—

(1) एक ऐसे सामाजिक तथा नैतिक वातावरण का निर्माण करना जिससे नैतिक मूल्यों तथा चरित्र निर्माण को बढ़ावा मिले। इस लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए नैतिक जागृति तथा सामाजिक अभ्युदय के लिये देश में एक तीव्र तथा व्यापक आन्दोलन करना;

(2) हर प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये जनता की इच्छा शक्ति तथा सामर्थ्य का विकास करना ;

(3) हर प्रकार के भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिये देश के सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों की शक्ति तथा संसाधनों को जुटाना; और

(4) लोगों की सब प्रकार के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतों को दूर करने में सहायता प्रदान करना तथा इसके प्रयोजनार्थ एक उपयुक्त व्यवस्था स्थापित करना।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

संगीत नाटक अकादमी

243. श्री बृजराज सिंह :
श्री बड़े :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "संगीत नाटक अकादमी" के कार्यकलापों की जांच करने के लिये जो समिति सरकार ने नियुक्त की थी उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख). एक समिति स्थापित की गई है जिसके निर्देश पद निम्नलिखित हैं :—

(1) अकादमी जिस दिन से बनी है तब से लेकर आज तक किये गये उसके कार्य का मूल्यांकन करना।

(2) चौथी योजना में सम्मिलित करने के लिये अकादमी द्वारा कार्यान्वित किये जाने के लिये नयी मदों तथा योजनाओं का सुझाव देना और वित्त सम्बन्धी आवश्यकता के अनुमानों सहित भावी योजना बनाना; और

(3) इस प्रकार की अन्य सिफारिशें करना जो कि अकादमी के कार्यकरण में सुधार करने के हेतु तथा इसके द्वारा किये जाने वाले कार्यकलापों को दृढ़ता प्रदान करने की दृष्टि से उचित समझी जाएं।

समिति ने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय भाषायें

244. **श्री गु० सिं० मुसाफिर :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रत्येक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन करने वाले (प्रातःकालीन तथा सायंकालीन शिफ्टों में) स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की अलग-अलग संख्या कितनी है ;

(ख) विश्वविद्यालय में प्रत्येक भाषा का सर्वप्रथम अध्ययन कब चालू किया गया था ; और

(ग) विश्वविद्यालय में प्रत्येक भाषा पढ़ाने के लिये अलग-अलग (अंशकालिक तथा पूर्णकालिक) कितने शिक्षक हैं तथा वे कब नियुक्त किये गये थे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिय संख्या एल०/टी० 3033/64**]

गृह कल्याण केन्द्र

245. **श्री गु० सिं० मुसाफिर :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों की कुछ बस्तियों में गृह कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं ;

(ख) इस प्रकार के केन्द्रों की संख्या तथा शिक्षकों के वेतन क्रम क्या हैं ;

(ग) इन केन्द्रों का प्रबन्ध किस के हाथ में है ; और

(घ) क्या शिक्षकों को प्रत्येक मास समय पर वेतन नहीं मिलता है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय 55 गृह कल्याण केन्द्र चालू हैं जिनका विवरण इस प्रकार है

शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र	38
नर्सरी तथा संगीत केन्द्र	8
उत्पादन केन्द्र	9

शिक्षकों को, जो कि अंशकालिक तथा पूर्वकालिक दोनों प्रकार के हैं, 60 रुपये से लेकर 120 रु० तक मानदेय मिलता है।

(ग) इनका प्रबन्ध गृह कल्याण केन्द्रों के संगठक के द्वारा गृह-कार्य मन्त्रालय (कर्मचारी कल्याण संगठन) करता है।

(घ) धन प्राप्त करने में अनुभव की जाने वाली कुछ प्रशासकीय तथा प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयों तथा किये गये कार्य के बिलों का भुगतान देर से मिलने के कारण शिक्षकों को कभी-कभी वेतन देर से मिलता है।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : सभा का कार्य लेने से पहले मैं श्री एस० सी० गुप्त के निधन के बारे में उल्लेख करूंगा । वे केन्द्रीय विधान सभा के सचिव रह चुके हैं और वे 1933 में सेवानिवृत्त हुए । उनका सेवा काल बहुत ही सराहनीय रहा । उनका 87 वर्ष की आयु में 7 सितम्बर, 1964 को कलकत्ता में देहान्त हुआ । उनके एक पुत्र, श्री इन्द्रजीत गुप्त इस सभा के सदस्य हैं । मेरा निवेदन है कि सदस्य उनके सम्मान में कुछ समय के लिये मौन खड़े रहें ।

इसके पश्चात् संसद् सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े रहे।

(*The Members then stood in silence for a short while.*)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

(1) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा अपनी बहुत सी सेवाओं को स्थगित करने के बारे में किया गया कथित निर्णय

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : मैं असैनिक उड्डयन मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वे उस बारे में एक वक्तव्य दें :

"इण्डियन एयर लाइन्स कारपरेशन द्वारा अपनी बहुत सी सेवाओं को स्थगित करने के बारे में किया गया कथित निर्णय ।"

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : 13 अगस्त, 1964 को कारपोरेशन के प्रबन्धक-वर्ग और इण्डियन कार्मशियल पायलेट्स एसोसियेशन के बीच होने वाली बातचीत के असफल हो जाने के बाद उक्त एसोसिएशन ने 22 अगस्त, 1964 से ड्यूटी और उड़ान के समय की सीमा बंधी लागू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप अपने वायुयानों को चलाने के लिए पायलेटों के कम समय तक उपलब्ध होने के कारण इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को सभी कारवेल सेवाएं और कुछ दूसरी सेवाएं बन्द करनी पड़ी हैं ।

संक्षेप में, इन परिसीमाओं के अन्तर्गत एक पायलेट एक दिन में निश्चित घण्टों या एक सप्ताह या एक महीने में निश्चित घण्टों के अतिरिक्त वायुयान चलाने का कार्य नहीं करेगा । उनको उड़ान तथा ड्यूटी के समयों के बीच कुछ विश्राम करने का समय भी दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह विवरण कितना लम्बा है ?

श्री कानूनगो : लगभग पांच पृष्ठ का है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा-पटल पर रख दिया जाये। इस पर कल प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

[**शेष विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। (पुस्तकालय में रखा। गया देखिये संख्या एल० टी० 3013/64)**]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर): मैं तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अन्तर्गत दिनांक 6 जून, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 842 में प्रकाशित (पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3014/64**]

भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, खड़गपुर तथा भारतीय प्रौद्योगिक संस्था, बम्बई के प्रमाणित लेखे

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं प्रौद्योगिकीय संस्था अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, खड़गपुर के वर्ष 1962-63 के प्रमाणित लेखे उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3015/64**]

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, बम्बई के वर्ष 1962-63 के प्रमाणित लेखे, उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3016/64**]

दास आयोग का प्रतिवेदन तथा भारत प्रतिरक्षा (दसवां संशोधन) नियम

गृह-कार्य मत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) पंजाब के मुख्य मन्त्री सरदार प्रताप सिंह कैरों के खिलाफ लगाये गये आरोपों के बारे में दास आयोग की जांच का प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3017/64**)

(दो) भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 41 के अन्तर्गत दिनांक 31 जुलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1097 में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (दसवां संशोधन) नियम, 1964। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3018/64**]

अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (चौथा संशोधन) आदेश

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : मैं कापीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 43 के अन्तर्गत दिनांक 2 जुलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2351

[श्री हजरनवीस]

में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (चौथा संशोधन) आदेश, 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3019/64]

परिसीमन आयोग अधिनियम के अन्तर्गत एस० ओ०

परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 8

निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत दिनांक 18 जुलाई, 1964 का एस० ओ० 2511। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3020/64]

(दो) परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 10 की उप-धारा (3) के अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2562 में प्रकाशित मध्य प्रदेश राज्य में संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्धारित करने वाला परिसीमन आयोग का आदेश संख्या ८। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3021/64]

(तीन) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 21 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2912 में प्रकाशित निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 1964। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल0 टी0 3022/64]

लौह अयस्क खनन उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई पुनरीक्षित सिफारिशों के बारे में सरकारी संकल्प

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) मैं लौह अयस्क खनन उद्योग संबंधी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा दी गई अन्तरिम मजूरी वृद्धि की पुनरीक्षित सिफारिशों के सम्बन्ध में दिनांक 3 सितम्बर, 1964 के सरकारी संकल्प डब्ल्यू० बी०-2(6)/64 (1) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3023/64]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

छियालीसवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का छियालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापत करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

उन्तीसवां प्रतिवेदन

संचार तथा संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंहा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के उन्तीसवें प्रतिवेदन से, जो 8 सितम्बर, 1964 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : यह एक छोटा सा प्रतिवेदन है । समिति ने अविश्वास प्रस्ताव के लिये 20 घण्टे निर्धारित किये हैं । कल आप मुरुड घटना के लिये $2\frac{1}{2}$ घंटे निर्धारित करने के लिये सहमत हो गये थे । अतः मेरा निवेदन है कि ये $2\frac{1}{2}$ घंट 20 घंटों के अतिरिक्त होने चाहियें, अर्थात्, इन दोनों के लिये 2 $2\frac{1}{2}$ घंटे नियत किये जाएं । मेरा यह भी निवेदन है कि $2\frac{1}{2}$ घंटे की चर्चा को वाद-विवाद के बिल्कुल अन्त में न लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : विरोधी दलों के सदस्य कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं । वहां पर सब की सहमति से निर्णय लिया जाता है ।

$2\frac{1}{2}$ घंटे 20 घंटे में शामिल हैं । अतः माननीय सदस्यों के लिये उस प्रश्न को सभा में पुनः उठाना उचित नहीं है । मैं श्री कामत के दूसरे सुझाव के बारे में विचार करूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के उन्तीसवें प्रतिवेदन से, जो 8 सितम्बर, 1964 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION *RE* FOOD SITUATION—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री चि० सुब्रह्मण्यम् द्वारा 7 सितम्बर, 1964 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी, अर्थात् :—

"कि देश की खाद्य स्थिति पर विचार किया जाये ।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मूल प्रस्ताव पर कई स्थानापन्न प्रस्ताव पेश किये गये हैं जो कि पेश नहीं किये जाने चाहिये थे । उनमें से एक श्री गु० सि० मुसाफिर का है ।

अध्यक्ष महोदय : यह आपत्ति इस समय नहीं उठाई जा सकती, जब उस प्रस्ताव को प्रस्तुत समझा गया था ।

श्री स०मो० बनर्जी : वह कल मध्यान्ह पश्चात् ही परिचालित किया गया था । वह प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये था ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय इस को नहीं निकाला जा सकता । इस पर मतदान के समय विचार किया जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या वह आप के सामने सोमवार को या उस के बाद रखा गया था ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा अनुमान यह है कि वह बाद में रखा गया था ।

श्री हरि विष्णु कामत : कल स्थानापन्न प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक के सिवाय सभी स्थानापन्न प्रस्तावों की अनुमति दे दी है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आपने यह आदेश दिया है कि कल दिये गये स्थानापन्न प्रस्तावों को अनुमति नहीं दी जायेगी ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मेरा अनुमान है कि मैंने सोमवार को यह बात उठाई थी कि हम में से जिन को समय पर पत्र नहीं मिले थे, अपने स्थानापन्न प्रस्ताव सोमवार को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायेगी । मुझे नहीं मालूम कि हमें मंगलवार को उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति थी अथवा नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : कल हमने एक स्थानापन्न प्रस्ताव की सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस की भी अनुमति दे दूंगा । श्री मौर्य के स्थानान्न प्रस्ताव को भी प्रस्तुत समझा जायेगा । इन सब प्रस्तावों को सदस्यों में परिचालित किया जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह सब नियम विरुद्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : इन्हें प्रस्तुत किया जा चुका है और इन्हें अब नहीं निकाला जा सकता । ऐसा मतदान से पहले ही किया जा सकता है और तब मैं माननीय सदस्य की बात सुनूंगा ।

Shri Radhelal Vyas (Ujjain) : The time for this discussion should be extended.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah). I have yet to speak on it.

Shri P. L. Barupal. (Ganganagar) : The time should be extended.

Mr. Speaker : We shall see how the discussion proceeds.

श्री मौर्य (अलीगढ़) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विश्राम प्रसाद (लाल गंज) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : (बाढ़) : 1963–64 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 778 लाख टन हुआ है । लगभग 50 लाख टन बाहर से मंगाया गया है । अत: देश में कुल 828 लाख टन अनाज उपलब्ध था । हो सकता है कि ये आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर दिये गये हों,

इसलिये हम उन को 10 प्रतिशत से कम कर देते हैं और गोदामों में खराब होने वाली मात्रा के तौर पर 7½ प्रतिशत की और कटौती कर देते हैं। तब भी देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिये एक पौंड प्रति दिन की औसत बैठती है जोकि किसी भी प्रकार कम नहीं कही जा सकती जबकि एक पौंड की औसत में बच्चे तथा रोगी व्यक्ति भी शामिल हैं जो वयस्क व्यक्तियों की अपेक्षा कम अन्न खाते हैं। अतः वर्तमान संकट उत्पादन के कारण उत्पन्न नहीं हुआ है अपितु यह उचित वितरण व्यवस्था के न होने के कारण पैदा हुआ है। 1962 से कीमत बढ़ती चली आ रही हैं। सरकार को उस समय मूल्यों के समानान्तर निर्धारित करने चाहिये थे क्योंकि तब कीमतें लगभग स्थिर हो गई थीं। इस समय मूल्यों में अन्तर इतना अधिक है कि उसे कम नहीं किया जा सकता। अर्थ-शास्त्र का विद्यार्थी रहने के नाते मैं यह कह सकती हूं कि अब ऐसा करना असंभव है। हम कीमतें 1951 अथवा 1952 के स्तर पर नहीं ला सकते। इस समय हमें नये रूप से मूल्यों के समानान्तर निर्धारित करने पड़ेंगे और यह अभी किया जाना चाहिये। जब तक सरकार के पास अन्न का काफी स्टाक नहीं होगा तब तक मूल्यों में स्थिरता लाना असंभव है। उस अवस्था में, राज्य व्यापार की बात करना भी अर्थहीन है। इसलिये विरोधी दल के सदस्यों को अनाज के बाहर से मंगाये जाने पर आपत्ति नहीं करनी चाहिये। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि सरकार के पास अनाज का काफी स्टाक रहना चाहिये।

सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी अनाज स्टाक 1961 से कम होता जा रहा है। प्रत्येक अन्न मंत्री को पिछले अनुभव से लाभ उठाना चाहिये था। श्री रफी अहमद किदवई का यह विचार था कि सरकार के पास 45 लाख टन अथवा कम से कम 35 लाख टन का स्टाक होना चाहिये ताकि अभाव के समय राज्यों को अनाज उपलब्ध किया जा सके और कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। 1963 के आंकड़ों के अनुसार सरकार के पास केवल एक लाख टन का स्टाक था। इस के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इतने कम स्टाक से सरकार किस तरह स्थिति पर काबू पा सकती है जबकि उत्पादन में भी कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। मुझे आधिक्य वाले राज्यों के बारे में चिन्ता नहीं है। हां, उत्तर प्रदेश में जहां उत्पादन का लक्ष्य 25 लाख टन कम रहा है, उत्पादन के इतने अधिक कम होने के कारणों की जांच की जानी चाहिये। कमी वाले राज्यों की स्थिति आधिक्य वाले राज्यों की अपेक्षा पिछले दो, तीन वर्षों से अधिक खराब होती गई है। विशेष कर बिहार में बाढ़, फसल नाशक कीड़ों आदि के कारण उत्पादन नहीं के बराबर हुआ है। यही कारण है कि कमी वाले राज्यों में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोषपूर्ण वितरण व्यवस्था के कारण कुछ राज्यों में अनाज का बहुत अधिक अभाव है जबकि अन्य राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है। वितरण के संकट को दूर करने के लिये सरकार को अनाज के व्यापार में मुख्य भागीदार के रूप में प्रवेश करना चाहिये। निजी व्यापारी, जिन्हें आढ़ती भी कहा जाता है, काश्तकारों के पास जाकर उनसे अनाज खरीद लेते हैं और तब तक उसे अपने पास जमा रखते हैं जब तक अनाज के दाम बढ़ नहीं जाते। दूसरी बात यह है कि वे लोग अपने अनाज को वहां पर ही जा कर बेचेंगे जहां कीमतें सब से अधिक हों। इसलिये परिवहन की अधिक सुविधा न होने के कारण भी उपभोक्ता को असुविधा होती है। हमारी सरकार तानाशाह सरकार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूरे साधन जुटाने की छूट है। मेरा अभिप्राय यह है कि उन व्यापारियों को सरकार अपने आढ़ती के रूप में नियुक्त कर ले और उन के अनुभव से लाभ उठाये। हमें अलग से कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सरकार उन अधिक आकर्षक शर्तों पर नियुक्त करेगी तो वे बड़े बड़े व्यापारियों के एजेंट के बजाय सरकारी एजेंट के रूप में कार्य करना पसन्द करेंगे।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि आज जो स्थिति है उसको देखते हुए राज्य को क्षेत्र में एक मुकाबला करने वाले की हैसियत से आना चाहिये और अच्छे मूल्य निर्धारित करने चाहिये आज तो

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

वैसे भी कीमतें बहुत ज्यादा हैं और शायद सरकार के लिये यह सम्भव न हो कि वह बहुत आकर्षक मूल्य निर्धारित कर सके । किन्तु उत्पादकों से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये और उन्हें कुछ प्रोत्साहन देने के लिये अधिक मूल्य देना होगा । परन्तु इससे खतरा यह है कि उपभोक्ताओं के हित काफी प्रभावित होंगे । सरकार एकदम मंडी में नहीं जा सकती । मुझे इस बात का हर्ष है कि खाद्य मंत्री ने यह बात कह दी है कि हम तुरन्त राज्य व्यापार के क्षेत्र में नहीं कूद सकते । कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिसके कारण इस दिशा में सफलता प्राप्त होने की कोई आशा नहीं ।

कुछ समस्यायें ऐसी होती हैं जो लम्बे समय की मांग करती हैं । राज्य व्यापार के सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि यदि आज इसे आरम्भ किया जाये तो चार पांच वर्ष के बाद कहीं जाकर अच्छे परिणाम निकल सकते हैं । जब भी आपने कोई राज्य व्यापार निगम इस कार्य के लिये बनाया कि वह खाद्यान्नों का व्यापार करे तो प्रारम्भ में तो भारी हानि उठानी ही पड़ेगी । मेरी राय में इसके लिये 80—100 करोड़ तक की सहायता देने की व्यवस्था होनी चाहिये । इस हानि को पूरा करने के लिये कोई दूसरा समकरण कोष बनाया जाय । इससे किसी भी वर्ष में होने वाली हानि को पूरा किया जा सकता है ।

मेरा निवेदन है कि हम औद्योगिक लक्ष्यों की ओर काफी ध्यान दे रहे हैं । मैं पूछना चाहती हूं सरकार को कृषि लक्ष्यों की ओर ध्यान देने की चिन्ता क्यों नहीं है ? कृषि उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही । मेरे विचार में सरकार को कृषि उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने में और विशेषत: उत्पादन बढ़ाने के लिये अपेक्षित औद्योगिक वस्तुओं के बारे में उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिये । 40 प्रतिशत उर्वरकों की कमी की बात कही गयी है । हमें एक बात समझ लेनी चाहिये कि जब तक हम उत्पादन करने के लिये अपेक्षित प्रारम्भिक वस्तुओं की व्यवस्था नहीं करेंगे, समस्या हल नहीं हो सकती । इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिये कि किसानों को सस्ते दामों पर उर्वरक दिये जायें ।

अन्य बात जो इस दिशा में की जा सकती है और जिसके लिये खाद्य मंत्री महोदय को पहले करनी चाहिये । राज्य सरकारों को यह बात समझानी चाहिये कि वह खेती के लिये किसानों को सस्ती बिजली दें जाये । सरकार को इस सम्बन्ध में भी कदम उठाने चाहिये कि सामान्यत: किसानों को औद्योगिक उत्पादकों की अपेक्षा सस्ती बिजली दी जाय । हमें इस दिशा में बहुत बातें न बना कर अमली काम करना चाहिये । भाषणों से पेट नहीं भरता । वैसे भी कहा है जो बादल गरजते हैं वह बरसते नहीं ।

इसके अतिरिक्त इस दिशा में भी तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये कि खाद्यान्नों के उत्पादन और विक्रय पर लगे हुए सभी प्रकार के कर समाप्त कर दिये जायें । ट्रैक्टरों की बाद की जाती है हमें पता होना चाहिये कि आज ट्रैक्टर की कीमत 18,000 रुपये तक पहुंच गयी है । पहले यही 9,000 में मिलता था । इस स्थिति में एक मध्यवर्गीय किसान के लिये ट्रैक्टर खरीदना कोई आसान नहीं है । मेरा निवेदन यह है कि सरकार को औसत किसान के द्वारा प्रयोग के लिये छोटे और सस्ते ट्रैक्टरों की व्यवस्था करनी चाहिये ।

Shri Radheylal Vyas (Ujjain) : We are having a discussion this knotty problem for the last two days. We have not been able to find out a suitable

solution of this problem for the last eighteen years. I am really glad to State that our present Minister of Food and Agriculture is doing his best to solve this difficult problem. I am of the opinion that until and unless you make every Community Development block as self sufficient in the matter of food grain, it is not at all possible to solve this problem. If the package programme is sincerely implemented and extended throughout the country, agriculutural production could be considerably increased during the next four or five years.

I want to impress upon the Government that they should open sufficient number of fertilizer factories in the public sector so that the demand for feritliser could be fully met. Greater stress should also be laid on the compost and green manure. We should be very careful about it that it should be ensured that the investigation facilities were fully utilised. Complaints of the agriculturist regarding non-availability of power connection should be removed.

I am of the opinion that it is better if you make Panchayats and Cooperative societies were made responsible for increasing agricultural production. This will solve a number of difficulties. We should try to seek full cooperation from these bodies. It would be really very unfortunate if we had always to depend upon import of foodgrains from abroad. The Government should take all effective steps to make the country self sufficient in this direction.

Cement etc. should be made available to the Marketing Societies for the construction of foodgrain godowns so that foodgrains can be stored under better conditions. The setting up of the foodgrain corporation is a welcome step but it should be run by honest and experienced men taken from the Trading community. Instead of resorting to direct purchase Government should either form associations of wholesale dealers or set up marketing societies and the farmers should also be represented on them. These societies should purchase foodgrains direct from the farmers at fixed prices affter proper gradation of their produce.

Creation of food zones was a wise step. If the zones had not been created, famine conditions would have been created in Madhya Pradesh, because a great part of the population there is non-agriculturist and the harvests also have not been good for the last few years. If the zones are done away with, as Shri Masani pleads, it would become very difficult for the poor people to purchase foodgrains at exhorbitant prices. The fair price shops cannot meet the situation as has been the experience of many of us. I had read the report of the Gregory Committee in 1947. A copy of that report should have been kept in the library. If the recommendations contained in that report had been implemented, this problem would have been solved to a large extent. The food control introduced in 1947 in South India proved its effectiveness. The situation in South India remained normal whereas there was a lot of black marketing and corruption in North India where the control was not enforced. In case of scarcity statutory rationing should be introduced in big cities with a population of more than 5 lakhs. Foodgrains should be allowed to be 'purchased by the private traders, but it should be procured by the Central or State Governments and supplied to deficit areas. Then alone, the prices can be checked, and foodgrains can be made available to the public at proper prices. I feel that there should be zonal system and each state should form one zone. The movement of foodgrains, whether by road or by rail, should be on State to State account and should not be in private hands. Otherwise it would be impossible to control the rising prices.

The farmers are taking to the cultivation of cash crops in increasing numbers and therefore the produ ction of cereals suffers.

[Shri Radheylal Vyas.]

Now, I want to say a few words in regard to my State of Madhya Pradesh. The quota of sugar has now been reduced to 11400 tons from the already meager quota of 1200 tons. On the other hand, the quota of Gujrat State is double than that of Madhya Pradesh, whereas Gujrat is a smaller State as compared to Madhya Pradesh. There should be some basis for the fixation of this quota. The control on movement of sugar should be lifted or the distribution system should be improved, so that the people in rural areas may also get sugar at reasonable prices. I submit that 30,000 tons of wheat be supplied to Madhya Pradesh to help it to tide over its difficulty during the lean period.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Time has come when the public should rise from its long slumber and take a decisive step against the Government because the Government is solely responsible for the present crisis of foodgrains in the country. Sugar is being supplied at about Rs. 1·50 per kilo in the country but the Government is exporting it at the rate 7 1/2 annas per kilo. This was the position last August. Government is earning foreign exchange at the cost of the public by exporting gram , pulses, bananas, mangoes etc. It shows the bankruptcy of the export policy of our Government. Foreign exchange for importing luxury goods in greater number is being found by exporting essential commodities.

(श्री खाडिलकर पीठासीन हुए
Shri Khadilkar in the Chair.)

It is said that the production of foodgrains has increased by 35 per cent during the last 15 years. But the population has also increased by 33 per cent. After making deductions for seed requirements, etc. The average per person comes to 7 1/4 chhatak. per day. But 27 crore poeple in the country do not get more than 4 chhataks per day. The Government plans for the betterment of on'y 5 or 5 1/2 crores big persons and their hungers on at the cost of 42 crore common men of the country. In the next five years this 4 chhataks would also come down to 3 or 3 1/2 chhataks, because the policies of the Government do not aim at increase in production.

The production of foodgrains is stagnant because it does not offer the Government leaders lucrative chances for their relatives and subscriptions for their party. The big industrial units are flourishing because they have enough to offer to the bureaucrats and the leader of the government. Loans are not given to small farmers. We have imported foodgrains worth Rs. fifteen hundred crores during the last fifteen years, which is more than enough to rouse the people against the Government. If the capitalists and the Ministers are not allowed to spend more than Rs. one thousand, it would amount to a saving of Rs. twelve hundred crores according to Government's own estimates. The first task of the Government should be to attend to agriculture with that money. If we increase the prices of agricultural goods, it would also affect industrial goods. I, therefore, plead that the prices of industrial goods should be brought down. This can only be done by relieving the burden of tax, reduce extravagant expenditure, and by changing the present policies of the Government. There is no other way out the prices of commodities should be interlinked with each other. If the prices of one commodity rises, the prices of the others would also rise and *vice-versa*. This would be of advantage to every body. But the Government leaders have not paid proper heed to all these things. It is advocated particularly by the educated people of the country that we should establish socialist institutions and organisations which can help

in bringing about socialism in the country. But the mere creation of such institutions is not enough. We should see who constitute those institutions. We should not be misled by their outer appearance but ensure their soundness. I know that in the name of cooperatives, the businessmen or their agents are plundering the rural people.

The loans and other facilities provided to the farmers through the cooperative societies really go to a selected few monied people in the villages. This money is not invested in agriculture or in rural industries but it percolates to cities and is invested in industries there. This is why people from rural areas are migrating to towns and cities. Unless agriculture is made a profitable, occupation the influx of people to towns cannot be checked. Government should therefore see to the soundness of their socialist measures.

The hoarders and profiteers are not responsible for the present crisis. In the Indian makets, particularly in the case of foodgrains there is wide fluctuation in prices. Therefore this rise in prices is not unusual. But it is not proper to link the hoarders and profiteers with this rise. For, it would make the people think that the Government is quite blameless, and its blame lies only in the fact that it has not been able to apprehend these persons. But the Government policies and their plans are wholly responsible for this crisis. Recently Govt. raided some godowns in the capital and later on it announced that these raids were made to check the efficacy of the Delhi Police in times of need. Similar is the case with the restrictions on movement of Gur in U.P. The policies of the Government are oreintated to get votes, subscriptions and lucrative offivers for the party and the relatives of ministers and bureaucrats. The farmers are not benefited by irrigation facilities, if some increase in production is effected, that is taken away in the shape of bribes, subscriptions and taxes. To quote an example, recently a Senior Marketing Inspector was caught red-handed while accepting Rs. 400 as bribe, in Farrukhabad. I do not say that every official is corrupt but it is mostly so.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. *Deputy Speaker in the Chair*].

A wrong impression has gone home that the Congress Government should remain in office for the good of the country and therefore the officers try to please their bosses by all means. This Farrukhabad incident is one such instance. Some big mill-owners were arrested in Calcutta recently. But we do not know why they have been arrested.

I would request all the opposition parties to sink their differences and unite the people of the whole country behind them to stop work not for a day but for days together, so that this Government may be liquidated. This is no other wayout to change the present policies of the Government. I have been eagerly looking forward to the 'Bharat buudh' day. But it should to be for one day. but for days together. Because we cannot remove the present Government without taking such drastic steps.

श्री करुथिरमण (गोबीयेट्टिपलयम) : मैंने सदन में हुए सभी भाषणों को सुना है। एक भी भाषण ऐसा नहीं हुआ जिसमें कुछ सुझाव दिये गये हों कि इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। हमारे विरोधी दलों के मित्र इस प्रश्न को भी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। हमें इस प्रकार के हालात पैदा करने चाहिएं कि उत्पादन में वृद्धि हो सके। उत्पादन की वृद्धि के बिना कीमतों के नीचे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वैसे तो मूल्य सब जगह बढ़े हैं। अमरीका

[श्री करूथिरमण]

जापान और ब्रिटेन में भी कीमतें वे नहीं हैं जोकि 1959 में थीं। कीमतों का स्तर वह होना चाहिए जिससे उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जा सके। हमें इस प्रकार का सन्तुलन रखना चाहिए जिसमें उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों का संरक्षण हो।

हमें यह समझ लेना चाहिए कि केवल खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होने से बहुत बड़ी सहायता नहीं मिलेगी। दूध, अंडे, वनस्पति आदि के उत्पादन में भी वृद्धि की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि केन्द्र और राज्यों में दोनों स्थानों पर कृषि अनुसन्धान केन्द्रों ने उत्तम काम किया है। वहां पर किये गये अनुसंधानों केन्द्रों ने बहुत ही सुन्दर काम किया है और इन अनुसंधानों के परिणामों से प्रत्येक भारतीय किसान को लाभ पहुंचाया जाये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अमोनियम सल्फेट को सस्ते दामों पर देने के लिए उचित कदम उठाये जायें। किसानों को दी जाने वाली बिजली के प्रशुल्क की दरों में कमी की जाये। फसलों का बीमा लागू किया जाये।

सरकार की ओर से खाद्यान्न निगम की स्थापना की बात कही गयी है। मैं इसका स्वागत करता हूं और मेरी राय में यदि इस को वाणिज्यिक आधार पर चलाया गया तो इससे उत्पादकों के लिए ही नहीं प्रत्युत उपभोक्ताओं के लिए भी मूल्य स्थिर रखने में सहायता प्राप्त होगी। किसानों को दुग्धशाला, मुर्गीपालन, सूअर पालन जैसे अन्य व्यवसायों को आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाये। प्रति एकड़ उपज बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अन्त में मेरा कहना है कि माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री बड़े साहस से काम कर रहे हैं और उनकी सफलता की मुझे पूर्ण आशा है।

श्री रा० गि० दुबे (बीजापुर—उत्तर) : खाद्य स्थिति पर विचार करेते समय हमें उपभोक्ताओं की पसन्द और तरीकों में परिवर्तन, शहरों में अधिक से अधिक लोगों का आकर बस जाना, यह सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि देश भर में जन संख्या की वृद्धि हो गयी है। इसके अतिरिक्त मुद्रा सम्बन्धी और राजकोष सम्बन्धी नीतियों इत्यादि की विभिन्न दिशाओं को ध्यान में रखना चाहिए। कोई सन्देह नहीं कि उत्पादन बढ़ा है, परन्तु उत्पादन की वृद्धि के बावजूद भी बाजार में उत्पादों के सम्भरण में उसी अनुपात से वृद्धि नहीं हुई है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर यह कहना पड़ेगा कि सरकार ने इस दिशा में अच्छा काम किया है।

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन यह है कि "भारत बन्द" के नारों अथवा हड़तालों से खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती। इस प्रकार की प्रवृत्तियों का अन्त किया जाना चाहिए। सरकार समान रूप से आवश्यकता वाले सभी राज्यों को देश में समाहृत किया हुआ और आयात किया हुआ खाद्यान्न सम्भरण कर रही है। वास्तविक कठिनाई वितरण की है। माल समय पर नहीं दिया जाता और परिणाम यह होता है कि खाद्यान्न का भंडार बनाने और बाजार मूल्य पर नियंत्रण करने का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है।

मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत गेहूं आयात करने के बजाय ह में अमरीका से ट्रैक्टर लेने चाहिए, क्योंकि हम तत्काल उनका निर्माण करने की स्थिति में नहीं हैं। सरकार को 'अधिक अन्न उगाओ' आन्दोलन को उचित

रूप से प्रोत्साहन देना चाहिए। इसी तरह सरकार को बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विषय पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। मूल्य तब ही कम किये जा सकेंगे यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाये। मेरे विचार में खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार स्थिति को सुधारने में काफी सहायक होगा।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा--पश्चिम) : पिछले दो तीन दिनों से हम ने भाषण, तर्क और बातें सुनी हैं। मुझे उनको पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं। हम सब ने उन तीन कारणों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया है जिनके कारण खाद्य स्थिति बिगड़ गई है।

यह तो ठीक है कि कुछ भूमि सुधार लागू हुए हैं। इस पर भी भारत में भूमि का लगभग एकाधिकार ही चल रहा है। मेरा निवेदन यह है कि सरकार ने किसान समर्थक नीति बनाने के अपने वचन को कार्यरूप में परिणत नहीं किया है। कुछ ऐसे बड़े जमींदार हैं जिनके पास बहुत अधिक भूमि है। उनके पास काला धन है। इसी तरह के लोग ही वायदा व्यापार भी कर रहे हैं और जमाखोरी में सहायक हो रहे हैं। जो लोग अधिक से अधिक नफा कमाने में रुचि रखते हैं लोगों की स्थिति को सुधरते हुए नहीं देखना चाहते। वे यह चाहते हैं कि लोगों की हालत गिरी हुई ही रहे। यदि सचमुच सरकार यथार्थ में ही कृषिका विकास करना चाहती है तो उस समस्या के मूल कारणों की ओर ध्यान देना चाहिए। काले धन और वायदा व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए उचित उपाय किये जाने चाहिएं। सरकार को खाद्यान्नों से भरे भंडारों पर कब्जा कर लेना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, खाद्यान्न का राज्य व्यापार सफल नहीं होगा।

भारत सरकार की ओर से त्रिपुरा को जो खाद्यान्न दिया जाता है वह सब पाकिस्तान होकर वहां पहुंचता है। इससे मार्ग में बड़ी हानि होती है। पाकिस्तान में हजारों मन चावल चोर-बाजारी में बेचा जाता है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस को रोकने के लिए सरकार को तत्काल सक्रिय कदम उठाने चाहिएं। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी अनुरोध है कि कलकत्ता और अन्य स्थानों में राशन की दुकानों पर प्रतिदिन के हिसाब से राशन दिया जाये। कई बार स्थिति यह होती है कि गरीब लोगों के पास प्रति दिन का राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं होता। होता यह है कि कुछ अन्य लोग उनके राशन कार्डों पर राशन ले जाते हैं और वह सारा राशन काले बाजार में बिक जाता है।

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : Right from the day of In depend ence up to this day we have been continuously discussing the food situation of the country every year. Whatever has come before us gives us the real picture of the part played by the Government, traders and our officials. Government did not translate into action their promise of having a farmer-oriented policy. Supply of cheap electricity, diesel oil and fertilizers and grant of remunerative prices were the simple ways in which Government could help the cultivators and ultimately the consumers.

It has been felt all along that the formation of zonal system is not doing any good. If this is the situation this system was be dispensed with without any delay. Government should set up more fair price shops particularly in rural areas. It should be ensured that adequate supplies are made to them. People in villages were not able to avail of the facilities as such shops were not properly fed. Even the imported wheat was being supplied in urban areas alone.

[Shri Sinhasan Singh]

So far as the supply of food grains was concerned, U.P. had not received fair treatment. While the quota fixed for U.P. should have been increased, it had actually been reduced. Supply of wheat to flour mills should be curtailed and more quantities of it should be released for sale at fair price shops.

Shri Brij Raj Singh (Bareilly) : I wish to strike a note of warning that the food situation is not only serious but it is taking a most dreadful shape. Many hon. Members have solicited the case of our farmers. They have pleaded that such and such facilities should be given to them as if the Government would be giving charity. Whatever facilities this Government have been giving to the farmers it have been giving through the same corrupt machinery and it has never tried to ascertain whether that help or facilities ever reached up to them. This Government gave lots of assurances but our farmers have never been able to reap fruits of its efforts.

Slogans of land reforms have been raised by the Government. But in U.P. the farmers have been massacred in the name of land reforms. They have stopped big landlords from sucking the blood of the farmers but some other horse leeches have been substituted in their place. All the campaigns of Congress party for the abolition of zamindari have proved of no avail. The farmers have therefore lost all confidence in this Government. Instead of delivering speeches and giving assurances it should try to revive confidence among farmers by practical achievements. Out slogans of farmer oriented policy have proved a farce.

I would give you an instance of Bareilli where a synthetic rubber factory is being established. It is essential to establish such a factory and to acquire land for that purpose because some big gun from Bombay is going to establish it who has greesed the palm of the Collector and has also given Rs. one crore to Shri Gupta, the Chief Minister . . .

श्री शिव नारायण (वंसी) : एक औचित्य प्रश्न है ।

Shr Brij Raj Singh cannot make such an allegation against Shri Gupta, unless he is in a position to substantiate the same.

श्रीओंकारलाल बेरुवा (कोटा) : एक औचित्य प्रश्न है ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : एक औचित्य प्रश्न है । एक राजनीतिक व्यक्ति की वकालत करने के उद्देश्य से औचित्य प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । माननीय सदस्य सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं ।

Shri Brij Raj Singh : I can substantiate the charge but it is difficult to make the hon. member understand.

The same things that were said in the year 1952 were repeated in the year 1962. These talks and suggestions are all worn out. Instead of indulging in tall talk the Government should have paid more attention to the execution of its policies.

I came from Bareilli, U.P. where people sustain just by taking sweet *Sharbat* for four or five days. This is the condition thre, and in spite of it

our farmers are insultingly labelled as hoarders. I do not know what checks our Government from organising raid s in the villages if it really feels that the farmers are hoardings stocks of their produce. It is most unfair to throw mud upon them like this because it is bound to dampen their enthusiasm. It is also unfair to demand cash money for the seeds that are given to them. This is a most discouraging factor for the farmers.

A decision was taken in the Chief Ministers' Conference that Government will effect a saving of rupees 70, 80 crores in the administrative erxpenditure but so far nothing seems to have been done in this direction. If savings are not effected it will increase inflation.

We had imagined that Shastri Government would with its practical outlook, bring reforms but within three months' of its coming to power we find large scale starvation in the country and we are compelled to start agitations and to move No Confidence Motion.

In the end I would like to give a few suggestions. A farmer holding land upto five acres should not be charged any revenue. Urban population is near-about 1 8 per cent of the total propulation and they should be given foodgrains at subsidised rates. Even private mill owners should be asked to make available to their workers foodgrains at subsidised rates. The farmers should be given remunerative price for their produce. The farmers should not be made to suffer in the name of land reforms. The responsibility for providing food to the masses should rest with the Centre mainly. This responsibility should not be thrown on the shoulders of State Governments.

Congressmen have been making many sacrifices in the past. Now they should make another sacrifice by relinquishing their posts.

Shrimati Jayaben Shah (Amreli) : I was surprised to hear the hon. member who spoke against land reforms. I can say on the basis of many personal experience that land reforms have proved quite fruitful to the farmers in Gujarat. If we want to progress land reforms are essential.

The main reason because of which the present situation has arisen is that our planning have been defective. During the First Plan the emphasis was on agriculture and during the Second Plan it shifted on to industry. I am not opposed to industry as such but the primary task before us is to attain self-sufficiency in food. If we do not attain this objective our country will be in the rut. The vocation of 80 per cent. of our people is agriculture and they are capable of increasing production, but we must give them fertilizers, irrigation facilities and credit facilities. We should first complete our small schemes of irrigation.

Our distribution machinery should be strengthened. Zonal system has proved harmful and it must go.

In our efforts to earn more foeign exchange, we should not export such essential commodities which are already scarce in our country otherwise prices are bound to go up.

The farmers should be given a remunerative price for their produce. Keeping in view the cost of production floor prices of food grains should be fixed higher. And for that purpose we must have a sound administrative set up.

[Shrimati Jayaben Shah]

We should pay more attention to the distribution side. Fair price shops should be opened in larger numbers and people should not be made to stand there in large queues. Fair price shops should be managed in a very systematic manner. Fair price shops should be opened in the rural areas as well because 20 to 30 per cent of people there are not agriculturists.

The agricultural production should be planned on sound lines. It should be ascertained which land is suitable for which type of crop.

A strike has been launched in Bombay. There is nothing new about the intentions of communists. They want to create chaos in the country. They want to bring down the present Government. They also tried to create disturbances at Ahmedabad. They are responsible for the 500 deaths which occurred there.

The Community Development Department should be made to work more efficiently and speedily. People at all levels, from the village level worker upto the Sarpanch, should be held responsible for increasing production. 80 per cent of the Budgetary allocations of village Panchayats, Tehsil Panchayats and District Panchayats should be spent on works connected with production. There should be no wasteful expenditure. Better seeds and fertilisers should be given to the farmers.

Cooperative Societies and cooperative banks should form the channels for giving credit facilities to the farmers.

More and more of our power resources should be utilised for productive purposes.

Due to betterment levy the farmers are unable to make use of the available water resources. In certain cases concession should be given in betterment levy and in other cases it should not be charged at all. Only then the farmers will be able to make use of water and increase production.

In the end I would plead that all the resources should be utilised for increasing agricultural production.

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : यह सरकार का कर्तव्य है कि अपने नागरिकों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्नों की व्यवस्था करे, परन्तु खेद की बात है कि हमारी सरकार इस दिशा में असफल रही है। इसका कारण यह है कि कृषि सम्बंधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में बहुत बड़ी अव्यवस्था रही है। वैसे योजना का निर्माण बड़े व्यापक आधार पर बनाया गया था। प्रथम योजना में समस्त राशि का 25 प्रतिशत इसके लिए निर्धारित कर दिया गया था अर्थात 529 करोड़ रुपये। दूसरी योजना के अन्तर्गत 20 प्रतिशत अर्थात 950 करोड़ रुपये, तीसरी योजना में 20 प्रतिशत अर्थात 1738 करोड़ रुपया। ये राशियां कम नहीं हैं। तीसरी योजना के अन्त तक का लक्ष्य 10 करोड़ टन का उत्पादन है। आशा नहीं कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाय। लगता यह है कि हम इससे मीलों दूर हैं।

यह खेद का विषय है कि गत कई वर्षों से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। वैसे तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है परन्तु प्रति व्यक्ति उपभोग से भी यह सिद्ध हो जाती है। जनसंख्या में हुई वृद्धि को देखते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि खाद्यान्नों का उत्पादन कम हुआ है।

वैसे तो सरकार को सारी स्थिति का ज्ञान था, परन्तु खेद का विषय यह है कि सारी कृषि की उपज मंडी में आती नहीं। खाद्यान्नों के उत्पादन का बहुत थोड़ा भाग मंडी में आता है। मंडियों पर बड़े बड़े व्यापारियों का नियंत्रण है। अतः यह बात उन बड़े बड़े लोगों के ही हाथ में है कि भाव को जैसा चाहें कर दें। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि उसे खाद्यान्नों के समुचित वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए। आश्चर्य की बात यह भी है कि यह भी नितांत गलत बात है कि खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हो जाने से किसान को लाभ पहुंचता है।

तीसरी बात इस मामले में यह है कि सरकार ने कुछ इस प्रकार की परियोजनाओं में लाखों रुपया लगा दिया है और उसमें से लाभ कुछ हो नहीं रहा। इसका प्रभाव भी कीमतों पर बहुत हुआ। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने से ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समय पर सिंचाई के लिए पानी, सस्ती बिजली अथवा डीजल तेल का सम्भरण है। यही वह चीजें हैं जिनसे हम किसानों को लाभ पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए समन्वित रूप में योजना को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

मेरा निवेदन यह है कि सरकार को इस दिशा में तुरन्त कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। कृषि उत्पादन की दिशा में हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें गांवों में बेकार पड़ी हुई जनशक्ति का उपयोग करना चाहिए। यदि इसका उचित ढंग से प्रयोग हुआ तो खाद्यान्नों के उत्पादन की दिशा में काफी लाभ होगा। जब तक उत्पादन नहीं बढ़ जाता और उसका ठीक ढंग से वितरण नहीं हो पाता तब तक कीमतों में कमी नहीं हो पायेगी। और यदि हमने कीमतों को इसी तरह से बढ़ने दिया तो बड़े बड़े भूमिपति और व्यापारी बड़ा बड़ा लाभ उठा लेंगे। अतः तुरन्त सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। छिपा हुआ तथा जमा किया हुआ अनाज बाहर निकालना चाहिए। मूल्यों को उनके पहले वाले स्तर पर लाना चाहिए। नीचे से लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिएं।

महाराज कुमार विजय आनन्द (विशाखापटनम) : हमें सब से पहले यह विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर यह खाद्यान्नों की कमी क्यों है। हमारे विरोधी पक्ष के भाई केवल निन्दा करने की ही बात कर रहे हैं। उन्होंने यह देखने का यत्न नहीं किया है कि इस समस्या के विविध अंग क्या है। अतः मैं यहां एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस आपात में अपनी सीमाओं पर बैठे लोगों को तो खाना देना है। इससे तो बचा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त हमारे देश में लाखों लोग पाकिस्तान से आये हैं। उनके खाने की भी व्यवस्था करनी पड़ी है, जिससे खाद्य समस्या और अधिक विकट हो गयी है। मेरा निवेदन यह है कि हमें कृषि पर अधिक जोर देना चाहिए और इसे अपनी प्राथमिकता सूची में उच्च स्थान देना चाहिए।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*)

एक अन्य बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। वह यह है कि बहुत अधिक भूमि बंजर पड़ी है। हमें उसे कृषि योग्य बनाना चाहिए। जो भी भूमि कृषि योग्य है उस पर कृषि करनी चाहिएं। उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को कृषि सम्बंधी औजार अधिक संख्या में दिये जाने चाहिए। लघु सिंचाई योजना में कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि होती है। अतः इस बात की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

खाद्यान्नों के राष्ट्रीय व्यापार का कई महानभावों ने विरोध किया है, परन्तु मेरा मत यह है कि खाद्यान्नों के व्यापार के राष्ट्रीयकरण से खाद्यान्नों की चोरबाजारी और जमाखोरी समाप्त

[महाराजकुमार विजय आनन्द]

हो जायेगी । मैं सरकार से यह बात जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि चम्बल घाटी के क्षेत्र में खाद्यान्न के उत्पादन करने की काफी क्षमता है, अत: वहां इस दिशा में प्रयत्न किये जाने चाहिएं । इससे दो लाभ होंगे, एक तो सिंचाई वाला क्षेत्र निर्माण हो जायेगा, दूसरा डाकुओं की समस्या भी हल हो जायेगी । यह क्षेत्र काफी समृद्ध हो जायेगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सालिसिटर-जनरल श्री एच० एन० सान्याल की हत्या

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"Strangulation to death of Shri H.N. Sanyal, Solicitor-General of India".

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : आज प्रात: काल श्री एच० एन० सान्याल की, जो 1962 से भारत के सालिसिटर जनरल थे, हत्या के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ । वह बड़े प्रख्यात अधिवक्ता और विद्वान थे । उन्होंने भारत के अतिरिक्त सालिसिटर जनरल और सालिसीटर जनरल के पदों पर बड़ी कुशलता और योग्यता से काम किया । यह सभा और सरकार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करना चाहती है ।

मामला इस प्रकार है कि कल आधी रात के समय चार व्यक्ति श्री एच० एन० सान्याल के निवास स्थान 22, अकबर रोड पर उनके कमरे में घुस गये । उन्होंने धोती से उनके हाथ और पांव बांध दिये और उनकी गर्दन के ईर्दगिर्द भी कपड़ा बांध दिया । श्री सान्याल की ऐसी हालत कर दी गई थी कि वह चिल्ला भी नहीं सकते थे ।

श्री सान्याल का नौकर बरांडे में सो रहा था । उन लोगों में से दो व्यक्तियों को खुली हुई अलमारी के समीप देखा, जिसमें तिजोरी थी। नौकर चिल्लाया और अन्य नौकरों को भी साथ ले आया । नौकर की चिल्लाहट सुनकर, लोक सभा के अध्यक्ष, श्री हुक्म सिंह भी, जो कि साथ वाले बंगले में रहते हैं, वहां पर पहुंच गये । वे श्री सान्याल के कमरे में गये, परन्तु तब तक अपराधी लोग भाग चुके थे ।

सुचना पाकर तुगलक रोड थाने का ड्यूटी अफसर घटनास्थल पर आया और श्री सान्याल को सफदरजंग अस्पताल ले गया, जहां डाक्टरों ने देखकर बताया कि श्री सान्याल मर चुके हैं ।

इस घटना के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करने का काम कुछ चुने हुए अफसरों के एक दल को सौंपा गया है ।

Shri Yashpal Singh (Kairana): I want to know whether the Solicitor General was examining the papers relating to some influential man, and also

whether the Minister of Home Affairs has been able to find out the file he was examining.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उड़ीसा के मंत्रियों के सम्बंध में जांच करने के बारे में वह आयोग के नियुक्त किये जाने के पक्ष में थे और भारत सरकार को उन्होंने मुकदमा चलाने को कहा था ।

श्री प्र० के० देव : क्या उड़ीसा सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध ग्रष्टाचार के आरोपों सम्बंधी कागज ही वहां से गुम थे ?

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी (बरहमपुर) : वह बहुत से बड़े आदमियों के मामलों से सम्बंधित कागजों का परीक्षण कर रहे थे ।

श्री नन्दा : श्री सान्याल का समय समय पर कई मामलों की पड़ताल से सम्बंध रहता था । यह मालूम नहीं कि इस समय वह किसी विशिष्ट मामले की जांच कर रहे थे। विधि सचिव इस मामले का पता लगा रहे हैं कि श्री सान्याल को जो कागजात भेजे गये थे, क्या वे उनके पास हैं या नहीं । हालात पर नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक सम्भव कदम उठाये जायेंगे ।

सभा में व्यक्त किये गये उद्गार शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचा दिये जायेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachhvaiya (Dewas) : May I know some finger prints of culprits were found whether at the place of commission of crime ?

अध्यक्ष महोदय : घटना के स्थान पर विचार करते हुए यह बड़ा दुस्साहसपूर्ण कृत्य है । इसके बिल्कुल निकट ही प्रधान मंत्री का निवास स्थान है । सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिये कि इस समय वास्तव में कौन से कदम उठाने की आवश्यकता है । हमारे लिये यह एक बड़ी चुनौती है और सरकार को इस बारे में पूर्वोपाय करने चाहियें ताकि ऐसी घटनायें फिर न होने पायें ।

श्री नन्दा : आपने जो विचार व्यक्त किये हैं वह लगभग सारे सदन के ही विचार हैं । मैं यह विचार संतप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा । इसके साथ मैं ही यह आश्वासन देता हूं कि दुर्भाग्य से जो स्थिति पैदा हो गयी है उसको दूर करने का पूरा प्रयत्न किया जायेगा तथा पूर्ण सुरक्षा का वातावरण निर्माण किया जायेगा ।

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बार में

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मैं यह जानना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव पर आप कब चर्चा आरम्भ करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इसे शुक्रवार प्रातः प्रश्नों के घंटे के पश्चात लिया जायेगा । सोमवार को भी हम इसे जारी रखेंगे ?

खाद्य स्थिति के बार में प्रस्ताव—जारी

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : खाद्य स्थिति पर जो चर्चा चल रही है उसका स्वरूप व्यापक रूप से राष्ट्रीय हो चुका है । मैं यह महसूस करता हूं कि आज की स्थिति में खाद्य

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी]

तथा कृषि मंत्री पर बड़ा भारी उत्तरदायित्व है । ईश्वर करें वह इस देश के कल्याण के लिये इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा सकें । इस बात को महसूस किया जाना चाहिये यह कोई अस्थायी संकट नहीं है, एक स्थायी कठिनाई है ।

(श्री सोनावने पीठासीन हुए
Shri Sonavane *in the chair.*)

खाद्य समस्या से देश का आर्थिक विकास रुक गया है । इस दृष्टि से यह एक भारी संकट बन गया है । मूल्यों के प्रश्न का उत्पादन वृद्धि से घनिष्ठ सम्बंध है । मूल्यों को बढ़ने से रोकने में हुई असफलता के परिणामस्वरूप उत्पादन बढ़ाने में आशाजनक सफलता नहीं मिली है । मूल्यों की वृद्धि ही वास्तविक समस्या है जिससे वितरण पर नियंत्रण करना अनिवार्य हो गया है । हमारी राजकोषीय नीति से भी मुद्रास्फीति हुई है । मजूरी और उपज उत्पादन के बीच का अनुपात समुचित रूप से नहीं रहा । उर्वरकों के उत्पादन का एक सुनियोजित कार्यक्रम बनाया जाय । देश में सहकारी क्षेत्र संभवत: सबसे अधिक भ्रष्ट क्षेत्र हैं । उस क्षेत्र का विस्तार करने से पूर्व सरकार को इस तथ्य की ओर उचित ध्यान देना चाहिये ।

खाद्यान्न के मूल्य इस कारण बढ़े हैं कि हमारा उत्पादन बहुत कम हुआ । इसलिये व्यापारियों को इसके लिये दोषी ठहराना अनुचित है । वर्ष 1962 और 1963 के बीच मूल्य 7 प्रतिशत बढ़े उसके पश्चात् मूल्य 10 प्रतिशत और बढ़ गये । मूल्यों के बढ़ने का एक कारण हमारी मुद्रा संबंधी नीतियां भी हैं । मुद्रास्फीति भी इस का एक मुख्य कारण है । यदि हम मुद्रास्फीति से बचना चाहते हैं तो हमें मजूर दर का उत्पादन से अनुपात बनाये रखना है । इस प्रयोजनार्थ एक राष्ट्रीय मजूरी तथा मल्य परिषद् बनायी जानी चाहिए । एक मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड भी बनाया जाना चाहिए ।

यदि हम चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में विकास हो तो तकनीकी स्तरों पर इस का विकास किया जाना वांछनीय है । किसानों को उर्वरक एवं अच्छे बीज उपलब्ध करने की ओर भी आवश्यक ध्यान दिया गया । उर्वरक के वर्तमान कारखानों से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती । उर्वरकों के उत्पादन के लिये एक क्रैश कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए ।

हमारे देश में सहकारी क्षेत्र असफल रहा है । इस क्षेत्र से सिद्ध होता है कि कैसे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैल सकता है । यदि इस क्षेत्र का अग्रेतर विकास किया जाता है तो यह दुर्भाग्य की बात होगी ।

देश की बहुत सी भूमि पर अभी खेती नहीं की जाती । पंजाब और राजस्थान तथा गुजरात आदि राज्यों में बहुत बंजर भूमि पड़ी हुई है जिस को खेती योग्य बनाने के लिये एक मरुस्थल विकास प्राधिकरण अलग से स्थापित किया जाना आवश्यक है ।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : खाद्य समस्या की ओर हमारा ध्यान इसलिये आकृष्ट हुआ है चूंकि अनाज मूल्य बढ़े हैं । और मूल्यों बढ़ने में व्यापारियों का हाथ है । मुझे खुशी है कि सरकार ने राज्य व्यापार निगम स्थापित करने का निश्चय किया है । देश में खाद्यान्न के वितरण आदि का काम सरकार को अपने हाथ में लेना पड़ेगा तभी यह समस्या हल हो सकेगी ।

अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि किसानों को उस की उपज का उचित मूल्य दिया जाय । एक आयोग अथवा समिति नियुक्त की जानी चाहिए या मंत्रालय में एक अलग

विभाग स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ हों और किसानों के प्रतिनिधि भी हों जो इस बात का अध्ययन करे कि किसानों को क्या मूल्य मिलते रहे हैं और अब क्या मिलने चाहिएं।

उत्पादन आवश्यकतानुसार न बढ़ने का कारण यह है कि प्रशासन व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है और किसी व्यक्ति को त्रुटि के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अतः इस ओर ध्यान दिया जाय। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहरायें और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को। उत्पादन बढ़ाने के लिये अच्छी किस्म के बीज, उर्वरक तथा सिंचाई सुविधायें भी उपलब्ध किया जाना आवश्यक है। पूसा अनुसंधान संस्था जैसे निकायों द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान किसानों को उपलब्ध होना चाहिए। यह काम केवल कृषि विस्तार सेवा द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रयोजनार्थ सामुदायिक विकास कार्यक्रम को भी ठीक तरीके से सहयोग देना चाहिए। एक मैट्रिकुलेट ग्राम सेवक रखने की बजाय वेतनक्रम बढ़ा कर कृषि स्नातक नियुक्त किये जाने चाहियें जो किसानों की सहायता अच्छी तरह कर सकेंगे।

राज्य सरकारों द्वारा भू-सुधार विधानों को ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं किया गया। भू-सुधार विधान तुरन्त लागू किये जाने चाहिएं।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली): मंत्री महोदय को देखना चाहिए कि जनता को अनाज मिलता रहे। आज अनाज का वितरण ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। त्रिचनापली में आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा होता है परन्तु वहां पर भी चावल, गेंहूं आदि उचित मूल्यों पर नहीं मिलता है। मिलों के लिये धान भी उपलब्ध नहीं है। इस का कारण यह है कि वहां पर लोगों ने अनाज दबा लिया है। इसलिये यह काम सरकार को अपने हाथों में लेना चाहिए। परन्तु सरकार जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करती है इसलिये हम यह कहने पर बाध्य हो जाते हैं कि सरकार स्वयं जमाखोरों को संरक्षण दे रही है। इसी कारण हजारों श्रमिक आदि लोग हड़ताल करने पर बाध्य हुए हैं। अनाज की वितरण व्यवस्था सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए।

सरकार द्वारा मुद्रा-स्फीति की स्थिति पैदा करके खाद्य समस्या को विकट बनाया गया है। वास्तविक किसानों को ऋण भी नहीं दिया जाता। तकावी तथा अन्य प्रकार के ऋण समृद्ध किसानों को दिये गये हैं। मैंने पंचायती संघों के जरिये गरीब किसानों के लिये ऋण प्राप्त करने की कोशिश की है परन्तु मैं सफल नहीं हुआ। इस मामले में भ्रष्टाचार बहुत पाया जाता है।

हम अनाज का आयात करने के विरुद्ध नहीं हैं परन्तु विदेशों से अनाज का आयात कर के किसानों को किसी प्रकार की सुविधा सहायता एवं प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। भू-सुधार किसानों को कार्यान्वित करने में भी ढील की गयी है। इसलिये पी० एल० 480 के अन्तर्गत अधिक अनाज का आयात नहीं किया जाना चाहिए। हम सदैव अमरीका के रहम पर नहीं रह सकते।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 10 सितम्बर, 1964 / भाद्र 19, 1886 (शक) ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई)

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, the 10th September, 1964/Bhadra 19, 1886 (Saka).

GMGIPND—L.S.—III—1152 (Ai) L.S.D.—12-10-64—600.